पंचम माला, खंड 55, अंक 3, बुधवार, 7 जनवरी, 1976/17 पौष, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LV, No. 3, Wednesday, January 7, 1976/Pausa 17, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पंद्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 55 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इस म अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 3, बुधवार, 7 जनवरी, 1976 / 17 पौष, 1897 (शक)

No. 3, Wednesday, January 7, 1976/Pausa 17, 1897(Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions :	
तारांकित प्रश्न संख्या 21, 22, 24, 26 से 28 और 30 से 33	Starred Questions Nos. 21, 22 24, 26 to 28 and 30 to 33	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Qustions :	
तारांकित प्रश्न संख्या 23, 29 और 34 से 40	Starred Question Nos. 23, 29 and 34 to 40 .	19—21
अतारांकित प्रश्न संख्या 114 से 171, 173, 176 से 192 और 194 से 219	Unstarred Question Nos. 114 to 171, 173, 176 to 192 and 194 to 219 .	22—66
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	67—73
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति :	Committee on Private Member's Bills and Resolutions :	
57वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Fifty-seventh Report presented .	74
याचिका समिति	Committee on Petitions :	
26वां, 27वां और 28वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Twenty-sixth, Twenty-seventh and Twenty-eighth Report presented . . .	74
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति :	Committee on Subordinate Legislation :	
17वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Seventeenth Report presented	
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee :	
181वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Hundred and Eighty-first Report presented	74
प्राक्कलन समिति :	Estimates Committee :	
80वां तथा 81वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Eightieth & Eighty-first Reports presented	75

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was acutally asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति:	Committee on Public Undertakings:	
75वां प्रतिवेदन तथा सारांश प्रस्तुत किया गया	Seventy-fifth Report & Minutes presented	75
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति:	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	
40वां तथा 41वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।	Fortieth & Forty-first Reports presented	75
रेल अभिसमय समिति:	Railway Convention Committee:	
8वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Eighth Report presented . . .	75
समिति के लिए निर्वाचन:	Election to Committee:	
राष्ट्रीय कैडेट कोर केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति	Central Advisory Committee for National Cadet Corps	76
कार्य मंत्रणा समिति:	Business Advisory Committee:	
57वां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ	Fifty-Seventh Report adopted . .	76
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President' Address	77—95
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	77
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P. M. Mehta	77
डा० वी० के० आर० वर्दराज राव	Dr. V. K. R. Varadaraja Rao	78—81
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	81—83
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga	83
श्री कृष्ण मनोहरन	Shri K. Manoharan	84
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar . . .	85
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	86
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav	87—89
कुमारी मणिबेन पटेल	Kumari Maniben Patel	89
श्री शंकर देव	Shri Shankar Dev	90
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	90
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	91
श्री शिब्बन लाल सक्सेना	Shri S. L. Saksena	92
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	92
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati T. Lakshmikanthamma . .	93
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam . . .	94
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	95
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	95

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (बारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एगती श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
काबले, श्री टी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री बी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री (मालेगांव)

किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बूटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णसाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी श्री सोमनाथ (वर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एम० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)

तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीचीं)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पचनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढंढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)

पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोंडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्लै, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध, चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन्, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
वीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमक)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (डार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)

भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुम्रा)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुवनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)

मोहम्मद यूसूफ, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शरद, (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन् श्री एस० (कुडलूर)
रामकंवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्ट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मछिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० सजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी , श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)

रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री परेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
बाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ़्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)

शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोरम)
सांधी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (आकोला)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री, श्याम श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती बी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायतशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)

हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुजी)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नुरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रीमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसी लाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढिल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागरिक विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एस० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 7 जनवरी, 1976/ 17 पौष, 1897 (शक)

Wednesday, January 7, 1976/Pausa 17, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन संबंधी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री विष्णु धनश्याम देशपांडे के दुखद निधन की सूचना देनी है जिनका निधन 64 वर्ष की आयु में 7 दिसम्बर, 1975 को बुल्डाना जिला, मध्य प्रदेश के मेहकार नामक स्थान पर हुआ।

श्री देशपांडे वष 1952--57 में प्रथम लोक सभा के मध्य प्रदेश के गुना निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य थे। उन्होंने विभिन्न सत्याग्रह आंदोलनों में 1939, 1941 तथा 1942 में कारावास का दण्ड भोगा। साहित्यिक वृत्ति का होने के कारण वह 'आदेश' नागपुर और 'हिन्दु औटलुक' दिल्ली के सम्पादक रहे।

हमें अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक है और मुझे विश्वास है कि सभा मेरे साथ शोकसंतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त करेगी।

सदस्यगण शोक व्यक्त करने हेतु कुछ क्षण मौन खड़े रहेंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

टायर बाजार में मन्दी

*21. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बाजार में टायरों की मांग कम हो गई है; और

(ख) क्या टायर बाजार के इस संकट को देखते हुए मूल्य घटाने तथा टायरों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर प्रतिबन्ध हटाने का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) मोटर गाड़ी और यातायात वाहन की मांग कम हो जाने के कारण, मोटर गाड़ी के टायरों और ट्यूबों की मांग में गिरावट आई है ।

(ख) मोटर गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों के मूल्य पर कानूनी नियंत्रण नहीं है । टायरों और ट्यूबों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले-जाने से प्रतिबंध को हटाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

Shri B. S. Bhaura : I want to know whether the automobile tyres were available at Rs. five thousand when their price was Rs. eleven hundred only and within one year when their control price was doubled, they are available even at a discount although there is no control on them. I want to know why their price was doubled within one year and what steps Government have taken to bring their price under control ?

Shri B. P. Maurya : As some traders had sold tyres at unreasonably high prices, the Centre set up a Committee and a ban was imposed on their inter-State movement. Today the situation is very comfortable and truck-tyres are now freely available in the market.

Shri B. S. Bhaura : Perhaps you are aware that the price of truck-tyres varies from State to State to the extent of Rs. 200. How long will it take to make up this differences ?

Whether he is also aware that tractor-tyres are still being sold in the black-market ? If so, the remedial steps being taken in this regard ? Do the Government propose to reduce their prices by 25 per cent ?

Shri B. P. Maurya : Sir, the curbs were put under Tyre-Tube Movement Control Order, 1974 but Government is reconsidering it in view of there being no shortage in the market. The curb on inter-State movement is likely to be removed in the near future, if possible.

The availability of tractor-tyres in the market has also improved considerably and they are no longer being sold in the black-market.

श्री एस० आर० दामाणी : मोटर-टायरों के फालतू होने के अलावा साइकल और रिक्शा टायरों का भी प्रश्न है जो लघु उद्योग में बनते हैं । इनमें से अनेक कारखाने बन्द हो गए हैं । क्या टायर-निर्माताओं के संघों से इस संदर्भ में कोई बातचीत हुई है ? यदि हां, तो उनकी सिफारिशें क्या हैं और उन पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ? टायरों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई०) : 1975 में अब तक 13,57,000 टायरों का उत्पादन हुआ जबकि इस से पिछले वर्ष सितम्बर तक 11,84,000 टायरों का उत्पादन हुआ था । टायरों के उत्पादन में वृद्धि और परिवहन उद्योग में मंदी, जिसकी अपनी समस्याएं हैं, को देखते हुए हमने उन्हें काफी मात्रा में टायर निर्यात करने को कहा है और उन्होंने गत वर्ष 8 करोड़ रुपये की अपेक्षा इस वर्ष 25 करोड़ रुपये के टायर निर्यात करने का वचन दिया है । हम यह सुनिश्चित करने के लिए बाजार की निगरानी कर रहे हैं कि देश में टायरों की उपलब्धता कम न हो और बड़े निर्यात कार्यक्रम का समर्थन करके उद्योग की क्षमता का बेहतर उपयोग किया जाये ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मंत्री महोदय ने बताया है कि ट्रैक्टर टायरों संबंधी स्थिति अब ठीक है । क्या वह जानते हैं कि दिल्ली में अब भी ट्रैक्टर टायर जिसका मूल्य फक्ट्री से बाहर 1200 रुपए है, क्विन्स रोड में तथा अन्य स्थानों पर 2500 रुपए में बिकता है और ट्रैक्टर-ट्यूब जिसका मूल्य 225 रुपए है 750 रुपए में बिकती है ? क्या वह इस मामले की जांच करेंगे और कोई जांच समिति बिठायेंगे ?

श्री टी० ए० पाई : हमने पहले ही मामले की जांच कराई है जहां से ट्रैक्टर टायरों, विशेषकर पिछले टायरों की कमी की शिकायतें मिली थीं । हमने अधिक कारखानों को इन टायरों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिए हैं । आशा है कि माननीय सदस्य की यह शिकायत शीघ्र ही दूर हो जायेगी ।

चीन द्वारा सीमा का उल्लंघन

*22. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चीन ने सीमा का उल्लंघन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि लाखों चीनी सैनिकों को हमारी उत्तरी सीमा पर नियुक्त किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल): (क) और (ख) 20 अक्तूबर 1975 की घटना को छोड़कर, जिस में चीन द्वारा हमारी सीमा के 500 मीटर अन्दर आक्रमण में हमारे चार सुरक्षा कार्मिक मारे गये थे, हमारी सीमा पर चीन के साथ कोई अन्य महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई है ।

(ग) और (घ) सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं । हमारी सुरक्षा सेनाएं सीमाओं पर लगातार सतर्कता रख रही हैं ।

श्री अर्जुन सेठी : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि क्या भारत सरकार ने 20 अक्तूबर की घटना पर चीन सरकार से कोई विरोध प्रकट किया है या नहीं ? यदि हां, तो उस पर चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री बंसी लाल : हमने चीनी दूतावास को अपना विरोध भेजा है और चीन सरकार ने भी हमें अपना विरोध भेजा है ।

श्री अर्जुन सेठी : मैं जानना चाहता हूं कि चीन सरकार ने हमें किस प्रकार का विरोध भेजा है और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यदि यह समाचार सही है कि हमारी सीमाओं पर चीनी सेनाएं भारी संख्या में एकत्र की जा रही हैं तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए हमारी सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बंसी लाल : जहां तक उनके विरोध का सम्बन्ध है, उनका कहना है कि हमारे जवान उनके क्षेत्र में घुस गए थे । जहां तक सीमाओं पर निगरानी का सम्बन्ध है, हम अपनी सीमाओं पर निरन्तर निगरानी रखे हुए हैं ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : एक अनाम अमरीकी एजेन्सी के अनुसार सोवियत प्रेस एजेन्सी 'नोवोस्टी' में हाल ही में समाचार दिया था कि भारतीय सीमाओं पर 1,80,000 चीनी सैनिक तैनात हैं और ये तिब्बत में तैनात 3,00,000 सैनिकों के अतिरिक्त हैं। हमारे मन में आशंका के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसके साथ ही 13 वर्ष बाद ठीक उसी दिन, जिस दिन चीनियों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था, हमारी सुरक्षा सेना के चार जवानों का मारा जाना और भी चिन्ताजनक है। यह जानते हुए कि चीनी जोश में आकर कोई भी काम नहीं करते, मैं जानना चाहता हूं कि इन घटनाओं के सन्दर्भ में सरकार ने क्या अनुमान लगाए हैं ? क्या ऐसा उन शक्तियों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया गया है जो हमारे क्षेत्र में अस्थिरता लाने का प्रयास कर रही हैं, और यदि हां, तो सरकार ने सीमाओं पर सतर्कता बरतने के अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं कि उन शक्तियों को प्रभावी ढंग से दबाया जाये जो भारत के अन्दर अस्थिरता और अनिश्चिता फैलाने का प्रयास कर रही हैं।

श्री बन्सी लाल : हम अपनी सीमाओं की बड़े ध्यान पूर्वक देखभाल कर रहे हैं और चिन्ता का कोई कारण नहीं है। हमारी सेनाएं सतर्क हैं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मेरा यह प्रश्न नहीं था।

श्री जी० विश्वनाथन : मूल प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने प्रकाशित समाचार देखे हैं। परन्तु हम उन से कुछ और जानना चाहते हैं। उन्होंने हमारी सीमाओं पर चीनी सेनाओं की गतिविधियों को न अस्वीकार किया है और न ही स्वीकार किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है या नहीं ? यदि सच है तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बन्सी लाल : यह जानकारी देना लोक हित में नहीं है।

सरकारी माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण

*24. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) इस समय कितनी आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को सरकारी माध्यम से दी जा रही हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) व (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) व (ख) नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग के बनाये जाने के तुरन्त बाद खाद्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता राज्य मंत्रियों के क्षेत्रीय सम्मेलन किये गये और उनमें वितरण व्यवस्था को बढ़ाने तथा उसका विस्तार करने के लिये विस्तृत नीति तैयार की गयी ताकि प्राथमिकता वाले पदार्थों, जरूरतमन्द इलाकों और जनता के कमजोर वर्गों को उसमें शामिल करने के लिये उसे लागू किया जा सके। खाद्यान्न, चीनी, नियंत्रित कपड़ा, मिट्टी का तेल और साफ्ट कोक बेचने वाली उचित मूल्य की दुकानें तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बढ़ाया गया तथा उसमें विस्तार किया गया। सहकारी व्यवस्था

का भी विस्तार किया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसमें संसद ने अपराधियों को अधिक कठोर दण्ड देने की व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया था, को कड़ाई से लागू किया गया, ताकि आम खपत की वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित किया जा सके। उचित मूल्य की दुकानें बढ़ाकर 2.30 लाख कर दी गई हैं। नियंत्रित कपड़े के 29,000 खुदरा बिक्री केन्द्र, मिट्टी के तेल के 1.66 लाख खुदरा बिक्री केन्द्र और साफ्ट कोक के 6,000 खुदरा बिक्री केन्द्र प्रमुख रूप से उत्तरी क्षेत्र में हैं। शहरी इलाकों में उपभोक्ता सहकारी आंदोलन और देहाती इलाकों में सेवा सहकारी सोसायटियों और क्रय-विक्रय सहकारी सोसायटियों के माध्यम से बाजार में उल्लेखनीय दखल दिया गया है। सहकारी सोसायटियों द्वारा वितरित की जाने वाली वस्तुएं ये हैं--चावल, गेहूं, मोटे अनाज, चीनी, वनस्पति, खाने के तेल, साबुन, डब्बल रोटी, दियासलाइयां, कपड़ा, किराने का सामान, कापियां, चाय, शिशु आहार। नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग ने राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों के सहयोग से मूल्यों को नियंत्रण में रखने और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने के लिए एक कारगर मानीटरिंग व्यवस्था भी तैयार की है। उपलब्ध किये जा रहे माल में वृद्धि करने, दूर स्थित इलाकों में आवश्यक वस्तुयें जल्दी से पहुंचाने और आवश्यक पदार्थों तथा विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपचारी उपाय किये गये। इन विभिन्न उपायों--वित्तीय, प्रशासनिक और प्रवर्तन--के परिणामस्वरूप सितम्बर, 1974 में मुद्रा स्फीति की दर जो अपने शिखर +31.4 प्रतिशत पर थी (समस्त पदार्थ सूचकांक 328.9 था), को विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद उत्तरोत्तर रूप से कम किया गया है और 20 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिये वह −6.4 प्रतिशत था (समस्त पदार्थ सूचकांक 295.7 था)। अनेक आवश्यक वस्तुओं जिनमें चावल, गेंहूं, वनस्पति, खाने के तेल, बाजरा, ज्वार भी शामिल है, के खुदरा मूल्यों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। विनिर्माताओं से बातचीत करके शिशु आहार, साधारण ब्राण्ड की चाय, दियासलाईयों, जनता साबुन की कीमतों में कमी की गई। विनिर्माता दियासलाइयों, वनस्पति, खाने के तेलों, शिशु अहार, रेजर ब्लेडों, ड्राई बैटरियों, साबुन तथा कपड़े धोने के साबुन के अपने उत्पादन का 20 प्रतिशत तक रियायती शर्तों पर सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से वितरित करने के लिये निर्धारित करने हेतु भी सहमत हो गये हैं।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम् : श्रीमान् वक्तव्य के अनुसार समूचे देश में 2.30 लाख उचित दर की दुकानें हैं। उचित दर की दुकानों को खोलने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग की सहायता करना है। हमारे देश में ऐसे व्यक्ति खेतिहर मजदूर हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोगों के लिए उचित दरों की कितनी दुकानें खोली गई हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : श्रीमान् आवश्यक वस्तुओं को लोक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित करने की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम समाज के कमजोर वर्ग की कहां तक सेवा कर पाये हैं। मैं इस बात पर माननीय सदस्य से सहमत हूं। यह स्पष्ट है कि कमजोर वर्ग अधिकांशता ग्रामीण क्षेत्र में हैं। केन्द्रीय सरकार का लक्ष्य यह है कि इन वितरण केन्द्रों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक किया जाये। 2.30 लाख उचित दर की दुकानों में से कितनी दुकान शहरों में हैं तथा कितनी दुकानें गांवों में हैं, यह बात मैं इस समय यहां सही प्रकार से नहीं कह सकता। केन्द्रीय सरकार का उद्देश्य यह है कि जहां तक सम्भव हो सके इस तरह के वितरण केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक खोले जायें और ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकतम सेवा की जाये।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम् : यद्यपि मेरे प्रथम अनुपूरक प्रश्न का उत्तर संतोषजनक ढंग से नहीं दिया गया है तथापि मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछता हूं। दावा किया गया है कि नियंत्रित कपड़े के वितरण के लिए 29,000 फुटकर दुकानें खोली गई हैं। यह संख्या कम लगती है। क्या मैं जान सकता हूं कि नियंत्रित कपड़े के वितरण के लिए फुटकर दुकानों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और क्या ये दुकानें वास्तविक रूप से कपड़े का वितरण जरूरतमन्द लोगों को करेंगे या क्या वे उस कपड़े को वापस व्यापारियों को बेच देंगे।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि 23 लाख उचित दर की दुकानें में से कितनी दुकानें शहरों में हैं और कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां तक नियंत्रित कपड़े की 29 हजार परचून दुकानों का सम्बन्ध है, मैं यह कह सकता हूं कि 80 प्रतिशत ऐसी दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। मैं यह बात अवश्य स्वीकार करता हूं कि 29 हजार दुकानें पर्याप्त नहीं है, हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे वितरण कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में यथा-सम्भव अधिकाधिक पैमाने पर करें, और इसके लिये राज्य सहकारी संघ आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि उन्होंने चीनी, गेहूं, चावल आदि कुछ वस्तुओं को लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिये चुना है? क्या मैं जान सकता ,हूं कि सरकार को ज्ञात है कि प्याज और मिर्च के मूल्यों में एक बार अत्यधिक वृद्धि हो गई थी और वास्तविकता तो यह है कि प्याज का मूल्य सेब के मूल्य से भी बढ़ गया था और कुछ लोगों ने प्याज का निर्यात करके अनुचित लाभ उठाया और अन्धाधुन्ध लाभ कमाया, क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इन दो वस्तुओं को भी आवश्यक वस्तुओं में सम्मिलित किया जायेगा। ताकि ये वस्तुएं समाज के कमजोर वर्ग को उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो सकें?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : जब शहरों में प्याज के मूल्य में वृद्धि होनी आरम्भ हुई तो हमने इस ओर ध्यान दिया और पता चला कि मैक्सिको तथा स्पेन में प्याज की फ़सल कम हुई है और इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ रहे थे। यह भावना दूर करने के लिये कि निर्यात करने की सम्भावना है, हमने खुले रूप से घोषणा कर दी थी कि प्याज के निर्यात की अनुमति नहीं दी जायेगी और इस तरह प्याज के मूल्य में गिरावट होनी आरम्भ हो गई। प्याज के मूल्य में गिरावट लाने के लिये गत दो सप्ताहों के अन्दर हमने राष्ट्रीय सहकारी संघ के माध्यम से दिल्ली के लिये नासिक से दस ट्र प्याज मंगवाये हैं। जिन आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने से जन साधारण प्रभावित होता है, हम उन पर बराबर निगरानी रखे हुए हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने के लिये शिक्षित बेरोजगार युवकों ने फ़ुटकर दुकानें खोली हैं। इस सम्बन्ध में आठ किलोमीटर की दूरी तक बैंकों की व्यवस्था की गई है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं हैं और जब तक ये बैंक ऋण की व्यवस्था करने के लिए आठ किलोमीटर की दूरी तक अपना विस्तार नहीं करते, तब तक कई बेरोजगार युवक, जिन्हें उचित मूल्यों पर कपड़ा तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं बेचने के लिए लाइसेंस दिये गये हैं, अपना कार्य नहीं भर पायेंगे, सरकार यह सुनिश्चित करे कि ऋण देने के लिए दूरी का विस्तार किया जायेगा, तब तक यह योजना उतनी सफल नहीं हो पायेगी जितनी कि होनी चाहिये।

श्री टी० ए० पाई : मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यह समस्या हमारे सामने प्रस्तुत की है, मैं यह जानता हूं कि बैंकों का नियम है कि कृषि कार्यों के लिए

वे आठ किलोमीटर की दूरी से अधिक दूरी तक के क्षेत्रों को ऋण नहीं देंगे, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे उन फ़सलों का पर्यवेक्षण नहीं कर पायेंगे। इस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र में ऋण के मामले में इस तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और मैं अवश्य इस पर विचार करूंगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मैं जान सकता हूं कि नियंत्रित कपड़े के वितरण के लिए फ़ुटकर दुकानों के मालिक मिलों से समुचित स्टाक नहीं उठा रहे हैं और इसी कारण विभिन्न मिलों में विशेषकर राष्ट्रीय कपड़ा निगम में नियंत्रित कपड़े का बड़ा भारी स्टाक जमा हो गया है।

श्री टी० ए० पाई : श्रीमान् यदि फ़ुटकर तथा थोक विक्रेताओं ने मिलों से स्टाक नहीं उठाया है तो इसका कारण यह है कि जो कपड़ा उपलब्ध किया गया था वह विक्रय योग्य नहीं था। इसलिए कपड़ा मिलों में भारी मात्रा में कपड़े का स्टाक जमा हो गया और फ़िर कपड़ा मिलों को कपड़े के गुण प्रकार में सुधार करने के लिए कहा गया, आखिर आप उपभोक्ता से यह आशा नहीं रख सकते कि वह किसी भी तरह की उत्पादित वस्तु स्वीकार करले।

मिथिला प्रसारण केन्द्र के चालू होने का समय

*26. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाश वाणी के मिथिला प्रसारण (दरभंगा) केन्द्र से प्रसारण कब से कब तक चलते हैं; और

(ख) मैथिली, नेपाली, तथा हिन्दी भाषाओं में प्रसारण के क्या-क्या समय हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) अन्तरिक्ष स्टूडियो सुविधाओं एवं एरियल सहित दरभंगा केन्द्र की स्थापना का कार्य मुकम्मल हो गया है। इसे शीघ्र ही चालू किया जायेगा।

(ख) कार्यक्रम सूची का सामान्य ढांचा तैयार किया जा रहा है।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं यह जानना चाहता हूं कि आकाश वाणी का दरभंगा केन्द्र कौन सी तिथि से चालू हो जायेगा। ट्रांसमीटर की शक्ति कितनी है? क्या सरकार समझती है कि मैथिली भाषी क्षेत्र उस केन्द्र की परिधि में आ जायेगा?

श्री धर्मवीर सिंह : हमें आशा है कि यह केन्द्र अगले 30 दिनों के अंदर चालु हो जायेगा। दरभंगा केन्द्र की शक्ति 10 किलोवाट है। दरभंगा, सहरसा तथा नेपाल के साथ सीमावर्त्ती क्षेत्र में मैथिली भाषी क्षेत्र का अधिकांश भाग इसके अन्तर्गत आ जायेगा। किन्तु पूर्णिया का कुछ भाग इसके अन्तर्गत नहीं आ सकेगा। संसाधनों के अभाव के कारण हमें फिलहाल 10 किलोवाट का ही ट्रांसमीटर लगाना होगा। ज्योंही अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे, हम ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने पर विचार करेंगे। किन्तु फिलहाल ट्रांसमीटर की शक्ति 10 किलोवाट ही रहेगी।

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय ने कहा है कि नेपाल के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र इस केन्द्र के अन्तर्गत नहीं आ सकेंगे। नेपाल के कुछ मैथिलीभाषी क्षेत्रों में हमारी कुछ परम्परागत संस्कृति है जिसके कारण हमारी नेपाल के उन क्षेत्रों से कुछ सांस्कृतिक तथा भाषायी संबंध हैं। क्या ट्रांसमीटर लगाते समय ट्रांसमीटर उपकरण में कुछ ऐसी व्यवस्था की जायेगी ताकि समुचा मैथिलीभाषी क्षेत्र उसके अन्तर्गत आ सके? क्या

सरकार इन क्षेत्रों को यथा संभव शीघ्र इस केन्द्र के अन्तर्गत लाने की सोच रही है ? दरभंगा के आकाश वाणी केन्द्र से मैथिली में प्रसारण के क्या-क्या समय हैं ?

श्री धर्मवीर सिंह : जैसा कि मैंने कहा है कि जनकपुर को भी इस केन्द्र के अन्तर्गत लाया जायेगा। यह इस केन्द्र से केवल 30 मील की दूरी पर है। इतना ही नहीं यह दरभंगा के उत्तर-दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम में 60 मील की दूरी को भी अपने अन्तर्गत लायेगा। नेपाल को किया जाने वाला हमारा प्रसारण मुख्यत: बाह्य सेवाओं के माध्यम से है और हमने गोरखपुर में 100 किलोवाट का एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाया है जो कि नेपाल के लिए की जाने वाली सेवाओं के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। सदस्य ने ठीक ही कहा है कि दरभंगा तथा नेपाल के तराई क्षेत्र की संस्कृति उसी तरह की है और इसलिए दरभंगा केन्द्र के माध्यम से कुछ नेपाली कार्यक्रम भी प्रसारित किया जायेगा। जहां तक मैथिली कार्यक्रमों की प्रतिशतता का संबंध है, माननीय सदस्य को ज्ञात है कि दरभंगा क्षेत्र चम्पारन जैसे क्षेत्रों की तरह समीपस्थ क्षेत्र है, इस वजह से दरभंगा केन्द्र से मैथिली भाषा में महत्वपूर्ण अधिकाधिक कार्यक्रम प्रसारित किया जायेगा। हिन्दी ही मुख्य भाषा रहेगी। मैथिली में प्रसारण के किए कितना समय दिया जायेगा, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सूची का कार्यक्रम अब तैयार किया जायेगा। किन्तु इस रेडियो स्टेशन से हिन्दी, नेपाली, मैथिली तथा भोजपुरी में प्रसारण किया जायेगा।

Shri Sarjoo Pandey : I am glad to know that arrangements for broadcasting in Maitheli are being made. But in large parts of Bihar and Uttar Pradesh Bhojpuri is spoken. So I want to know the position of Bhojpuri language so far as broadcasting from A. I. R. is concerned and whether arrangements will be made to give proper place to Bhojpuri language in this regard ?

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव कार्यवाही हेतु है। अगला प्रश्न।

राज्यों में अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता का उपयोग

*27. **श्री पी० गंगादेव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन क्षेत्रों में प्रगति धीमी रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) योजनाबद्ध विकास के प्रारंभ से ही देश की प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विद्युत् उत्पादन की क्षमता सन् 1951 में 2.3 मिलियन किलोवाट थी। उसके मुकाबले आज यह क्षमता लगभग 21 मिलियन किलोवाट है। वर्ष 1974–75 के दौरान 1.7 मिलियन किलोवाट की जो वृद्धि हुई है वह पिछले वर्षों में हुई वृद्धि के लगभग चौगुने के बराबर है। यद्यपि विद्युत उत्पादन क्षमता, विशेषकर चौथी योजना की अवधि में, निर्धारित लक्ष्यों से कम रही है, किन्तु यह कमी कई प्रकार की रुकावटें आ जाने के कारण रही है; यथा धन की तंगी और सामग्री की कमी, उपकरणों की सप्लाई में देरी और योजना स्थलों पर श्रमिकों संबंधी कठिनाइयां आदि। इनके सुधार के लिए उपाय किए गए हैं और आशा की जाती है कि योजना की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता के निर्माण की दर में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा सकेगी।

वास्तविक उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने के लिए पारेषण और वितरण प्रणाली की विस्तृत व्यवस्था की गई है। 1951 में देश में बिजली की खपत प्रति व्यक्ति 17.6 युनिट थी। अब बढ़कर यह खपत मार्च, 1975 में 99.7 युनिट प्रति व्यक्ति हो गई है।

(ख) केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण में किए गए अध्ययन से पता चला है कि प्रतिष्ठापित ताप विद्युत् उत्पादन क्षमता का उपयोग कुछ राज्यों में प्रारंभिक वर्षों में संतोषजनक नहीं था। सरकार ने इस ओर घ्यान दिया है और जो क्षमता और संयंत्र उपलब्ध हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग हो, इस बात के लिए सरकार ने विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इन सुधारात्मक उपायों में से कुछ उल्लेखनीय उपाय हैं; ताप विद्युत् युनिटों का पूर्ण निर्देशन (मानीटरिंग) करने के लिए किया गया प्रबंध, अच्छी किस्म के कोयले की पर्याप्त सप्लाई, रख-रखाव के उन्नत तरीके और तकनीकें अपनाना, और अतिरिक्त पुर्जों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करना। ताप विद्युत् युनिटों से पिछले वर्ष हुए विद्युत् उत्पादन की तुलना में 1975–76 में लगभग 8 प्रतिशत अधिक विद्युत् उत्पादन होने की आशा है।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न राज्य स्तरों पर प्रतिष्ठापित विद्युत् उत्पादन क्षमता में अभी भी कमी है, मैं यह जानना चाहता हू कि वे कौन-कौन से राज्य हैं जिनमें अभी भी बिजली की अत्यधिक कमी बनी हुई है और वक्तव्य में उल्लिखित वे सुधारात्मक उपाय कौन से हैं, जिनपर विद्युत् केन्द्रों की क्षमता के उपयोग को बढ़ाने के लिए विचार किया जा रहा है ताकि वे केन्द्र प्रतिष्ठापित क्षमता से विद्युत् उत्पादन कर सकें ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : गत वर्ष की तुलना में विद्युत् क्षेत्र की स्थिति इस वर्ष काफी अच्छी है और इस वर्ष बिजली की वास्तविक खपत गत वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़ाने की संभावना है। एक समस्या यह है कि रात्रि को देश के कई भागों में बिजली फालतू हो जाती है जिसका उपयोग करना पड़ता है। किन्तु इसके लिए शायद बिजली उत्पादन और भी होता। हम राज्य सरकारों, उद्योगों आदि से सहयोग लेने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अतिरिक्त विद्युत रात्रि को उपयोग में लाई जा सके। सामान्य स्थिति इस प्रकार है। कुछ राज्यों में बिजली की कमी है। जम्मू और काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में थोड़ी ही कमी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा पश्चिम बगाल में अवश्य कमी है। यदि पश्चिम बंगाल में रात्रि को अतिरिक्त बिजलो का उपयोग किया जाये तो व्यस्ततम काल में की जाने वाली कमी को कुछ कम किया जा सकता है। हाल ही में मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मत्री से पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उद्योगों को कार्य की पारी चलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे है।

बिजली के उपयोग को बढ़ाने के लिए उठाये जा रहे कदमों का उल्लेख मैं पहले ही अपने मुख्य वक्तव्य में कर चुका हूं। यदि कोई विशेष प्रश्न पूछा जायेगा तो मैं उसका उतर दूंगा।

श्री पी० गंगादेव : यद्यपि राष्ट्रीय ग्रिड तथा केन्द्रीय विद्युत उत्पादन अभिकरण की स्थापना के बारे में कई कुछ कहा जा रहा है, तथापि विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण में समन्वय की कमी महसूस होती है। क्या मैं जान सकता हू कि राष्ट्रीय ग्रिड तथा केन्द्रीय विद्युत उत्पादन अभिकरण की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है, जिससे निस्संदेह सभी समस्यायें हल हो जायेंगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं यह नहीं कह सकता कि राज्यों में समन्वय की कमी है। नियमानुसार उनमें आपसी सहयोग है और क्षेत्रीय विद्युतबोर्ड देश में भली भांति कार्य कर रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय बोर्ड विशेषरूप से सभी राज्यों के साथ सहयोग करके सराहनीय कार्य कर रहा है। अन्य सभी भी संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रिड के निर्माण में कुछ समय लगेगा। क्षेत्रीय ग्रिडों के शक्तिशाली

करने से ही राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण हो सकेगा। राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण कोई ऐसा कर्य नहीं है जो एक ही दिन में बनकर तैयार हो जाये। यह कार्य शनैः-शनैः आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे आशा है कि क्षेत्रीय ग्रिडों तथा अर्न्तक्षेत्रीय लिंकों को शक्तिशाली करने से राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण होगा। पन बिजली तथा तापीय बिजली उत्पादन के लिए केन्द्रीय निगमों की स्थापना की जा रही है और शीघ्र ही इन निगमों में उच्च पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी।

श्री प्रिय रन्जन दास मुन्शी : मैं जानना चाहता हू कि क्या यह सच है कि पूरी क्षमता में बिजली का उत्पादन न करने का मूल कारण फालतु पुर्जों की अनुपलब्धता ही नहीं है बल्कि यह भी है कि कुछ तकनीकी कर्मचारी-संघ जान-बूझकर 'धीरे काम करो' नीति अपना रहे हैं और इस प्रकार उन राज्यों में संकट बढ़ता जा रहा है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री के० सी० पन्त : ऐसे मामले अज्ञात नहीं है परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि देश में इन्जीनियर लोग पैदा की गयी बिजली का उत्पादन बढ़ाने और उसके वितरण में अपना सहयोग देते रहे हैं। एक बार फिर मैं आम तौर पर यह कहना चाहूंगा कि वह सहयोग देते रहे हैं और मैं उनका आभारी हू। स्थानीय शिकायतों के कुछ मामले सामने आए हैं और आशा है कि वास्तविक शिकायतों को दूर कर दिया जायेगा।

Shri Ishaque Sambhali : Sir, I request that more time should be given for this vital question. Recently, the power crisis in the country was so grave that in the largest State of India, U.P., there was no power for as long as 48 hrs. Even now there is no power at many places during the day and very little power at night. I therefore want to know the steps proposed to be taken by Government to ensure uniform power-supply for agricultural purposes? Further I want to know whether big and medium industries would be directed to have their own powerhouse and generators respectively.

Secondly, power-supply has improved because of good and timely rains which is a gift of nature. But, whether Government have a plan for the future to ensure uninterrupted power-supply throughout the country even when monsoon fails?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय पहले भाग को छोड़ कर केवल दूसरे भाग का ही उत्तर दे सकते हैं।

Shri K. C. Pant : Sir, I do not believe in withdrawal of divine support (*Interruption*). The power projects of today are both hydel and thermal projects in ac certain proportion, and both need expansion. We cannot depend on either one exclusively. We plan with this factor in mind.

दिल्ली में मूल्य बढ़ाने के लिए व्यापारियों द्वारा शीतागार सुविधाओं का उपयोग

28. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साग-सब्जियों, अंडों आदि जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के मुल्यों में वृद्धि करने के उद्देश्य से व्यापारी दिल्ली में शीतागार सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो शीतागार में ऐसी वस्तुयें जमा करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) व (ख) व्यापारियों द्वारा सब्जियां जमा न की जा सकें, इसके लिए दिल्ली में शीत गोदामों को आलु के अलावा दूसरी सब्जियां जमा करने पर रोक लगा दी गई है। इस आदेश का उलंघन करने पर शीत गोदामों के

मालिकों पर मुकदमा चलाया जाता है। जहां तक अण्डों का सम्बन्ध है, इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, क्योंकि अण्डों की लगातार सप्लाई बनाये रखने के लिए उन्हें शीत गोदाम में रखना जरूरी है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : यद्यपि मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, तथापि मैं यह कहना चाहती हूं कि यह सच नहीं है क्यूंकि इन शीत गोदामों में सब्जियों और फलों की बड़े पैमाने पर जमाखोरी की काफी शिकायतें मिल रही हैं जिनके कारण दाम बढ़े हैं। इन सबको रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : इस आदेश पर कठोरता से पालन किया जा रहा है। हाल ही में हमने 13 शीत गोदामों पर छापे मारे थे और एक को छोड़कर कहीं भी इस आदेश के उल्लंघन का प्रमाण नहीं मिला है। साथ ही हमारा आशय यह सुनिश्चित करना है कि जमाखोरी न हो।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : इरादा तो नेक है।

श्री ए० सी० जार्ज : इसीलिए तो जैसा कि मैंने कहा कि केवल 10 ही दिन पूर्व हमने 13 छापे मारे थे और एक को छोड़कर किसी मामले में भी जमाखोरी नहीं पाई गयी। साथ ही हम ऐसे उपाय करेंगे कि जनसाधारण के उपयोग की अत्यावश्यक वस्तुएं सुगमता से उपलब्ध हों और जमाखोरी करके अधिक मुल्य न वसूल किए जा सकें।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : दिल्ली के अलावा देश के अन्य भागों में जहां ऐसा हो रहा है वहां क्या हो रहा है ? साथ ही शीत गोदामों के भाडे के बारे में क्या किया जा रहा है क्योंकि वह अत्यधिक हैं और मुल्यों पर इन का प्रभाव पड़ता है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न और उसका उत्तर दोनों दिल्ली के बारे में हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : पूरे भारत के बारे में वह जानते हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : खाद्य पदार्थ ही शीत गोदामों में रखे जाते हैं और उनसे बिजली की रियायती दरें वसूल की जाती हैं।

Shri Ramavatar Shastri : I want to know whether the recent hike in egg-prices which shot up to 50—55 paise from 35 paise was due to their stocks being stored in cold storage, If the hike in vegetable prices has been similar, the steps taken by Government in this regard ?

I also want to know the number of egg and vegetable sellers who make use of cold storage facility in Delhi and the amount being released from them as rent ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह सच है कि हाल के महीनों में अण्डों के मूल्य बढ़ें हैं। हमने दिल्ली और उसके आस-पास के मुख्य मुर्गी पालकों की बैठक बुलायी थी और उनको शिकायत यह थी कि मुर्गी दाना का मूल्य बहुत बढ़ गया है। इसका शीत गोदामों से कोई सम्बन्ध नहीं है। अण्डों को शीत गोदामों में रखना ही पड़ता है क्योंकि यह बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। **(व्यवधान)** इसमें मौसम के अनुसार अन्तर पड़ता है। गर्मियों में इसकी अधिक आवश्यकता पड़ती है और सर्दियों में हमें कुछ अन्य ध्यान रखना पड़ता है। जो भी हो हाल की बैठक के सन्दर्भ में हम यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर रहे हैं कि मुर्गी दाने का मुल्य कम हो और अण्डों जैसी आम उपभोग की वस्तु सुलभता से उपलब्ध हो

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, शीत गोदाम की सुविधा केवल खाद्य पदार्थों को काफी समय तक ठीक रखने के लिए होती है और यह एक आवश्यकता है क्योंकि मौसम में तो सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं परन्तु मौसम बीत जाने के बाद उन्हें ठीक रखना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि जमाखोरी के लिए इनका उपयोग न हो और इन्हें केवल खाद्य पदार्थों को ठीक रखने के काम में ही लाया जाये ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय शास्त्री जी के प्रश्न का उत्तर देंगे ?

श्री ए० सी० जार्ज : हम इनमें से कुछ पदार्थों को शीत गोदामों में रखने की आवश्यकता से इन्कार नहीं कर सकते। किन्तु यदि किसी समय किसी वस्तु विशेष का कृत्रिम अभाव बना दिया जाये तब हम अवश्य ही शीत गोदामों के कार्यकरण की जांच करेंगे ताकि उस समय जमाखोरी न हो और शीत गोदामों का सामान्य प्रयोग जमाखोरी करने के लिए न किया जा सके।

उद्योगों में विकास दर

*30. **श्री रानेन सेन :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माता उद्योगों के वास्तविक उत्पादन सूचकांक की विकास दर वर्ष, 1975 में कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण तथा तथ्य क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1973, 1974 तथा 1975 के आंकड़े क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

रिजर्व बैंक आफ इंडिया कभी कभी अपने मासिक बुलेटिन में संभाव्य औद्योगिक उत्पादन के सूचकांकों का एक अध्ययन प्रकाशित करता है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के सितम्बर, 1975 में प्रकाशित बुलेटिन के नवीनतम अध्ययन में 1973 के संभाव्य उत्पादन का अनुमान दिया गया है। 1974 और 1975 में कोई भी अनुमान नहीं लगाए गए हैं। बुलेटिन की प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 के सम्बन्ध में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक (आधार 1970=100) उपलब्ध हैं जो समूचे व्यापक औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियों का द्योतक है। इस सूचकांक में 1974–75 का अवधि में विकास की दर 2.5 प्रतिशत, 1973–74 में 0.2 प्रतिशत की गिरावट और 1972–73 में 4.4 प्रतिशत की विकास दर बतायी गयी है। यद्यपि वर्ष 1975–76 का सामान्य सूचकांक उपलब्ध नहीं है, फिर भी चुने हुए उद्योगों के अप्रैल, से नवम्बर, 1975 के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे 55 प्रतिशत हैं। जिससे पता चलता है कि इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन संपूर्ण रूप से बढ़ने की संभावना है।

डा० रानेन सेन : विवरण तथा रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्पादन का सूचकांक वर्ष 1972 और 1975 के बीच घटता, बढ़ता रहा है। अतः

मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्पादन में यह अन्तर किन्हीं अंकुशों जैसे ऋण पर रोक, औद्योगिक कच्चे माल आदि के अधिक मूल्यों के कारण हुआ है जिनका सहारा उद्योगपति यह कह कर लेते हैं कि व्यापारिक मंदी चल रही है ।

श्री टी० ए० पाई : इस प्रश्न का सम्बन्ध रिजर्व बैंक द्वारा औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने से है । दुर्भाग्यवश केवल 1973 तक के ही आंकड़े दिए गए हैं । सम्भावित औद्योगिक उत्पादन काम सूचकांक बनायी क्षमता पर आधारित न होकर देश में किसी विशेष अवधि में किसी विशेष उद्योग द्वारा की गयी अधिकतम उत्पादन और तत्समय के उत्पादन पर आधारित होता है । अत: 1975 के अद्यतन आंकड़े न मिलने के कारण सांख्यिकीय विदों के लिए यही तरीका बौद्धिक रूप से संतोषजनक है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है सरकार केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा उपलब्ध किए गए आंकड़ों पर आश्रित है और हम गत वर्ष की पहली तिमाही के उत्पादन का मुकाबला इस वर्ष की पहली तिमाही के उत्पादन से करते हैं । दूसरी अवधि में उत्पादन-वृद्धि लगभग 5.5 प्रतिशत रही है और आशा है कि बाद की अवधियों में इसमें और वृद्धि होगी । परन्तु यह सच है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में योगदान करने वाले सभी उद्योगों में से आधे उद्योगों में उत्पादन काफी बढ़ा है । वास्तव में सरकारी क्षेत्र में उत्पादन 15 प्रतिशत और अनेक तकनीकी विकास महानिदेशालय के कारखानों में उत्पादन वृद्धि 10 प्रतिशत की रही है । कपड़ा और मोटर गाड़ी, विशेषकर कारों के कारखानों में उत्पादन घटा है और निर्माण पर आधारित पंखों जैसे छोटे-मोटे सामान के उत्पादन में भी कुछ कमी हुई है । सरकार प्रत्येक क्षेत्र में उचित कार्यवाही कर रही है क्योंकि उसे उत्पादन के आंकड़ों पर कड़ी निगाह रखनी होती है ।

हम यह नहीं समझते कि किसी वस्तु विशेष के उपलब्ध न होने को मन्दी समझा जा सकता है । मैंने आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन-आंकड़ों का अध्ययन किया है । यद्यपि विमको में लगभग तीन मास से हड़ताल चल रही है फिर भी देश में माचिसों की कोई कमी देखने में नहीं आयी । स्पष्ट है कि जमाखोरी खुदरा या थोक स्तर पर होती है और इसीलिए मार्किट में काफी स्टाक आ जाने पर स्थिति सुधरती चली जाती है । तथापि केवल इसीलिए कि किसी समय औद्योगिक उत्पादन बिक नहीं पाया, यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी मन्दी के कारण हुआ ।

डा० रानेन सेन : रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार जो मैं एक समाचार पत्र से पढ़ता हूं : "उत्पादन गतिविधि में कमी का कारण अनेक बातों जैसे खाद्य की कमी, कृषि कच्चे माल में कमी आदि के सामुहिक प्रभाव का परिणाम होता है" । मैं जानना चाहता हूं कि क्या विशेषकर 1974 और 1975 में सरकार ने इन कमियों पर काबू पा लिया है ताकि उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ सके ?

श्री टी० ए० पाई : वे सभी कमियां जो 1973 में रिजर्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित हुयीं थीं अब नहीं हैं । बिजली सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ है । औद्योगिक सम्बन्ध सुधरे हैं और कच्चा माल काफी मात्रा में उपलब्ध है । मेरे विचार में केवल एक ही शिकायत है कि जो कुछ बनाया जाता है वह शीघ्र बिकता नहीं । इसको छोड़ कर अन्य सभी अड़चने दूर कर दी गयीं हैं और हमें ऐसी स्थितियां सुनिश्चित करनी होंगी जिससे मांग भी उसी गति से बढ़े ।

2118 (ai) LS—2

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि देश में 1973 में औद्योगिक उत्पादन की सम्भावनाओं का दो वर्ष से अधिक समय पश्चात सितम्बर, 1975 में अध्ययन कराने का क्या लाभ है ? मेरे विचार में इस अध्ययन के परिणामों का भविष्य में उपयोग किया जाना चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि अब दो वर्ष बाद भी क्या सम्भावित औद्योगिक उत्पादन की मात्रा सुनिश्चित की गयी है । सम्भावित औद्योगिक उत्पादन क्षमता प्राप्त की गयी है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री टी० ए० पाई : सरकार यह जानकारी एकत्र नहीं कर रही है । रिजर्व बैंक का सांख्यिकीय विभाग इसे एकत्र कर रहा है और प्रकाशित कर रहा है । जैसा मैंने कहा कि इसकी उपयोगिता उनके बौद्धिक जिज्ञासा के सन्तोष के लिए है । किन्तु जहां तक सरकार का सम्बन्ध है हम उन आंकड़ों पर निर्भर नहीं हैं यद्यपि उन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में कितनी सफलता प्राप्त की गयी है और हममें कितना प्राप्त करने की क्षमता है । इसमें नई क्ष ा शामिल नहीं है जिसकी सम्भावना को इसमें जोड़ा नहीं गया ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उस अध्ययन के परिणाम जानने का क्या सरकार ने प्रयास किया है ? **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई तर्क-वितर्क नहीं चाहता । **(व्यवधान)** ।

अगल प्रश्न ।

सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तु उद्योग

*31. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम व्यूरो ने उनके मंत्रालय से अनेक उपभोक्ता वस्तु उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में लेने की सिफ़ारिश की थी;

(ख) क्या नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग ने एक योजना बनाई है जो व्यूरो की मूल सिफ़ारिशों से बिल्कुल मेल नहीं खाती; और

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) व (ग) नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग द्वारा बनाया गया कार्यक्रम इसने अपनी सूझ से बनाया है । इसमें उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों द्वारा स्वतंत्र रूप से या सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र के अप्रयुक्त क्षमता रखने वाले वर्तमान उद्योगों के सहयोग से आम खपत की चुनी उपभोज्य वस्तुओं का विनिर्माण करने की परिकल्पना की गई है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय द्वारा प्रश्न के भाग (ग) का दिया गया उत्तर सही नहीं है । इसलिए मैं उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करना चाहता । मंत्री महोदय ने कहा है कि सहकारी समितियों से कहा गया है कि वे विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में सरकारी तथा निजी क्षेत्र से सहयोग करें। श्रीमान् यदि मैं सही समझ पाया हूं तो इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार ने निर्णय किया है कि सहकारी समितियों को डबलरोटी, ऊनी कपड़ों, सूती कपड़ों, नहाने के साबुन डिटरजेंट, बिजली के बल्बों तथा टूथ पेस्ट आदि के उत्पादन में सरकारी तथा निजी क्षेत्र से सहयोग करने के लिए कहा जाये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि सरकारी क्षेत्र केवल डबलरोटी का उत्पादन कर रहा है और अन्य सभी वस्तुओं के उत्पादन में सहकारी समितियों को इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए सहयोग करना होगा ?

श्री टी० ए० पाई : प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन के अनुसार ब्यूरो यह निर्णय करने का प्रयत्न कर रहा है कि कौन सी उपभोक्ता वस्तुओं का सरकारी क्षेत्र में उत्पादन किया जाये । किन्तु इससे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि उदाहरणार्थ चीनी का उत्पादन अधिकाधिक रूप से सहकारी क्षेत्र में किया जाता है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अधिकांश उत्पादन सहकारी क्षेत्र में होगा। जहां तक सीमेंट का प्रश्न है, यदि पांचवीं योजना में स्वीकृत योजना सीमेंट निगम द्वारा आरम्भ कर दी जाये तो देश में कुल सीमेंट उत्पादन का 50 प्रतिशत उत्पादन सरकारी क्षेत्रों में होने लगेगा । यदि हिन्दुस्तान पेपर तथा अन्य राज्यों के कागज उत्पादन एकक उत्पादन आरम्भ कर दें तो हम 20 प्रतिशत शेयर प्राप्त कर लेंगे । राष्ट्रीय कपड़ा निगम की स्थापना से हमने पहले ही 20 प्रतिशत भाग प्राप्त कर लिया हैं। इसलिए यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उपभोक्ता वस्तुओं के लिए हमने योजना तैयार नहीं की है । जन साधारण को इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी और यदि सहकारी समितियां अपनी अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करें और यदि उनके पास उत्पादन करने की क्षमता हो और वे समूचे देश में इन वस्तुओं को उपलब्ध कर सकें तो ये सामान्य ब्रांड की वस्तुएं 500 रुपये से कम आय वाले लोगों को उपलब्ध की जा सकती हैं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : पांचवीं योजना के बारे में कई किन्तु परन्तु हैं । मेरी कामना है कि उनकी ये आशायें फलीभूत हों ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सरकारी उद्यम ब्यूरों ने मंत्रालय को सुझाव दिया है कि उन्हें उन 14 उद्योगों को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए जो कि जन साधारण के उपभोग की इन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और यदि हां, तो क्या उनका यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया है, और यदि नहीं, तो क्या कारण है कि सुझाव स्वीकार नहीं किया गया है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सरकार को एफ़० आई० सी० सी० आई० से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि किसी प्रकार की प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव किया जाना चाहिए ताकि गैर-सरकारी क्षेत्र आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में सरकार की सहायता कर सके और क्या यह सही है कि सरकार की वर्तमान नीति अप्रत्यक्ष रूप से एफ़० आई० सी० सी आई० के सुझाव के अनुसार ही है ।

श्री टी० ए० पाई : यह कहना सर्वथा गलत है कि सरकारी उद्यम ब्यूरो ने कभी भी इन उद्योगों को अपने हाथ में लेने का सुझाव दिया है । वास्तविकता तो यह है कि ब्यूरो इस समस्या का अध्ययन कर रहा है कि वे उद्योग कौन-कौन से हैं । हमें पता नहीं है कि ब्यूरो क्या कर रहा है । जहां तक एफ० आई० सी० सी० आई० के सुझाव का सम्बन्ध है, मुझे याद नहीं कि हमें उनसे कोई सुझाव प्राप्त हुआ है । उन्हें

ज्ञापन पेश करने का अधिकार हैं। किन्तु निर्णय नहीं लिए गए हैं क्योंकि यह किसी अन्य द्वारा पेश किया गया है। मामले के महत्व को देखकर ही निर्णय लिए जायेंगे।

श्री एन० के० सांघी : क्या सरकार को इस सम्बन्ध में सरकारी उद्यम ब्यूरो से कोई सिफ़ारिश प्राप्त हुई है।

श्री टी० ए० पाई : अभी नहीं।

श्री वसन्त साठे : क्या सहकारी समितियों के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर विचार करते हुए सरकार उन लोगों की आवश्कताओं को ध्यान में रखेगी जिनके पास क्रय शक्ति नहीं है और क्या सहकारी समितियों तथा विद्यमान सरकारी क्षेत्र के माध्यम से होने वाले उत्पादन को उन्हीं लोगों तक सीमित रखेगी जिनके पास क्रय शक्ति है? जन साधारण के उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के बारे में सरकार की क्या योजना है?

श्री टी० ए० पाई : यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन-कौन सी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं के वर्ग में रखते है। जहां तक आवश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है, गैर-सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी समितियों की वर्तमान क्षमता के माध्यम से उत्पादन बढ़ाना है। टूथ पेस्ट आदि जैसी वस्तुएं आम उपयोग की वस्तुएं नहीं हैं। किन्तु ये वस्तुएं जीवन सूचकांक लागत को प्रभावित करती है। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये वस्तुएं भी उचित मूल्यों पर उपलब्ध की जाये ताकि जीवन सूचकांक लागत का हिसाब लगाते समय हम उनके मूल्यों में अनावश्यक रूप से वृद्धि न करें।

श्री के० लकप्पा : टूथ पेस्ट आदि जैसी वस्तुओं के बारे में मंत्री महोदय ने कहा है कि समाज का एक विशेष वर्ग ही इन वस्तुओं का उपयोग करता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या समाज के विभिन्न वर्गों में अन्तर किया जायेगा क्योंकि जन साधारण के उपयोग की वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन भारतीय कम्पनियों द्वारा नहीं अपितु विदेशी कम्पनियों द्वारा किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या समूचा धन विदेशों में तो नहीं चला जाता। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी आवश्यक वस्तुओं का भारतीयकरण किया जाये और उन्हें विदेशी चुंगल से मुक्त किया जाये। इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सहकारी समितियों तथा सरकारी क्षेत्र के माध्यम से क्या ठोस कदम उठाये गए हैं।

श्री टी० ए० पाई : जहां तक जन साधारण के उपयोग की तथा अन्य वस्तुओं का सम्बन्ध है, संसद् द्वारा पारित रूप मे ब्यूरो विदेशों में भेजे जाने वाले धन की समस्याओं की जांच कर रहा है क्योंकि कुछ वस्तुओं के उत्पादन पर विदेशी कम्पनियों का प्रभुत्व है। इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जा रही है।

"माल्ट एक्स्ट्रैक्ट" (यवरस) बनाने के लिए लाइसेंस

*32. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केडबरी फ्राई अथवा विदेशी स्वामित्व की किसी अन्य कंपनी ने, 'माल्ट एक्स्ट्रैक्ट' (यवरस) बनाने के लिए अपने लाइसेंसों की बहाली अथवा नए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे स्वदेशी निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) मैसर्स कैडबरी फ्राई (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई ने माल्ट एक्सट्रैक्ट, जो अनिवार्य रूप से निर्यात के लिए है बनाने के लिए एक और औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र दिया है ।

(ख) सरकार इस आवेदन पत्र पर विचार करते समय, देश के निर्माताओं के हितों को सुरक्षित रखने सहित सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखेगी ।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या मैं सरकार से जान सकता हूं :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा विनियम, 1973 को, जो कि हमारी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बचाने का सर्वाधिक सफल उपाय है, कार्यान्वित करने का विचार बदल दिया है;

(ख) क्या भारतीय एजेन्टों या विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों के सहभोगियों ने अधिनियम के कार्यान्वयन पर पुनः विचार करने के लिए सरकार पर दबाव डाला है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार देश में देशी निर्माताओं को क्या संरक्षण देने का विचार करती है ?

श्री बी० पी० मौर्य : इसके लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता होगी ।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : आवेदन पर विचार करते हुए देशी निर्माताओं को संरक्षण देने के लिए सरकार के दिमाग में क्या-क्या बातें हैं ? क्या यह सरकार के लिए आवश्यक है कि वह मैसर्स कैडबरी फ्राई (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन पर आवश्यक रूप से सहानुभूति पूर्वक विचार करे ?

श्री बी० पी० मौर्य : जहां तक माल्ट एक्सट्रेक्ट (यदरस) बनाने के लिए लाइसेंस देने का सम्बन्ध है, आंतरिक खपत के पश्चात् जो कुछ बच जायेगा उसे निर्यात करना होगा । जहां तक देशी निर्माताओं का सम्बन्ध है यदि इस आवेदन को लाइसेंस दे भी दिया जाए तो भी वे किसी भी तरह प्रभावित नहीं होंगे ।

व्यापक फिल्म नीति बनाना

*33. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से एक व्यापक फिल्म-नीति को अन्तिम रूप देने तथा उसको क्रियान्वित करने वाले निकाय की स्थापना में शीघ्रता करने का आग्रह किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी, हां । सर प्राक्कलन समिति ने पांचवीं लोक सभा में प्रस्तुत की गई अपनी 58वीं रिपोर्ट (1973-74) के पैरा 3.19 में एक व्यापक फिल्म नीति उद्विकसित करने की सिफारिश की थी । राष्ट्रीय फिल्म नीति का ठोस दिशा में उद्विकास अब तक मुख्यतया फिल्म वित्त निगम और फिल्म सेंसरशिप के माध्यम से होता रहा है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि बहुत पहले सरकार को पेश किए गए प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने अपने उत्तर में पहले ही बता दिया है कि इसे कार्यान्वित करने के लिए निगम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को लागू करके फिल्म वित्त निगम के माध्यम से प्रयास किए गए हैं। किन्तु एक व्यापक नीति बनाने के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे जोकि विचाराधीन हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह सच है कि मध्य पूर्व के देशों, कैरीबियन तथा पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की बड़ी मांग है किन्तु अब तक भारतीय फिल्मों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाने हेतु कोई भी ठोस कदम नहीं उठाये गए हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : पश्चिम एशियाई देशों तथा अफ्रीका के कुछ अन्य देशों में भारतीय फिल्मों की काफी मांग है किन्तु यह सही नहीं है कि निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं किए गए हैं। निर्यात को बढ़ाने के लिए सफल प्रयास किए गए हैं किन्तु इस मांग की पूरी तरह पूर्ति करने के लिए और प्रयास आवश्यक है।

श्री अमृत नहाटा : क्या मैं मनानीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि एफ०एफ०सी० तथा आई०एम०पी०ई०सी० का विलय करके एक फिल्म परिषद् स्थापित करने के प्रस्ताव का क्या हुआ है और भारतीय फिल्म प्रतिभाशाली व्यक्तियों को गैर-सरकारी वित्त के शिकंजों से मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? ये गैर-सरकारी वित्त देश में प्रचार की मुख्य साधन की अव्यवस्थित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : फिल्म परिषद् की स्थापना के सम्बन्ध में हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, यह मामला बहुत ही विवाद-ग्रस्त है और कोई फ़िल्म नीति बनाकर इस मामले को नहीं सुलझाया जा सकता। यह मामला पूर्णतया प्रशासनिक है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

शस्त्रास्त्रों के निर्माण के बारे में तीन राष्ट्रों का समझौता

*23. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शस्त्रास्त्रों का संयुक्त निर्माण करने के बारे में तीन राष्ट्रों--पाकिस्तान, ईरान, टर्की--के कथित समझौते पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि इन राष्ट्रों द्वारा किस प्रकार के शस्त्रास्त्र बनाये जाएंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) सरकार ने समाचार देखें हैं जिनसे ये संकेत मिलते हैं कि शस्त्रास्त्रों के संयुक्त निर्माण की सम्भावनाओं पर तीन देशों में बातचीत हुई है। तथापि, किए गये समझौते की पुष्टि तथा निर्माण कार्यक्रम के ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं। कोई कार्य जिससे पाकिस्तान की शस्त्र शक्ति में वृद्धि होती है, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य बनाने में रुकावट डालेगा।

परमाणु अनुसंधान प्रयोगशालाओं के विकास के लिए ईरान को सहायता

*29. **श्री राज राजसिंह देव :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान सरकार ने ईरान में परमाणु अनुसंधान प्रयोगशालाओं के विकास के लिये सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) तथा (ख). दिसम्बर, 1975 में ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के अध्यक्ष भारत आये थे तथा उन्होंने परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोगों के क्षेत्र में भारत तथा ईरान के सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के साथ बातचीत की थी। सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर होने के बाद सहयोग के आधार के बारे में आगे कार्रवाई की जाएगी ।

Grant of Pension to Freedom Fighters

*34. **Shri Ramavatar Shastri** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) the total number of freedom fighters who applied for freedom fighters pension and the number of persons out of them, who have been sanctioned pension so far ;

(*b*) the action proposed to be taken by Government in respect of those who could not receive pension ; and

(*c*) the number of such freedom fighters as have applied after 31st March, 1974 and the action proposed to be taken by Government in their cases ?

The Minister of Home Affairs (Shri K. Brahmananda Reddi):

(*a*) & (*b*). Out of the total number of 2,36,797 applications, pensions have been sanctioned in 1,08,495 cases. Out of the remaining 1,28,302 applications, 77,778 have been rejected ; in 49,610 cases, applications have been filed because of absence of jail or co-prisoners certificates. In these cases, applicants were asked to furnish the required evidence and the State Governments UT Administrations were asked to verify the applications. The required evidence/verification has not been received. Action in respect of the remaining 914 cases is on hand.

(*c*) 42,525 applications have been received after 31st March, 1974. These applications are not normally considered for grant of pension. However, such of these applications as have been received befor e15th July, 1975 and for which valid reasons are forthcoming for the delay in submission are considered for pension on merits.

स्वतन्त्र प्रैस समाचार सेवा की माँग

*35. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री बंसत साठ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कुछ लोगों द्वारा की गई इस मांग के बारे में पता है कि इस समय विद्यमान अनेक सेवाओं के बजाय देश में केवल एक तथा स्वतंत्र प्रैस समाचार सेवा होनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय मानक संस्था

*36. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था को भारत में उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है, और

(ख) क्या भारतीय मानक संस्था उपभोक्ता वस्तुओं के किस्म नियंत्रण के संबंध में भी सतर्क रहेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय मानक संस्थान एक प्रमाणीकरण चिन्हांकन योजना का संचालन करता है जो किस्म नियंत्रण का एक आवश्यक अंग है। प्रमाणीकरण चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता वस्तुओं सहित वे सभी उत्पाद आते हैं जिनके लिए भारतीय मानक संस्थान ने मानक निर्धारित किए हैं।

नवादा जिले में अकबरपुर थाने के अधीन गाँव जहान-टोला में हरिजन परिवारों पर अत्याचार

*37. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि नवादा जिले में अकबरपुर थाने के अधीन गांव जहान-टोला में लगभग 35 हरिजन परिवारों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया और उनके घरों में लूट खसोट की गई; और

(ख) यदि हां, तो उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) और (ख). बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार नवादा जिला में अकबरपुर पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में जहाना गांव के कुछ हरिजनों ने एक जमीन के टुकड़े पर जो बताया जाता है कि गांव के श्री बिन्दा सिंह ने खरीदी है 35 झोंपड़िया बनाई थी। आरोप है कि 26 नवम्बर, 1975 को श्री बिन्दा सिंह ने इन झोंपड़ियों को गिरवा दिया। हरिजनों द्वारा लिखाई गई शिकायत पर शस्त्र अधिनियम की धारा 148/436/326/307 तथा धारा 25/27 के अधीन एक मामला अकबरपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। दो अभियुक्त जिनमें श्री बिन्दा सिंह शामिल है गिरफ्तार किये गये हैं तथा शेष चार ने न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

आयुध कारखानों में उजरती काम से प्राप्त मुनाफे पर प्रतिबन्ध

*38. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में उजरती काम से प्राप्त मुनाफे पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ रहा है; और

(ख) क्या दोनों फेडरेशनों ने इसका जोरदार विरोध किया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विट्ठल गाडगिल) : (क) और (ख). संशोधित वेतनमानों के प्रकाश में उजरती कामगारों को देय कमाई की गणना के सम्बन्ध में उजरती काम के लाभ पर 50 प्रतिशत की सीमा लगाते हुए सरकारी आदेश जारी कर दिये जाने के बाद कुछ संघों से कुछेक प्रदर्शन हुए हैं। सीमा को हटा दिये जाने का सुझाव देते हुए आल इंडिया डिफैंस कर्मचारी, फेडरेशन के अध्यक्ष से पत्र भी प्राप्त हुए हैं। इनका अध्ययन किया जा रहा है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी सेना का जमाव

*39. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की ओर भारी सैनिक जमाव हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख). सीमा के पार पाकिस्तानी सेनाओं की सरकार को पूरी जानकारी है और यथावत सभी आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठाये जाते हैं।

पिछड़े क्षत्रों में उद्योग

*40. **श्री डी० के० पंडा** :
श्री झारखण्ड राय :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में गत छः महीनों के दौरान कितने नये उद्योग स्थापित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि मणिपुर में कोई उद्योग नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा मणिपुर में उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में नये उपक्रम स्थापित करने

के लिए जून, 1975 से नवम्बर, 1975 की अवधि में निम्नलिखित आशय-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे।

राज्य का नाम	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
पश्चिम बगाल . . .	20	9
उड़ीसा	8	5
बिहार	7	4
उत्तर प्रदेश . . .	25	11

(ख) और (ग). 1973–74 में किये गये लघु उद्योग औद्योगिक एककों की राष्ट्रीय गणना के अनुसार उद्योगों के निदेशक के पास 485 लघु एकक पंजीयित हैं। समूचा मणिपुर राज्य पिछड़ा घोषित कर दिया गया है और मणिपुर में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को रियायती दर पर वित्त देने एव पूंजीगत राजसहायता सुविधाएं दोनों ही उपलब्ध हैं। उपर्युक्त सुविधाओं के अलावा उद्यमियों को कच्चा माल लाने-ले-जाने तथा तैयार माल को लागत के 50 प्रतिशत तक राजसहायता मिलती है। मणिपुर के लिये दो ग्रामीण उद्योग–परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी गयी है और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

केरल में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें

114. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 के दौरान केरल राज्य को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी और अब तक वास्तव में कितना व्यय हो चुका है;

(ख) इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उस राज्य में 1975-76 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कितनी नयी योजनायें आरम्भ की जायेंगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख). वर्ष 1975-76 के दौरान, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने अब तक केरल राज्य बिजली बोर्ड की कुल 1.41 करोड़ रुपये की ऋण-सहायता वाली चार ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं मंजूर की हैं। इन योजनाओं से 1398 पम्पसेटों को बिजली देने और 95 ग्रामों के 310 लघु उद्योगों को बिजली देने की व्यवस्था हो सकेगी। ये योजनाएं 5 वर्ष की अवधि में विभिन्न चरणों में पूरी की जायेंगी। निगम द्वारा मंजूर की गई ऋण-राशि का भुगतान भी किश्तों में किया जायेगा। उपर्युक्त योजनाओं के लिए 43.9 लाख रुपये की पहले वर्ष की किस्तों का भुगतान चालू वित्त वर्ष में किया जाना है और इन योजनाओं पर कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

(ग) केरल राज्य बिजली बोर्ड को ऋण-सहायता देने का मामला उस राज्य द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या पर तथा निगम द्वारा निर्धारित मानदण्डों और मार्गदर्शी-सिद्धांतों के अनुसार इन योजनाओं के अनुमोदन पर निर्भर होगा। इस समय 1.25 करोड़ रुपये की कुल ऋण-राशि की 3 योजनाएं निगम के विचाराधीन हैं।

त्रिपुरा में बड़े तथा मध्यम उद्योग

115. **श्री ए० के० किस्कु :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की 1975-76 की योजना में बड़े तथा मध्यम उद्योगों के लिए 67 लाख रुपये आवंटित किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) त्रिपुरा की 1975-76 की वार्षिक योजना में बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए 70.45 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। त्रिपुरा सरकार ने इसमें से वर्ष 1975-76 के दौरान 67.25 लाख रुपये के संभावित खर्च होने का अनुमान लगाया है।

योजना के स्वीकृत प्रावधान का योजनावार ब्यौरा तथा 1975-76 की अवधि में पूर्वानुमानित व्यय नीचे दिया जाता है।

(रुपये लाखों में)

योजना का नाम	1975-76 के लिए योजना की स्वीकृत प्रावधान	1975-76 की अवधि में प्रत्याशित व्यय
1. कागज मिल . .	3.00	3.00
2. जूट मिल . .	55.00	55.00
3. चीनी मिल . .	5.00	5.00
4. एब्जारर्बट कपड़ा संयंत्र	0.50	—
5. प्रशिक्षण कार्यक्रम .	0.65	0.65
6. चाय उद्योग . .	2.00	—
7. मीट्रिक प्रणाली . .	0.30	0.30
8. भूगर्भीय प्रकोष्ठ . .	1.00	1.00
9. प्रस्तावित वित्त निगम .	2.00	2.00
10. संभाव्यता प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रतिष्ठान	1.00	0.30
योग . .	70.45	67.25

आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम तथा भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत तिहाड़ जेल में बन्द कैदी

116. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम तथा भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत तिहाड़ जेल में बन्द कैदियों को घटिया और असंतुलित भोजन दिया जाता है;

(ख) क्या उन्हें पर्याप्त गर्म कपड़े अथवा गर्म बिस्तर नहीं दिये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। नजरबन्द व्यक्तियों समेत सभी कैदियों को निर्धारित मात्रा के अनुसार पर्याप्त गर्म कपड़े तथा पर्याप्त गर्म बिस्तर दिये जाते हैं।

(ग) (क) तथा (ख) को ध्यान में रखते हुए कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई है।

Power requirement by the end of Fifth Five Year Plan

117. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the power requirement of the industry and agriculture by the end of Fifth Five-Year Plan; and

(b) the extent to which it is likely to be met by the Fifth Plan end ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): *(a)* According to the Ninth Annual Power Survey, the power requirements for the industrial and agricultural sectors by the end of the Fifth Plan are estimated to be 87,400 million kWh and 14,800 million kWh respectively.

(b) It is expected that with the commissioning of power projects scheduled for completion during the Fifth Plan, the requirements of the priority sectors of the economy would be met.

Launching of Aryabhata

118. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Space** be pleased to state :

(a) the benefits likely to accrue to India as a result of launching of Aryabhata in the Space recently;

(b) whether India is fully capable of making such satellites ;

(c) whether the Aryabhata satellite which was launched from Russia, was assembled in India partly with the Russian components ; and

(d) the total cost of that satellite and the Russian assistance provided therefore ?

The Prime Minister, Minister of Planning, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space, (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Aryabhata has estabilshed India's capability in the design and fabrication of satellite. It has also established our ability to receive, analyse and interpret data from the satellite and also

to command the satellite from the ground to carry out essential operations on the satellite. With this experience it is now possible for India to undertake the design and fabrication of more sophisticated satellites for application purposes such as communication and earth resources survey satellites.

(b) Yes, Sir. But certain components which are not indigenously available will have to be imported.

(c) Except for the Solar Panels, chemical batteries, spin bottles and two tape recorders which were supplied free by the Union of Soviet Socialist Republics, all technological and scientific equipment used in Aryabhata was indigenously designed and fabricated. Space-qualified components not available within the country were purchased from various countries.

(d) The total cost of the Aryabhata Project is Rs. 5·09 crores. Excluding the cost of infrastructure created, the actual cost of the satellite is Rs. 3·5 crores. In addition to the launch, Russia has provided tape-recorders, chemicals battery, solar cells and spin-up systems free of cost.

दो नक्सलवादियों को दिए गए मृत्यु दण्ड को बदल कर कम करने हेतु संसद सदस्यों द्वारा याचिका

119. **श्री एच० एन० मुकर्जी :**
मौलाना इसहाक सम्भली :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संसद सदस्यों ने भारत के राष्ट्रपति को एक याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि न्यायालय द्वारा उन दो राजनीतिक बंदियों को दिये गये मृत्यु दण्ड को बदल कर कम कर दिया जाये जो नक्सलवादी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त थे ;

(ख) क्या इन बन्दियों की ओर से भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई दया-याचिका रद्द कर दी गई थी और परिणामस्वरूप उन्हें फांसी दे दी गई थी ;

(ग) क्या स्वाधीनता के बाद भारत में यह पहला अवसर था जब कि राजनीतिक बंदियों को फांसी पर लटकाया गया हो ; और

(घ) उनकी दया-याचिका मंजूर न किये जाने के क्या कारण थे ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) संभवतया माननीय संसद सदस्य आंध्र प्रदेश के बन्दी गून्नाला किश्टा गौड तथा जंगम भूमैय्या के मृत्यु दण्ड का उल्लेख कर रहे हैं। कुछ संसद सदस्यों ने उनका मृत्यु दण्ड कम करने को लिखा था।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) इन दो मामलों में दिये गये मृत्यु दण्ड हत्या के दण्डनीय अपराध के लिए थे।

(घ) दया याचिकाओं पर प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा विचार किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की हरिजन महिलाओं पर पुलिस द्वारा अत्याचार

120. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बांदा जिले में हरिजन महिलाओं पर उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों द्वारा हाल ही में किये गये अत्याचारों की जानकारी है ; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) . सरकार ने जिला बान्दा में कोल जाति की लड़कियों के तथाकथित अवैध परिरोध के बारे में रिपोर्ट देखी है ।

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 15 दिसम्बर, 1975 को जिला बान्दा के पुलिस प्राधिकारियों को एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि 30 नवम्बर, 1975/1 दिसम्बर, 1975 को कोल जाति की चार लड़कियों को अवैध रूप से रानीपुर डाक बंगले में रखा गया था और एक पुलिस सब-इन्स्पेक्टर, वन विभाग के एक अधिकारी और एक वन रक्षक समेत चार व्यक्तियों ने उनके साथ बलात्कार किया था । चार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध थाना माणिकपुर में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376/342/323/161 तथा भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की धारा 5(2) के अधीन एक मामला दर्ज किया गया । दोषी सब-इन्स्पेक्टर को निलम्बित कर दिया गया है तथा लाइन में स्थानान्तरित कर दिया गया है । वन अधिकारी तथा वन रक्षक को निलम्बित करने और उस क्षेत्र से स्थानान्तरित करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है । पुलिस अधीक्षक विशेष जांच शाखा की पूरी देख रेख में अपराध जांच विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है ।

गुजरात में सरकार विरोधी साहित्य का वितरण

121. **श्री शशि भूषण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जमायते-इस्लामी के लोगों तथा नक्सलवादियों और आनन्द मार्गियों द्वारा सरकार और सरकारी नीति-विरोधी साहित्य खुले आम बांटा जा रहा है ; और

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिये केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क). गुजरात सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यद्यपि गुजरात में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जमायते इस्लामी के लोगों तथा नक्सलवादियों और आनन्द मार्गियो द्वारा सरकार और सरकारी नीति विरोधी साहित्य खुले आम नहीं बांटा जा रहा है, परन्तु आपात-स्थिति के विरुद्ध तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के समर्थन का साहित्य अहमदाबाद तथा राज्य के कुछ अन्य स्थानों पर पारिचालन में देखा गया है ।

(ख) राज्य सरकार ने इस गुप्त गतिविधि के स्रोत को मालूम करने और इस को दबाने हेतु कदम उठाने के लिये कहा है ।

ग्रामीण तथा नगरीय युवकों को रोजगार

122. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षु अधिनियम द्वारा उपलब्ध सीमित अवसरों के अतिरिक्त इस वर्ष ग्रामीण तथा नगरीय युवकों को रोजगार देने का प्रबन्ध करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षु प्रशिक्षक भर्ती सम्बन्धी घोषणा सार्वजनिक रूप से नहीं की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाय करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क). ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवकों को अधिकांश को रोज़गार अवसर, कृषि, सिंचाई, बिजली-उत्पादन, बड़ी सिंचाई स्कीमों के नियंत्रण क्षेत्रों का विकास, कुटीर लघु और मध्यम आकार के उद्योग, सामाजिक सेवाएं, व्यापार, वाणिज्य और दूसरी इतर एवं सम्बद्ध गतिविधियों, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में योजना कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके उपलब्ध कराए जाएंगे। इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ युवकों को भी पर्याप्त मात्रा में रोज़गार अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में 30,000 कालीन बुनने वालों को प्रशिक्षण देने की एक नई स्कीम कार्यान्वित की जाएगी। इस स्कीम के अन्तर्गत करीब-करीब पूरी तरह, ग्रामीण और शहरी युवकों को रोज़गार प्राप्त होगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद डिवीजन के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी

123. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फैदाबाद डिवीजन के स्वतंत्रता सेनानियों के कितने आवेदन पेंशन हेतु उनके मंत्रालय में अभी तक विचाराधीन पड़े हैं ; और

(ख) उनको निपटाने में विलम्ब के क्या कारण है और फैजाबाद डिवीजन के लम्बित पड़े आवेदनों पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क). उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन के स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशनहेतु विचाराधीन आवेदनों की संख्या इस प्रकार है :–

सामान्य	138
आजाद हिन्द फौज	3
जोड़	141

(ख). सभी 138 सामान्य मामलों में, आवेदक अपनी राजनैतिक पीड़ाओं के समर्थन में पर्याप्त लिखित प्रमाण देने में असमर्थ रहे हैं। राज्य सरकार से उनके दावों को सत्यापित कराने और केन्द्रीय पेंशन की स्वीकृत हेतु इन आवेदकों की पात्रता पर अपनी सिफारिशें भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। सीधे आवेदकों से या राज्य सरकार से उनके पात्रता के मान्य प्रमाण प्राप्त होने पर ही ये मामले निपटाये जा सकते हैं।

आजाद हिन्द फौज के 3 मामले विचाराधीन है।

शाहजहांपुर आयुध कारखाने में अधिकारियों के विरुद्ध जांच

124. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध वस्त्र कारखाना, शाहजहांपुर, उत्तर-प्रदेश के बहुत से वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध हाल ही में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो जांच के परिणामस्वरूप क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) कितने अधिकारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख). जी हां। 24 नवम्बर, 1975 को एक मामला दर्ज किया गया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच-पड़ताल कर रहा है।

(ग) इस मामले में दो अधिकारी सम्मिलित हैं। उन पर आरोप है कि आयुध वस्त्र कारखाना शाहजहांपुर को सामग्री सप्लाई करने में उन्होंने एक प्राइवेट पार्टी का पक्षपात किया है।

Instructious for dealing with members of Lok Sabha

125. **Shri M. C. Daga** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government have issued instructons in November, 1974 for observing proper official dealings with the Members of Lok Sabha ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative reforms and Department of Parliamentary Affair (Shri Om Mehta):

(a) Yes, Sir.

(b) The instructions contain guidelines for —

(*i*) observance of proper procedure in official dealings between the Administration and Members of Parliament and State Legislatures, stressing the need for showing courtesy and consideration to Members of Parliament and of State Legislatures, befitting their public duties and constitutional position ;

(*ii*) procedure for interviews with Members of Parliament and State Legislatures ;

(*iii*) proper seating arrangements for them in State functions ; and

(*iv*) expeditious disposal of letters received from Members of Parliament and State Legislatures.

The instructions also lay down that Government servants are not expected to approach a Member of Parliament or of a State Legislature for sponsoring their own cases.

विद्युत सप्लाई के लिए ग्रामीण उद्योगों को ऋण

126. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का विचार विद्युत सप्लाई के लिए ग्रामीण उद्योगों को बड़े पैमाने पर ऋण देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 31-12-1975 तक विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की कुल 476.91 करोड़ रुपये को ऋण सहायता वाली 1046 क्षेत्रीय विद्युतीकरण योजनाएं मंजूर की हैं। ये योजनाएं अन्य कार्यों के लिए बिजली देने के साथ-साथ 1,16,523 ग्राम उद्योगों को बिजली सप्लाई करेंगी।

जानकारी का निर्यात

127. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी जानकारी के निर्यातहेतु 'यू० एन० आई० डी० ओ० की सहायता मांगी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यू० एन० आई० डी० ओ० की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं। फिर, भी, भारत सरकार और यू० एन० आई० डी० ओ० के मध्य हुए एक समझौते के अन्तर्गत सी० एस० आई० आर० (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) प्रौद्योगिकी की जानकारी संबंधी कार्यक्रम में भाग लेता है और आदान-प्रदान करने वाले दुतावासों और उद्योग परामर्शदात्री बैठकों के माध्यम से स्थानांतरण करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में सीमेंट कारखाना

128. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में सामलेटी में सीमेन्ट कारखाना स्थापित करने पर कितनी लागत आने का अनुमान है ; और

(ख) कारखाने के किस तिथि तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश मिनरल एण्ड इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० को सामलेटी में 4.08 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 2 लाख मी० टन की वार्षिक क्षमता का एक सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र स्वीकार किया गया था। निगम ने अब सूचित किया है कि उनके परामर्शदाता ने क्षेत्र की अग्रेतर भूगर्भीय जांच करने की सिफारिश की है। तदनुसार निगम का प्रस्ताव जिआलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया और राज्य सरकार की भूगर्भीय शाखा द्वारा क्षेत्र की जांच करने का है। इस स्थिति में इस समय प्रस्तावित एकक की अन्तिम अनुमानित लागत, क्षमता तथा चालू होने की तिथि बता पाना सम्भव नहीं है।

मोपला-विद्रोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों को पेंशन का दिया जाना

129. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वाधीनता संग्राम के एक भाग के रूप में केरल में मोपला-विद्रोह में जिन व्यक्तियों ने भाग लिया, उन्हें और उनके आश्रितों को पेंशन दिये जाने के बारे में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षा बलों का मनोबल

130. **श्री के० लकप्पा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चीन द्वारा कई बार की गयी भड़काने वाली कार्यवाहियों के बाद से सामरिक महत्व के सीमा क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों का मनोबल उच्च बनाये रखने के लिये आगे कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख). हमारी सुरक्षा सेनाओं का मनोबल ऊंचा बना हुआ है। छुट-पुट उत्तेजक घटनाओं का उनके मनोबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वे हमारी सीमा पर लगातार सतर्कता रख रही हैं।

Schemes to bring about Social and Moral Reforms through Mass Media

131. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaints in regard to broadcasting of obscene and indecent songs and other programmes through radio, television and films; and

(b) if so, whether Government have formulated any scheme with a view to bringing about social and moral reforms through these mass-media.

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) Yes, Sir, complaints have been received occasionally regarding films.

(b) A statement explaining the steps taken is attached. [Placed in the Library. *See* No. LT—10002/76]

आन्ध्र प्रदेश के नलगोंडा तालुक के हरिजन कृषि श्रमिकों पर पुलिस द्वारा अत्याचार

132. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** :

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आन्ध्र प्रदेश में नलगोंडा तालुक के हरिजन कृषि श्रमिकों पर पुलिस के घोर अत्याचारों के विरुद्ध बार-बार दिये गए अभ्यावेदनों के बावजूद अधिकारियों ने दमन को रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। और पुलिस द्वारा निरन्तर सताये जाने के कारण बहुत से परिवार गांव छोड़ कर चले गए हैं और दर्जनों किसानों के कृषि कार्य रुक गये हैं और उनमें बाधा आई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार नलगोंडा तालुक में किसी हरिजन या अन्य किसानों पर ऐसे कोई अपराध नहीं किये गये। इस बारे में आरोपों की जांच की गई है तथा झूठे पाये गये हैं।

सीमा सुरक्षा

133. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश की सीमाओं पर सुरक्षा प्रबंध सुदृढ़ कर दिये हैं; और

(ख) क्या सरकार को सीमाओं पर साम्राज्यवादी एजेंसियों के किसी अतिक्रमण और/अथवा उनके द्वारा आक्रमण किये जाने की आशंका है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सेनाओं के जमाव और बंगला देश के विरुद्ध सैनिक दबाव और खतरे के बारे में भारत के विरुद्ध लगातार झूठा और विद्वेषपूर्ण प्रचार किया जाता रहा है। ऐसे प्रचार का उद्देश्य स्पष्टतः भारत और बंगला देश के बीच तनाव बढ़ाने और गलतफ़हमी पैदा करने का है। भारत सरकार ने इसका खण्डन किया है कि भारत बंगला देश सीमा के साथ-साथ भारतीय सेनाओं की शान्तिकालीन स्थिति से किसी अन्य स्थान पर गतिविधि हुई है।

(ख) इस समय ऐसा कोई संकेत नहीं है।

पिछड़े क्षेत्र औद्योगिक विकास निगम

134. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पिछड़े क्षेत्र औद्योगिक विकास निगम की स्थापना करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख). पिछड़े क्षेत्र औद्योगिक विकास निगम के स्थापित करने का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

Construction of Stakna Hydel Project

135. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred so far on Stakna Hydel Project and the total estimates of expenditure to be incurred thereon;

(b) whether the construction work of this project has been postponed; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) According to the information collected from the Government of Jammu & Kashmir, the total expenditure incurred upto March, 1975 was Rs. 161·94 lakhs. The estimated cost of the project, which was initially Rs. 231 lakhs in 1969, has been revised to Rs. 2240.24 lakhs in April, 1975.

(b) & (c). According to information received from the State Government, a Committee has been constituted to examine all relevant aspects and to assess the possibility of reducing the high cost of the project. Pending the Committee's report, it has been reported that work on the project has been suspended.

मलयालम दैनिक 'देशाभिमान' को 'शंकर्स वीकली' से कार्टून प्रकाशित करने के बारे में चेतावनी दिया जाना

136. **श्री ए० के० गोपालन**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयालम दैनिक 'देशाभिमान' को 'शंकर्स वीकली' में प्रकाशित एक कार्टून को पुनः प्रकाशित करने के बारे में चेतावनी दी गई थी ; और

(ख) क्या उक्त कार्टून के प्रकाशित करने के लिए 'शंकर्स वीकली' के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं। केरल सरकार के साथ राज्य सेंसर द्वारा सम्पादक को मौखिक रूप से यह सलाह दी गई थी कि वह आपत्तिजनक सामग्री पुनः प्रकाशित न करे।

(ख) जी, नहीं।

उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले के रानीपुर जंगल में हरिजन लड़कियों के साथ बलात्कार

137. **श्री सरजू पाँडे :**
श्री हरि सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में रानीपुर जंगल में एक पुलिस अधिकारी तथा एक वन अधिकारी द्वारा तीन हरिजन लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो उन अपराधियों को क्या दण्ड दिया गया है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 15 दिसम्बर, 1975 को जिला बान्दा के पुलिस प्राधिकारियों को एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि 30 नवम्बर, 1975/ 1 दिसम्बर, 1975 को कोल जाति की चार लड़कियों को अवैध रूप से रानीपुर डाक बंगले में रखा गया था और एक पुलिस सब-इन्स्पेक्टर, वन विभाग के एक अधिकारी और एक वन रक्षक समेत चार व्यक्तियों ने उनके साथ बलात्कार किया था। चार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध थाना माणिकपुर में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376/342/323/161 तथा भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की धारा 5(2) के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। दोषी सब-इन्स्पेक्टर को निलम्बित कर दिया गया है तथा लाइन में स्थानान्तरित कर दिया गया है। वन अधिकारी तथा वन रक्षक को निलम्बित करने और उस क्षेत्र से स्थानान्तरित करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक विशेष जांच शाखा की पूरी देख रेख में अपराध जांच विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई के बारे में गोष्ठी

138. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् सप्लाई के बारे में एक गोष्ठी नई दिल्ली में दिसम्बर, 1975 में आयोजित हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गईं तथा उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) विचार गोष्ठी का आयोजन भारतीय केबल और कंडक्टर्स निर्माता संघ, ग्राम विद्युतीकरण निगम और राष्ट्रीय युवा उद्यमी संगठन ने मिलकर किया था। विचार-गोष्ठी में की गई सिफारिशें अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं।

प्रधान मंत्री का 20-सूत्रीय कार्यक्रम

139. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि 20-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेषकर नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करने, कृषि श्रमिकों तथा गरीब किसानों को आर्थिक दशा सुधारने और निर्धनता के स्तर से भी नीचे जीवन-यापन करने वाली जनसंख्या में कमी करने के संदर्भ में, भौतिक तथा वित्तीय दृष्टि से अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का विवरण सलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०—10003/76] इन कार्यक्रम में ऐसे कई उपाय हैं जिनसे अतिरिक्त रोजगार अवसर तथा आय प्राप्त होगी, उत्पादन बढ़ेगा और कमजोर वर्गों को राहत मिलेगी। पिछले छः महीनों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्याप्त प्रगति हुई है। गरीबी को इतने कम समय में समाप्त नहीं किया जा सकता। योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से गरीबी निःसन्देह घटेगी। 20 सूत्री कार्यक्रम का रोजगार जैसे वृहद् आर्थिक परिवर्तनों पर क्या प्रभाव हुआ है, यह बताना अभी सम्भव नहीं है।

राजनीतिक बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार

140. **श्री समर मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बार-बार ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि देश के लगभग सभी राज्यों की विभिन्न जेलों में बन्द राजनीतिक कैदियो के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें अमानुषिक स्थिति में रखा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). केवल तीन राज्यों की कुछ जेलों में कैदियो के साथ दुर्व्यवहार करने तथा उन्हें दी गई अपर्याप्त सुविधाओं के बारे में कुछेक शिकायतें प्राप्त होने की सूचना है। इन पर तुरन्त ध्यान दिया गया और राज्य सरकारों द्वारा उन मामलों में जहां शिकायतें उचित पाई गई, सुधारात्मक कार्यवाही की गई। अधिकांश शिकायतें ठीक नहीं पाई गईं।

अमरीका के बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियाँ

141. **श्री मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 11 मई, 1975 के 'न्यूयार्क टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिया गया है कि अमरीका के बहुराष्ट्रीय निगमों का उपयोग विदेशों में सी० आई० ए० की गुप्त गतिविधियों को आश्रय देने के लिये किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है कि क्या भारत में भी ऐसी स्थिति है ; और

(ग) यदि हां, तो अमरीका के बहुराष्ट्रीय निगमों की आड़ में भारत में होने वाली सी० आई० ए० की गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). सरकार सी० आई० ए की गतिविधियों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यों के बीच के सम्पर्कों की स्थिति से अवगत है। इस सम्बन्ध में अत्यधिक सतर्कता बरती जाती है। इस मामले में की गई कार्यवाही को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

आर्यभट्ट में प्रयुक्त उपकरण

142. **श्री बी० आर० शुक्ल :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्यभट्ट में प्रयुक्त सभी उपकरण स्वदेशी हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विदेशी सहयोग किस सीमा तक है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :(क) और (ख). सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ द्वारा निःशुल्क प्रदान किये गये और पैनलों, रासायनिक बैटरियों, प्रचक्रण बोतलों और दो टेप रिकार्डरों के अतिरिक्त आर्यभट्ट में प्रयुक्त हुये सभी प्रौद्योगिकीय और वैज्ञानिक उपकरण देश में ही डिजाइन और निर्मित किये गये थे। जो अन्तरिक्ष-परिमाणीकृत उपकरण देश में ही उपलब्ध नहीं थे, वे विभिन्न देशों से क्रय किये गये ।

लघु उद्योग क्षेत्र में घड़ियाँ

143. **श्री भाऊ साहिब धामनकर** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय विद्यमान घड़ी निर्माता कारखानों की घड़ी तथा अलार्म घड़ी बनाने की कुल वार्षिक क्षमता कितनी है तथा उनकी मांग कितनी है;

(ख) क्या मांग और उत्पादन के अन्तर को समाप्त करने के लिये सरकार प्रत्येक राज्य में लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत कम से कम एक-एक कारखाना स्थापित करने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इन कारखानों के लिये आवश्यक तकनीकी जानकारी, कलपुर्जे आदि दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 1978-79 के अन्त तक घड़ियों, एलार्म घड़ियों तथा दीवाल घड़ियों की अनुमानित मांग निम्न प्रकार होगी :—

घड़ियां .	60 लाख प्रति वर्ष
टाइम पीस . .	20 लाख प्रति वर्ष
दीवाल घड़ियां (क्लाक) .	3 लाख प्रति वर्ष

संगठित क्षेत्र में इन वस्तुओं की कुल विद्यमान क्षमता निम्न प्रकार है :—

घड़ियां .	16.39 लाख प्रति वर्ष
एलार्म टाइम पीस	13.35 लाख प्रति वर्ष
क्लाक (दीवाल घड़ियां) . .	3.15 लाख प्रति वर्ष

इनके अतिरिक्त सरकार ने और भी वार्षिक क्षमता निम्न प्रकार से स्वीकृत की है :—

घड़ियां . . .	23.40 लाख
एलार्म टाइम पीस .	कुछ नहीं
दीवार घड़ियां . . .	कुछ नहीं

कलाई घड़ियों की लघु क्षेत्र में स्वीकृत और वार्षिक क्षमता 6.58 लाख है ।

(ख) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) ने एक राज्य में कलाई घड़ियों और उनके पुर्जों का प्रगामी रूप से निर्माण करने और संयोजन करने के लिये प्रारम्भिक तौर पर एक एकक की स्थापना करने का कार्यक्रम अपनाया है। विभिन्न राज्यों के अब तक 13 प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं। अलार्म घड़ियों के लिये ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ग) आवश्यक मात्रा में जानकारी मै० हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर से उपलब्ध की जाएगी। स्वीकृत एककों को पुरजे और हिस्से पूर्णरूपेण खुली हुई स्थिति में आयातित करने की अनुमति दी गई है। जिसकी मात्रा प्रगामी रूप से कम होती रहेगी।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

144. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का समाधान निकालने के लिये नये प्रयास किये गये हैं और उनमें कितनी सहायता मिली है ;

(ख) क्या सरकार 19 अगस्त, 1974 को सदन में दिये गये अपने आश्वासन को, कि विवाद अगले लोक सभा निर्वाचन से पूर्व निपटा दिया जाएगा, पूरा करना चाहती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में किस प्रकार आगे बढ़ने का विचार है और इस बारे में क्या कार्यक्रम है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) (क) से (ग). इस विवाद का समाधान निकालने के लिये सरकार अपने सतत प्रयास कर रही है और इस स्तर पर कोई विवरण देना सफल प्रयासों के हित में नहीं होगा ।

Payment of Compensation for Land acquired for setting up of Atomic Power Station in U.P.

145. **Shri Hari Singh** :Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state

(a) whether the arrears of compensation in lieu of the land acquired from the farmer of village Narora, district Bulandshahr, Uttar Pradesh for setting up an atomic power station there have not been paid to them so far; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Planning, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Compensation for the land acquired from the farmers of village Narora, District Bulandshahr, as awarded by the Collector has been paid. In the case of absentees, the amount has been kept in Revenue deposit and will be paid when it is claimed.

मई, 1975 में कोयले के भण्डार की स्थिति

146. **श्री नाथूराम सिंह चौधरी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1975 की तुलना में मई, 1975 में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा धूले हुये और बिना धुले हुये कोयले का कम उत्पादन किया गया ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मई, 1975 में कोयले का कितना स्टाक था ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हां ।

(ख) उत्पादन कम होने के निम्नलिखित कारण थे :–

(1) अत्यधिक गर्मी के कारण श्रमिकों द्वारा खुदाई के काम में बाधा पड़ना ;

(2) बिजली की रुकावट तथा लोड का कम होना ;

(3) शादियों के दिन होने के कारण अधिकतर मजदूरों का गैरहाजिर रहना ;

(4) भारी स्टाक तथा कोयला डिपो में भारी जमाव के कारण स्टाक में आग लगना ; तथा

(5) स्टाक के कम होने तक लदान स्थल से मिट्टी हटाने वाली भारी मशीनो को अस्थायी रूप से हटा लेना ।

(ग) 17.9 लाख टन ।

पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार-पत्रों को डी० ए० वी० पी० तथा राज्य सरकार से विज्ञापन

147 **श्री टुना उराँव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ैनिक चन्द्रभागा (सूरी, पश्चिम बंगाल); दैनिक दामोदर (बर्दवान, पश्चिम बंगाल); स्वीकृति (बर्दवान, पश्चिम बंगाल), दैनिक जनपद (त्रिपुरा), दैनिक प्रतिज्योति (सिलचर, आसाम), जैसे जिला स्तर के छोटे दैनिक समाचारपत्रों को डी० ए० वी० पी० और राज्य सरकार के विज्ञापन नहीं दिये जाते ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). सरकार विज्ञापनों के लिए छोटे और मंझोले दर्जे के समाचारपत्रों का यथासंभव अधिक से अधिक उपयोग कर रही है । "दैनिक चन्द्रभागा", "दैनिक प्रतिज्योति" और "स्वीकृति" ने विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों में कोई चि नहीं दिखायी है । इन समाचारपत्रों से किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं मिला है ।

"दैनिक दामोदर" ने सितम्बर, 1975 में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को लिखा था । औपचारिकतायें पूरी करने के बाद, इस पत्र को अब विज्ञापन जारी किये जा रहे हैं ।

"दैनिक जनपद" को भी विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन मिल रहे हैं ।

राज्य सरकारें समाचारपत्रों को अपने विज्ञापन सीधे जारी करती हैं ।

अखबारी कागज की चोर-बाजारी की शिकायतें

148. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जिनकी सरकार को गत तीन वर्षों में अखबारी कागज की चोर-बाजारी करने की शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० ी०--10004/76]

(ख) जहां तक आयातित अखबारी कागज का सम्बन्ध है, आयात और निर्यात (नियंत्रण), अधिनियम, 1947 के सम्बन्धित खंड के अन्तर्गत, जहां भी आवश्यक समझा जाता है, आयातित अखबारी कागज के दुरुपयोग के लिये दोषी पाये जाने वाले लोगों के विरुद्ध आयात लाइसेंस न देने या आयातित सामग्री आवंटित न करने और अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग चलाने की कार्यवाही की जाती है ।

अखबारी कागज प्राप्त करने वाले समाचारपत्रों को अखबारी कागज के आवंटन के लिये अपने आवेदनपत्र के साथ अखबारी कागज पिछले वर्ष जिस प्रयोजन के लिये आवंटित किया गया था उसी प्रयोजन हेतु उसकी खपत के बारे में चार्टर्ड लेखाकार के प्रमाण-पत्र देने होते हैं । नए समाचारपत्रों को आवेदित भाग के 10 प्रतिशत मूल्य के लिये अनुसूचित बैंकों द्वारा विधिवत गारंटी शुदा बांड देना होता है और ये बांड चार्टर्ड लेखाकार द्वारा प्रमाणित खपत के सन्तोषजनक प्रमाण के प्राप्त होने पर ही रिलीज किये जाते हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी स्थापित करने की योजना

149. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की स्थापना की योजना अभी रोक दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आपात-स्थिति की घोषणा के बाद विध्वंसक और हिंसक गतिविधियाँ

150. **श्री समर गुह :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात-स्थिति की उद्घोषणा के बाद सरकार को किन्हीं तोड़-फोड़ की अथवा हिंसक गतिविधियों का पता लगा है ;

(ख) आपात-स्थिति की अवधि में विभिन्न स्थानों पर गोली चलाने और लाठी-चार्ज की कितनी घटनायें हुई ; और

(ग) पुलिस कार्यवाही के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुये ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जब कि आपात-स्थिति की उद्घोषणा के बाद देश में सामान्य रूप से विधि और व्यवस्था की स्थिति कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रही है सरकार को कुछ वामपंथी और लड़ाकू दलों द्वारा जनजीवन को अस्त-व्यस्त करने वाली भूमिगत गतिविधियों के बारे में जानकारी है और सरकार इससे निपटने के लिये समय-समय पर उचित कदम उठाती रही है ।

(ख) और (ग). त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सरकार तथा अन्दमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने या लाठी चलाये जाने के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है । अन्य राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना की प्रतीक्षा है ।

1975–76 में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति

151. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975–76 के लिये निर्धारित ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो आगामी वित्तीय वर्ष के लिये क्या नये प्रस्ताव हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) वर्ष 1975–76 के लिये निर्धारित किये गये ग्राम विद्युतीकरण के लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धियां क्या हुई हैं, इसका मूल्यांकन वित्त वर्ष के समाप्त होने के बाद किया जाएगा ।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण के वर्ष 1976–77 के कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

Industries in Selected Regions

152. **Shri Bibhuti Mishra** :Will the Minister of **Industry and Civil** Supplies be pleasedt* state:

(a) whether since Independence, industries have been set up only in selected regions;

(b) if so, the names of those regions;

(c) whether Government plan to accord priority, in the matter of establishing industry, to the areas where industries have not been set up; and

(d) if so, main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P: Maurya): (a) to (d). A statement is attached.

(Placed in the Library. See No. LT—10005/76]

त्रिपुरा में कागज और लुगदी का कारखाना

153. **श्री ए० के० किस्कू** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कागज और लुग्दी के एक कारखाने की संभाव्यता के बारे में विचार करने हेतु एक तकनीकी दल ने 2 अप्रैल, 1975 को एक बैठक आयोजित की थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या निर्णय लिया गया ; और

(ग) सरकार ने इस दल के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग). राज्य सरकार से इस मामले के तथ्यों का सुनिश्चिय किया जा रहा है और सूचना प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

समाचार ऐजेंसियों द्वारा संचार सुविधाओं हेतु ऋणों तथा बिलों की अदायगी

154. **श्री बसंत साठे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समाचार ऐजेंसियों ने संचार सुविधाओं के लिये सरकारी ऋणों और बिलों की वापिसी अदायगी नहीं की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :

(क) और (ख) :— समाचार भारती ने नीचे दिये गए ऋण नहीं लौटाए हैं :—

(1) मंजूर की गई किस्त की राशि	वापसी की नियत तारीख	राशि
रुपये		रुपये
(1) 75,000	1-1-72	7,500
5-5-1967 को	1-1-73	7,500
	1-1-74	7,500
	1-1-75	7,500
	1-1-76	7,500
योग .		37,500
(2) 75,000	14-2-74	7,500
21-2-69 को	14-2-75	7,500
योग .		15,000
कुल योग : .		52,500

न लौटाई गई राशि पर 8½ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अलग है ।

समाचार भारती से बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने के लिये कह दिया गया है ।

जहां तक डाक तार विभाग द्वारा दी जाने वाली संचार सुविधाओं का सम्बन्ध है 18 दिसम्बर, 1975 को कुछ राशि बकाया थी, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

एजेंसी का नाम	सरकिट	टेलीफोन	तार	योग
	(आंकड़े हजार	पयों में)		
यू० एन० आई० . .	628	26	56	710
पी० टी० आई . .	119	28	12	159
समाचार भारती .	196	18	9	223
हिन्दुस्तान समाचार	151	5	35	191
योग : .	1094	77	112	1283

बकाया राशि वसूल करने के लिये कार्रवाही की जा रही है ।

ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की उपयोग-पद्धति

155. श्री बसंत साठे : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की उपभोग-पद्धति में गत् दशक में स्पष्ट परिवर्तन आया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) देश में कोयले की विशाल क्षमता को ध्यान में रखते हुये ईंधन के रूप में तेल के प्रयोग को रोकने और कोयले को ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में पुनः रखने के लिये क्या विशेष प्रयास किये गये हैं/करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1960–61 से 1970–71 के दशक में उपभोग पद्धति में जहां एक और कोयले के और ऊर्जा के परम्परागत रूपों से इतर रूपों के प्रत्यक्ष उपयोग के प्रतिशत भागों में कमी हुई है वहां तेल और बिजली के प्रत्यक्ष उपयोग के प्रतिशत भागों में वृद्धि हुई है ।

(ख) कोयले के स्थान पर अन्य ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किये जाने के लिये जो कदम उठाए गए थे उनके फलस्वरूप ऊर्जा की समूचे उपभोग पद्धति में ऊर्जा के विभिन्न रूपों के उपभोग की वष 1960–61 और 1970–71 की तुलनात्मक प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

	1960–1961	1970–71
कोयला (प्रत्यक्ष उपयोग)	16.3 प्रतिशत	13.8 प्रतिशत
तेल (प्रत्यक्ष उपयोग)	17.6 प्रतिशत	25.9 प्रतिशत
बिजली	6.3 प्रतिशत	12.6 प्रतिशत
गैर-वाणिज्यिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा	59.8 प्रतिशत	47.7 प्रतिशत

ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में 1960–61 में 47.1 मिलियन टन कोयला इस्तेमाल हुआ था । 1970–71 के दौरान इसका इस्तेमाल बढ़ कर 68.5 मिलियन टन हो गया ।

(ग) अक्तूबर, 1973 से तेल के मूल्य में हुई वृद्धि और परिणामस्वरूप विश्व की ऊर्जा सम्बन्धी स्थिति में हुये परिवर्तनों के कारण विभिन्न प्रकार के कदम उठाये गये थे । ये कदम मुख्यतः अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तेल की खपत को कम करने के प्रयोजन से उठाये गये थे। ये निम्नलिखित हैं :—

(1) विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने के लिये कर सम्बन्धी कदम

(2) जहां कहीं सम्भव था, उद्योगों के तेल-ईंधन से चलने वाले बायलरों (वाष्पित्रों) को कोयले से चलने वाले बायलरों (वाष्पित्रों) में बदलना ।

(3) तेल से चलने वाले कुछ ताप विद्युत् केन्द्रों को कोयले से चलने वाले केन्द्रों में परिवर्तित करना । इसके अतिरिक्त, ताप विद्युत केन्द्रों में तेल के आनुषंगिक प्रयोग को कम करने के लिये भी कदम उठाये गये थे ।

(4) उद्योगों के क्षेत्र में, विद्युत् और रेल के क्षेत्रों में तेल-उत्पादों के उपयोग से ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाये इस हेतु उठाये गये कदम ।

इस स्थिति का सामना करने के लिये अनेक दीर्घावधि कदम उभी उठाये जा रहे हैं। इस प्रकार के ये कदम ये हैं :—

(1) जहां तक सम्भव हो कोयले का उर्वरक के लिये पूरक भण्डार के रूप में प्रयोग ।

(2) साफ्ट कोक का उत्पादन बढ़ाना और घरेलू इस्तेमाल में उसका प्रयोग बढ़ाना ।

(3) ऊर्जा की बचत करने के बारे में मार्ग-दर्शन करने के लिये नीति निर्धारण ।

Shortage of Newsprint and rise in its price

156. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether several newspapers are facing difficulties because of shortage of newsprint and increase in its price; and

(b) if so, the steps taken by Government in this direction so that the publication of the newspapers is not stopped and the problem of unemployment does not arise?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) & (b) There is no shortage of newsprint at present. As regards increase in price of newsprint, the newspapers have the option to take their entitlement in Nepa newsprint, which is cheaper, depending on the size of their requirement.

सीमेंट का उत्पादन

157. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत अक्तूबर में सीमेंट के मूल्य तथा उसके वितरण पर नियंत्रण लगाया था ।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) वर्ष 1974 और 1975 में सीमेंट का कुल उत्पादन कितना हुआ ; और

(घ) खुले बाजार में सीमेंट की बोरी किस दर पर बिक रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क). सीमेंट का मूल्य और वितरण सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के उपबन्धों के नियंत्रणाधीन है । फिर भी, सीमेंट की कुछ विशेष किस्में जैसे हाइड्रोफोबिक सीमेंट और विशिष्ट सरफेस वाला ग्रे सीमेंट (जो 3500 सी० एम० 2/जी से कम नहीं) आदि किस्मों के सीमेंट जो पहले मूल्य और वितरण नियंत्रण की सीमा से बाहर थे । अक्तूबर, 1975 से नियंत्रण में ले लिया गये हैं ।

(ख) वर्ष 1974 में और उसके बाद यह देखा गया था कि कुछ सीमेंट उत्पादनकर्ताओं ने बड़ी मात्रा में विशेष किस्म का सीमेंट बनाना और आम जनता को बहुत ऊंची कीमतों पर बेचना शुरू कर दिया था । इस प्रकार की सीमेंट का बड़ी मात्रा में उत्पादन करने से आम जनता और सरकारी विभागों को आपूर्ति करने के लिये सीमेंट की सामान्य (नियंत्रित) किस्म के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा । अतः इस प्रकार की विशेष किस्मों के सीमेंट के मल्य और वितरण पर भी । अक्तूबर, 1975 से नियंत्रण लगा दिया गया था ।

(ग) वर्ष 1974 और 1975 की अवधि में सीमेंट का उत्पादन क्रमशः अनुमानतः 142.70 लाख मीट्रिक टन और 160.00 लाख मीट्रिक टन था ।

(घ) सीमेंट का खुदरा विक्रय मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत रेल-भाड़ा, भुक्त-मूल्य, "लागत पर" लगाये गये स्थानीय प्रभार एवं बिक्री कर राज्य-क्षेत्र विशेष में लागू चुंगी प्रभारों को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित किया जाता है । अतः एक राज्य से दूसरे राज्य में मूल्य अलग-अलग होता है । फिर भी, अधिकतर राज्यों में सीमेंट का खुदरा मूल्य 20 रुपये से 21 रुपये प्रति बोरी है ।

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में उपग्रह कार्यक्रम

158. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े कुछ क्षेत्रों के लिये उपग्रह-कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ; और

(ख) आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए शेष क्षेत्रों के लिये भी कब तक कार्यक्रम आरम्भ कर देने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क) जी हां ।

(ख) यह प्रयोग जो 1 अगस्त, 1975 को आरम्भ हुआ था, 31 जुलाई, 1976 को समाप्त होगा । इस प्रयोग के अन्तर्गत केवल निम्नलिखित छः राज्य आते हैं :—

(1) राजस्थान

(2) बिहार

(3) उड़ीसा

(4) मध्य प्रदेश

(5) आंध्र प्रदेश

(6) कर्नाटक

इस प्रयोग का अन्य क्षेत्रों में विस्तार करना सम्भव नहीं है । तथापि, उपग्रह शैक्षणिक दूर-दर्शन प्रयोग के अन्तर्गत आने वाले कुछ गांवों में जुलाई, 1976 के बाद भी टेलीविजन सेवा जारी रखने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ।

आसनसोल के कोयला खान क्षेत्रों में दुर्घटनायें

159. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आसनसोल कोयला खान क्षेत्रों में एक सप्ताह के भीतर ही दो गंभीर खान दुघटनाएं हुई थीं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जिनकी लापरवाही से खनिकों की जानें गईं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) आसनसोल के निकट रानीगंज कोयला क्षेत्रों में दो गंभीर खान दुर्घटनाएं हुई जिनमें से एक 5–12–75 को माडर्न सतग्राम कोलियरी में तथा दूसरी 18–12–75 को चिंकुरी कोलियरी में हुई।

(ख) उपर्युक्त दोनों दुर्घटनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) ईस्टन कोल फ़ील्ड्स लि० के अन्तर्गत जेमेहारी कोलियरी की माडर्न सतग्राम यूनिट में 5 दिसम्बर, 1975 को प्रातः लगभग 6.45 बजे छत गिरने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(2) ईस्टर्न कोल फ़ील्ड् लि० के अन्तर्गत चिंकुरी 1–2 पिट्स कोलियरी में 18 दिसम्बर, 1975 को प्रातः लगभग 4.30 बजे छत गिरने के कारण एक दुर्घटना हुई, जिसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए तथा एक को कुछ चोट आई।

(ग) ईस्टर्न कोल फ़ील्ड्स तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उपर्युक्त दुर्घटनाओं की अलग-अलग रूप से जांच की है। उपर्युक्त जांचों के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

क्षतिग्रस्त टेलीवीजन स्टूडियो का पुनः चालू होना

160. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक टेलीविजन स्टूडियो क्षतिग्रस्त हो गया था तथा बेकार हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त स्टूडियो की मरम्मत की जा चुकी है तथा उसे कार्य योग्य बना लिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह क्षति 28–6–75 को दोपहर के लगभग 4.30 बजे आग लग जाने के कारण हुई। इससे स्टूडियो भवन, अकोउस्टिक ट्रीटमेंट और अन्य तकनीकी नियंत्रण क्षेत्रों को क्षति हुई।

(ग) जी, हां।

इंजीनियरिंग एककों का राष्ट्रीयकरण

161. **श्री रानेन सेन :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रेथवेट, बर्न तथा इण्डियन स्टेण्डर्ड वैगन नामक तीन इंजीनियरिंग एककों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार इन इंजीनियरिंग एककों के मालिकों को मुआवजा दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

केरल में उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता

162. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य के उद्योग मंत्रालय की वहां उपलब्ध कच्ची सामग्री तथा जनशक्ति से केरल में 10,000 उद्योग स्थापित करने की योजना की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस औद्योगिक विकास के लिये वित्तीय सहायता दी है?

नागरिक और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने योजना आयोग को दिये गये अपने योजना प्रस्ताव में पांचवीं योजनावधि में 10,500 औद्योगिक एकक स्थापित किये जाने का लक्ष्य बताया है। इनमें वर्ष 1974–75 की अवधि में 500 औद्योगिक एकक स्थापित कर दिये गये थे। वर्ष 1975–76 में 1000 एककों के स्थापित्त होने की संभावना बताई जाती है और वर्ष 1976–77 का लक्ष्य 2000 एककों की स्थापना का है। राज्य सरकार ने इन्हीं लक्ष्यों के आधार पर अपनी वित्तीय आवश्यकताएं भेजी हैं। योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार से विचार-विमर्श करने के उपरान्त राज्य की योजना की समग्र रूपरेखा को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

नागालैंड में शान्ति स्थापना के लिए प्रयास

163. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड में शांति-स्थापना के लिए उचित दिशा में किये जा रहे प्रयासों से वहां शीघ्र ही एक शांतिपूर्ण वातावरण का उद्‌भव हो जायेगा; और

(ख) क्या 'फ़ेड्रल गवर्नमेंट' ने यह स्वीकार कर लिया है कि श्री फ़िजो भारतीय संविधान के प्रभाव क्षेत्र में रहते हुए ही नागा समस्या को हल करने के लिये केन्द्र सरकार के साथ बात चीत करने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर सकते हैं?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख). भूमिगत नागा के निम्नलिखित प्राधिकृत प्रतिनिधियों के साथ 11 नवम्बर, 1975 को शिलांग में एक समझौता हुआ था :–

1. श्री आई० तेमजेंवा
2. श्री एस० दाहरू
3. श्री वीनयीयी
4. श्री जैड० रामयो
5. श्री एम० अस्सा
6. श्री केवी यालयाय

समझौता इस प्रकार है :—

(1) भूमिगत संगठनों के प्रतिनिधियों ने बिना शर्त भारत का संविधान स्वीकार करने के लिए अपने संकल्प का निर्णय सूचित किया।

(2) यह सहमति हुई कि अब भूमिगत शस्त्रों को बाहर लाया जायेगा और निर्धारित स्थानों पर जमा करा दिया जायेगा। इस समझौते को कार्यान्वित करने के लिये ब्यौरे, उनमें तथा सरकार के प्रतिनिधियों, सुरक्षा बलों और सम्पर्क समिति के सदस्यों के बीच तैयार किये जायेंगे।

(3) यह सहमति हुई कि भूमिगत संगठनों के प्रतिनिधियों को अंतिम समझौते के लिये विचार विमर्श हेतु अन्य प्रश्नों को सूचीबद्ध करने के लिए उपयुक्त समय दिया जाना चाहिये।

समझौते के कार्यान्वियन में संतोषजनक प्रगति हो रही है।

मिराज लड़ाकू विमान

164. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्रांस से मिराज लड़ाकू विमान खरीदने का निर्णय किया है और फ्रांस की सहायता से 'मिराज कम्पलैक्स' स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

बिहार और आन्ध्र प्रदेश में यूरेनियम की चोरी

165. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में जादुगुडा में और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्थित यूरेनियम संयंत्र में अभी भी यूरेनियम की चोरी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

यूरेनियम का उत्पादन

166. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित यूरेनियम को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर बेचा जा सकता है; और

(ख) क्या भारत यूरेनियम के उत्पादन के मामले में आत्म-निर्भर हो गया है और क्या वह उसको निर्यात करने की स्थिति में है जिससे पर्याप्त माता में विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). भारत में यूरेनियम का उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में प्रतियोगी दर पर होता है, क्योंकि उत्पादित यूरेनियम की आवश्यकता हमारी अपनी ही जरूरतों को पूरा करने के लिए है, अतः इसके निर्यात का अभी प्रश्न ही नहीं उठता है।

लघु उद्योगों के लिए राष्ट्रीय विपणन संगठन

167. **श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों की सहायता करने के लिये राष्ट्रीय विपणन संगठन स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख). लघु उद्योगों के उत्पादों की बिक्री बढाने और उनकी सहायता करने के लिए एक संगठन स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

Preparation of Fifth Plan

168. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether Government have given up the idea of preparing the Fifth Five Year Plan; and

(b) if not the reasons for not preparing it so far ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri I. K. Gujral): (a) No, Sir.

(b) The draft Fifth Five Year Plan was formulated in terms of 1972-73 prices and in light of the economic situation obtaining at early part of 1973-74. There was a sharp rise in prices within the country in 1973-74 and in the first half of the fiscal year 1974-75. The international prices of crude oil have registered a more than four-fold increase and the prices of various imported raw materials/inputs also registered very substantial increase during this period. While the price situation at home has stabilised to some extent, the international situation still remains fluid. These developments have influenced to varying degrees in financial and physical magnitudes adopted in the draft Fifth Five Year Plan. It, therefore, became necessary to have a fresh look at the resources and the *inter-se* priorities as set out in the draft Fifth Five Year Plan. While the relevant exercises for this purpose have been under way within the Commission, the presentation of the complete picture has been delayed on account of uncertainties, particularly in the international economic situation.

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

169. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यवार कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने पेंशन के लिए आवेदन पत्र दिये और उनमें से कितने व्यक्तियों को अब तक पेंशन मंजूर की गई ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-10006/76]

Murder of Naxalites in Ghorhuan village of Nasaudi Block in Patna District

170. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the C.R.P. and other police officials had committed grue-some murder of 15 so-called naxalites in Ghorhuan village of Masaudi Block in Patna district on the 3rd June, 1975;

(b) whether before committing these murders, the police set on fire the harijan basti in which four persons were burnt alive;

(c) whether the Bihar State Council of the Communist Party of India and other organisations and individuals have demanded judicial enquiry into this incident; and

(d) if so, the reaction of Government in regard to this demand ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) No, Sir.

While a CRPF party was on patrol duty in Ghorhuan village of Masaudi Block in Patna District, Bihar, on 3rd June, 1975, it was attacked by a group of extremists with bombs, gun-fire , etc. In the encounter which followed 15 Naxalites were killed and one was injured. On the police side one CRPF Sub-Inspector was killed and a CRPF L/Naik, a CRPF Jawan and a dozen State Police officials were injured. Three rifles, four muskets, one ·38 service revolver in addition to large quantity of ammunition, bombs, police uniforms, swords, spears and Naxalite literature were recovered from the extremists.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Secretary, Bihar State Council of CPI wrote to the Government of Bihar to set up a judicial enquiry. The State Government did not consider a judicial enquiry necessary because firstly, senior officers had already enquired into the matter and secondly a committee headed by a senior membeorf the State Assembly is presently looking into the matter.

प्रधान मंत्री के 20-सूत्रीय कार्यक्रम को राज्यों में कार्यान्वित न किया जाना

171. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ इस प्रकार के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि कुछ राज्य प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20-सूत्रीय कार्यक्रम को समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या कुछ राज्यों के कुछ विख्यात व्यक्तियों ने केन्द्र से इस बारे में शिकायत की है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार ने विशेष रूप से गुजरात और तमिलनाडु राज्य सरकारों द्वारा 20-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को लागू न करने के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ समाचारों को देखा है।

(ख) और (ग). जी हां, श्रीमान्। 20-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को लाग करने का काम सभी राज्यों में सरकार की लगातार निगरानी और देखरेख में हो रहा है।

आपात-स्थिति की घोषणा के बाद देश में धार्मिक तथा साम्प्रदायिक दंगे

173. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् देश के विभिन्न भागों में कोई धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं; और

(ख) यदि किन्हीं स्थानों पर दंगे हुए हैं तो ऐसे स्थान कितने तथा कौन-कौन से हैं तथा उनके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) और (ख). प्राप्त सूचना के अनुसार आपात-स्थिति की घोषणा के बाद देश में कोई गंभीर प्रकृति के साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। वास्तव में, आपात-स्थिति की घोषणा के बाद देश की साम्प्रदायिक स्थिति में सुधार दिखाई दिया है। फिर भी, जुलाई से नवम्बर, 1975 तक की अवधि में देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिकता की 58 छुटपुट घटनाएं सूचित की गई हैं। ये घटनाएं विविध कारणों से हुई थीं जिनमें अधिकांश व्यक्तियों की आपसी लड़ाई के कारण हुई थीं जबकि कुछेक धार्मिक झगड़ों और भूमि/सम्पत्ति के झगड़ों पर आधारित थीं।

भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियाँ

176. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सी०आई०ए० की गतिविधियां बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सी०आई०ए० द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस बढ़ते हुए भय का सामना करने के लिए अन्य क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). सरकार को देश में सी०आई०ए० सहित विदेशी जासूसी एजेन्सियों की गतिविधियों की पहुंच के बारे में जानकारी है और इस मामले में पूरी सतर्कता बरत रही है। इस बारे में की गई कार्रवाई का विवरण बताना जनहित में नहीं होगा।

आकाशवाणी के कर्मचारियों और स्टाफ आर्टिस्टों के मामले में वेतन आयोग के प्रतिवेदन की क्रियान्विति

177. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कर्मचारियों और स्टाफ आर्टिस्टों के मामले में वेतन आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) आकाशवाणी के नियमित कर्मचारियों के बारे में तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट कार्यान्वित की जा रही है। इस रिपोर्ट में आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के बारे में कोई सिफारिश नहीं है, क्योंकि यह विषय उसके अधिकार क्षेत्र और विचाराधीन विषयों में शामिल नहीं था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा प्रतिष्ठानों में पर्यवेक्षकों तथा सम्बद्ध श्रेणियों के वेतनमान

178. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुध कारखानों तथा अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों में पर्यवेक्षकों तथा सम्बद्ध श्रेणियों के वेतनमानों को अन्तिम रूप नहीं दिया है;

(ख) क्या कर्मचारियों में इससे वास्तविक असतोष है; और

(ग) यदि हां, तो वेतनमानों को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विट्ठल गाडगिल) : (क) से (ग). पर्यवेक्षक 'ए' तकनीकीवर्ग को छोड़कर शेष पर्यवेक्षकों तथा सम्बद्ध श्रेणियों के वेतनमानों को अधिसूचित कर दिया गया है। पर्यवेक्षक 'ए' तकनीकी वर्ग के बारे में मामले को यथाशीघ्र निपटा दिये जाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

जालन्धर में टेलीविजन केन्द्र

179. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार जालंधर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : जी, हां।

संगणकों का आयात

180. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या इलेक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संगणकों के आयात पर रोक लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) तथा (ख). सरकार ने अभिकलित्रों (कम्प्यूटरों) के आयात पर नियन्त्रण करने का निश्चय इस बात का इतमीनान करने के लिए किया है कि इस प्रकार के आयात राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए ही किये जायें। पहले इस बात की पुष्टि कर ली जायेगी कि समरूप अभिकलित्र प्रणालियों का उत्पादन देश में नहीं हो रहा है और क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय अभिकलित्र केन्द्रों द्वारा प्रयोगकर्ता को अपेक्षित स्तर की अभिकलनी सेवा नहीं प्रदान की जा सकती। स्वीकार्य उपयोगों के लिए आवश्यक अभिकलित्र विन्यास का विवरण

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा प्रयोगकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जायगा; तत्पश्चात् इलेक्ट्रानिकी विभाग उपयुक्त अभिकलित्र (कम्प्यूटर) का आयात करने के लिए प्रतियोगिता के आधार पर निविदाएं आमंत्रित करेगा। इस प्रकार प्राप्त निविदाओं का विशेषज्ञ समिति द्वारा तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकन किये जाने के पश्चात्, एक उच्च स्तरीय समिति इसे अन्तिम अनुमोदन प्रदान करेगी और इसके लिए समुचित विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करेगी।

उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में उद्योग

181. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में वर्ष 1976 में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ख) वर्ष 1975 में वहां उद्योग स्थापित करने के लिये कितने लाइसेंस दिये गये; और

(ग) उन उद्योगों की संख्या कितनी है जिनकी स्थापना के बारे में काम आरम्भ हो चुका है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) भविष्य में आरम्भ किये जाने वाले उद्योगों की संख्या बताना कठिन है।

(ख) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद प्रखण्ड में उद्योग स्थापित करने के लिए वर्ष 1975 के दौरान (नवम्बर, 1975 तक) 2 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये थे।

(ग) योजना के कार्यान्वियन में औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने की तिथि से सामान्यतया दो से तीन वर्ष लग जाते हैं।

शाहजहाँपुर आयुध कारखाने में चोरियाँ

182. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश की आर्डिनेन्स फैक्टरी में चोरी की घटनाएं बढ़ गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों में कितने मामलों का पता चला और उन मामलों में क्या कार्यवाही की गई ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विट्ठल गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में लापरवाही के कारण पुलिस द्वारा एक अपराधी का छोड़ा जाना

183. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में पुलिस ने एक अपराधी को छोड़ दिया जिसने शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के निकट अनेक हत्यायें की थीं तथा मार्ग में लूटमार की थी; और

(ख) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से मालूम किया गया है कि इलाहाबाद पुलिस ने 9 दिसम्बर, 1975 को सवेरे 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया था तथा पूछताछ के लिये पांच दिन के लिए पुलिस रिमाड पर रखा था। गिरोह का नेता सन्तरी को वश में करके 12-12-75 को पुलिस हिरासत से बच कर भाग गया। उसकी पुन गिरफ्तारी के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात सन्तरी समेत दो पुलिस अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है और उनके तथा थाने के अन्य अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

High Rate of Entertainment Tax

184. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether 120 per cent entertainment tax is still in force in respect of cinema tickets;

(b) whether ordinary and middle class people are thus deprived of the benefit of films; and

(c) if so, whether Government propose to reduce the same ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) to (c). Entertainment tax is levied by State Governments. The Estimates Committee in para 2·62 of their 58th Report submitted to the 5th Lok Sabha had made recommendations that high rate of entertainment tax was impeding the growth of cinema houses particularly in small towns and rural areas, and that it would be desirable if the rate of entertainment tax is reduced for them. The above recommendation was brought to the notice of the State Governments/Union Territories for implementation.

Provision of Adequate Finance for production of Standard Films

185. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) Whether standard films are not produced in the country because film producers do not have adequate finance therefor and they have to raise money from people on high rate of interest; and

(b) the steps being taken by Government to solve this problem?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (b). Want of finance is not the main reason why a larger number of standard films are not produced. However, the Film Finance Corporation Ltd., a public sector undertaking has been set up by government with the object of assisting those producers who would like to make films good standard and quality, but are not in a position to raise funds from normal sources.

विद्युत् संयंत्रों की स्थापना हेतु विश्व बैंक से सहायता

186. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बृहत् तापीय तथा पन-बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सुपर ताप विद्युत् केन्द्रों और जल-विद्युत् केन्द्रों की स्थापना की अनेक परियोजनाएं ऋण-सहायता के लिए विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

(ख) उक्त बैंक इन परियोजनाओं की जांच कर रहा है और दो ताप परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक शिष्टमण्डल शीघ्र ही भारत आने वाला है।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य

187. **श्री के० लकप्पा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकालीन स्थिति की घोषणा के पश्चात् देश में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य गिरे हैं;

(ख) क्या अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य अब भी आम जनता के लिये अत्यधिक हैं; और

(ग) यदि हां, तो अत्यावश्यक वस्तुओं के सामान्यजन सुलभ मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). सितम्बर, 1974 से, जबकि मुद्रा स्फीति की दर अपने शिखर अर्थात् 31.4 प्रतिशत के लगभग थी और अनेक आवश्यक पदार्थों तथा आम खपत की वस्तुओं की कमी हो रही थी, और विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद से अनेक वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक उपायों को तेज किया गया तथा उनमें और वृद्धि की गई। इन उपायों में ये शामिल थे--आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना, इन वस्तुओं को जरूरतमंद इलाकों में सप्लाई करने के लिये लाने-लेजाने के साधनों को संगठित करना और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का विस्तार करना, ताकि उसमें प्राथमिकता वाली आवश्यक वस्तुयें शामिल की जा सकें और इस व्यवस्था को जरूरतमंद इलाकों में लागू किया जा सके। आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसमें संसद् ने कठोर सजा देने की व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया था, को भी अपराधियों, जिनमें मुनाफाखोर और जमाखोर भी शामिल हैं, पर कड़ाई से लागू किया गया। आपात्कालीन स्थिति की घोषणा के बाद से व्यापारियों द्वारा मूल्य तथा स्टाक प्रदर्शित करने के आदेशों को कड़ाई से लागू किया गया। भारत रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा नियम, 1971 के अन्तर्गत खुदरा बिक्री के लिए अनेक पैकटबंद वस्तुओं पर अनिवार्य रूप से मूल्य, तोल तथा विनिर्माण की तारीख देने के आदेश भी जारी किये गये। खाद्यान्नों और चीनी का वितरण करने के लिए उचित मूल्य की दुकानें बढ़ाकर 2.30 लाख कर दी गई हैं। इसी प्रकार, मिट्टी के तेल के वितरण के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र बढ़ाकर 1,66,000 कर दिये गये हैं। इसके अलावा साफ्ट कोक के लिए 6000 खुदरा बिक्री केन्द्र मुख्यत: उत्तरी क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं। आवश्यक पदार्थों और आम खपत की वस्तुओं का उचित मूल्यों पर वितरण करने के लिए सहकारी आंदोलन को विकसित तथा मजबूत भी किया गया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को रोक लिया गया है और जुलाई, 1975 में मुद्रा स्फीति की दर शून्य से नीचे पहुंचा दी गई थी और तब से स्थिति में और सुधार हुआ है और 20 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मुद्रा स्फीति की दर –6.4 प्रतिशत थी। खुदरा मूल्यों में भी, विशेष रूप से आपात्कालीन स्थिति की घोषणा के बाद से प्रचुर गिरावट आई है; खाद्यान्नों, दालों, खाने के तेलों, वनस्पति, शिशु

आहार के खुदरा मूल्यों में विशेष कमी हुई है। आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद विनिर्माताओं के साथ बातचीत करके दियासलाइयों, शिशु आहार, साधारण ब्राण्ड की चाय और जनता साबुन की कीमतों में कमी की गई। आवश्यक पदार्थ और आम खपत की वस्तुएं अधिक मात्रा में उपलब्ध हुई हैं और उचित मूल्य की दुकानों के लिये पर्याप्त माल, जिसमें समीकरण भण्डार भी शामिल है, उपलब्ध हुआ है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कमी का भूत गायब हो गया है।

देश के लोकतांत्रिक ढांचे के विरुद्ध समाज-विरोधी तत्वों का षडयंत्र

188. **श्री के० लकप्पा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात् स्थिति की उद्घोषणा के बाद समाज विरोधी तत्वों का सफाया करने और देश के लोकतांत्रिक ढांचे के विरुद्ध उनकी षड्यंत्र रचने संबंधी गतिविधियां रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और स्थिति में कितना सुधार हुआ है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि आपात् स्थिति की उद्घोषणा के बाद भी फासिस्ट संगठनों के साथ सांठ-गांठ करके निहित स्वार्थ और प्रतिक्रियावादी शक्तियां, विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों में अराजकता का वातावरण पैदा कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो समाज के ऐसे तत्वों का सफाया करने और ऐसे तोड़-फोड़ को रोकने के लिये उनकी गतिविधियों का पता लगाने हेतु इस मंत्रालय ने क्या जोरदार कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) आपात् स्थिति की उद्घोषणा के बाद समाज विरोधी तत्वों का सफाया करने के लिए मीसा और डी०आई० एस० आई० आर० के अधीन कठोर कदम उठाये गये हैं। भारत की सुरक्षा और अखण्डता को भारी खतरा पहुंचाने वाले कुछ वामपंथी और साम्प्रदायिक संगठनों पर रोक लगाने के लिए डी०आई०एस०आई०आर० के नियम 33 के अधीन भी कार्रवाई की गई। ऐसी कार्यवाई के कारण आपात स्थिति के बाद सामान्यतः देश में विधि और व्यवस्था की स्थिति कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रही है।

(ख) और (ग). सरकार को मालूम है कि कुछ निहित सवार्थ, प्रतिक्रियावादी शक्तियां और फासिस्ट दल आपात उपायों के विरोधी हैं। सरकार इस बारे में पूर्णतः सतर्कता बरत रही है और समय-समय पर स्थिति से निपटने के लिए उपयुक्त उपाय किये जायेंगे।

दक्षिण भारत के राज्यों में जन-संचार तथा टेलीविजन आरम्भ करना

189. **श्री के० लकप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय जन-शिक्षा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से दक्षिण भारत के राज्यों में जन-संचार तथा टेलीविजन कार्यक्रम आरम्भ करने का कोई प्रयास कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें इस सम्बन्ध में उठाये गये कदमों का ब्योरा दिया हुआ है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०–10007/76]

Retirement of Central Government Employees during Emergency

190. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of Central Government employees retired from service during emergency for being corrupt and inefficient; and

(b) the scheme of Government for continuing this screening ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) : (a) According to the information available upto 31-12-75, 2044 Central Government employees have been retired from service during emergency for inefficiency and doubtful integrity.

(b) Keeping in view the imperative need for maintaining administative efficiency in all Government offices, orders have been issued prescribing a time schedule for review of cases of all Government servants as and when they attain the age of 50/55 years or complete 30 years of service, as the case may be, in order to weed out those who have outlived their utility or whose integrity is doubtful. All the Ministries/Departments are also required to furnish quarterly returns on action taken in this regard.

देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार

191. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति की घोषणा के बाद गुजरात को छोड़ कर देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है; और

(ख) आपात स्थिति के लाभ को समेकित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) आपात स्थिति की उद्घोषणा के बाद देश में कुल मिलाकर कानन व व्यवस्था की स्थिति शान्तिपूर्ण रही और शान्ति भंग होने की कोई बड़ी घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है। पंचायत चुनावों के सिलसिले में गुजरात में हिंसक घटनाओं के बारे में कुछ शिकायतें राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई हैं।

(ख) आपात स्थिति से मुख्य लाभ देश में सर्वतोमुखी अनुशासन के वातावरण का सृजन तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्य में विनियुक्ति है। सरकार को विश्वास है कि लाभप्रद परिणाम विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में जो आपात स्थिति के कारण हुए हैं प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में उल्लिखित विकास तथा कल्याण योजनाओं के कारगर कार्यान्वियन के लिये इस अनुशासन तथा समर्पण को निरन्तर बनाये रखेंगे ।

लोकतक जल-विद्युत परियोजना को पूरा करना

192. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी**: क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोकतक जल-विद्युत् परियोजना के, जिसे 1976 के अन्त तक बिजली पैदा करनी थी, 1980 तक चालू न होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं; और

(ग) उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में बिजली की विकट स्थिति को देखते हुए सरकार इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) से (ग) लोकतक जल विद्युत् परियोजना की सुरंग में जनवरी, 1975 में अचानक दो विस्फ़ोट हुए जिस से इस परियोजना में हो रहे कार्य में भारी रुकावट आई और सुरंग की खुदाई के काम की गति को धीमा करना पड़ा। इस समस्या की जांच करने और परियोजना स्थल पर जो परिस्थितियां हों उनको ध्यान में रखकर सुरंग खोदने के लिये अच्छे से अच्छा तरीका सुझाने तथा इस काम के लिए इस्तेमाल किए जाने योग्य उपकरणों की सिफ़ारिश करने के लिए सरकार ने तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम बनाई थी। इस तकनीकी टीम द्वारा की गई सिफ़ारिशों पर सरकार विचार कर रही है। अब संभावना है कि इस परियोजना का पहला यूनिट 1980 तक कार्यारंभ करेगा।

शत्रु शक्तियों द्वारा नागालैंड समझौते में बाधा उत्पन्न करने के प्रयत्न

194. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफल नागा समझौते के अनुसरण में दोनों पक्षों द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या हमारे देश की शत्रु शक्तियां इस समझोते में बाधा उत्पन्न करने के लिए अभी तक कार्य कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रयत्नों को निष्फ़ल बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार तथा भूमिगत नागाओं के प्रतिनिधियों के बीच 11 नवम्बर, 1975 को शिलांग में किये गये समझौते के कार्यान्वयन में संतोषजनक प्रगति हो रही है।

(ख) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं आई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"मीसा" और डी० आई० आर० के अन्तर्गत बंदी बनाये गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धांत

195. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने मीसा तथा डी० आई० आर० के अन्तर्गत बन्दी बनाये गये राजनीतिक दलों के व्यक्तियों को विभिन्न राज्यों की जेलों में जिस दशा में रखा जाना है उसके बारे में क्या क्या आम मार्गदर्शी सिद्धान्त बताये हैं; और

(ख) प्रत्येक बन्दी को भिन्न भिन्न राज्य सरकारों द्वारा (i) प्रति दिन भोजन, (ii) प्रतिमास जेब खर्च, (iii) प्रति मास परिवार भत्ते के रूप में कितनी राशि अदा की जाती है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) मीसा के अधीन नजरबन्द और डी० आई० एस० आई० आर० के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों की हिरासत की शर्तें सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा मीसा और राजकीय जेल संहिता के प्रावधानों के अधीन जारी किये गये आदेशों के अनुसार प्रशासित की जाती हैं । आपात स्थिति के सिलसिले में मीसा के अधीन नजरबन्द व्यक्तियों से मिलने से सम्बन्धित मामलों तथा उनके पत्रों का निपटान करते समय कुछ मागदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखने के बारे में राज्य सरकारों को सूचित करने के अलावा हिरासत की सामान्य शर्तों के बारे में राज्य सराकारों को और कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किये गये थे ।

(ख) भोजन, जेब खर्च और परिवार भत्ते के बारे में प्रत्येक राज्य में अलग-अलग प्रावधान हैं और उपर्युक्त आदेशों में दिए गए हैं जो कि सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और प्रकाशित किये गये हैं ।

नजरबन्दी के दौरान श्री जयप्रकाश नारायण का डाक्टरी इलाज

196. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नजरबन्दी की अवधि में श्री जयप्रकाश नारायण का डाक्टरी इलाज करवाया गया था;

(ख) क्या उन का नजरबन्दी के दौरान किये गये उन के डाक्टरी इलाज सम्बन्धी दस्तावेज तथा कागजात जसलोक अस्पताल, बम्बई के प्राधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर भी उन्हें नहीं दिये गये थे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नजरबन्दी के दौरान वह किस रोग से पीड़ित थे और वहां उन का इलाज करने वाले डाक्टरों ने उन्हें क्या रोग बताया था ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (घ) अप्रेल-मई, 1974 में श्री जय प्रकाश नारायण का क्रिश्चियन मेडिकल कालेज अस्पताल, वेल्लोर में इलाज हुआ था जहां डाक्टरों को प्रस्टैटिक हाइपरट्रोफ़ी, प्रमेह, हृदय रोग ;तथा दीर्घकालीन मूत्र संबंधी संक्रामक रोग का पता लगा । नजरबन्दी के दौरान उन के हृदय रोग, प्रमेह दीर्घकालिक गुर्दों की खराबी तथा मूत्र संबंधी नली संक्रामक रोग का उपयुक्त औषधियों को जांच के अनुसार परिचारी डाक्टरों को आवश्यक पायी गई, से इलाज किया गया ।

(ख) श्री जय प्रकाश नारायण 22 नवम्बर, 1975 को जसलोक अस्पताल, बम्बई में दाखिल किये गये। वह डाक्टर जो श्री नारायण के साथ आये, अपने साथ श्री नारायण के डाक्टरी कागजात ले गये तथा जसलोक अस्पताल के प्राधिकारियों को सौंप दिये।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Construction of Leh-Manali Road

197. **Shri Kushok Bakula :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) how much further time is likely to be taken in the completion of the construction of Leh-Manali road; and

(b) if it is likely to be completed soon, the time by which it will be opened for civil traffic?

The Minister of Defence (Shri Bansi Lal) (a) and (b). The road has been completed as programmed. There is no restriction on civil traffic using the road except that during certain months, particularly in the winter, the road is not usable because of snowfall, and foreigners require permits.

प्रधान मंत्री के 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति

198. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री के आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति की कोई समीक्षा की है जो आपात की घोषणा के समय से लागू हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). बीस-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है। प्रगति को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी –10008/76]

प्रधान मंत्री के 20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की उत्तर प्रदेश में क्रियान्विति

199. **श्री सरजू पाँडे** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति शासन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री के 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के जिन विषयों का राज्य सरकार से सीधा सम्बन्ध है उनके कार्यान्वयन के उपायों में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है।

भारत में विदेशी संवाददाताओं के लेख

200. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति लागू होने के बाद भारत स्थित विदेशी संवाददाताओं के लेखों की प्रवृत्ति क्या रही है;

(ख) ऐसे कितने मामले हुए हैं जिन में आपात स्थिति के बाद भारत में विद्यमान स्थिति को विकृत रूप में पेश करने के लिये किन्हीं संवाददाताओं अथवा विदेशी समाचार ऐजेन्सियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ी तथा अब उनकी प्रवृत्ति क्या है ;

(ग) क्या भारत की वास्तविक तस्वीर तथा आपात स्थिति के बाद यहां के लोगों की मनोभावनाओं को विदेशी समाचारपत्रों में पूरे तथा पर्याप्त रूप में दर्शाया नहीं जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) आपात स्थिति की घोषणा के बाद भारत स्थित कुछ विदेशी संवाददाताओं द्वारा देश की स्थिति के बारे में निष्पक्ष रिपोर्टिंग न किए जाने का पता लगा ।

(ख) भारत स्थित सभी विदेशी संवाददाताओं से सेंसरशिप आदेशों और विनियमों के अन्तर्गत कार्य करने के लिये कहा गया । अब तक भारत स्थित 6 विदेशी संवाददाताओं को सेंसरशिप आदेशों और नियमों के अनुसार काम न करने के कारण देश से निकाला गया है ।

(ग) और (घ). कुछ वर्गों के विदेशी समाचारपत्र आपात स्थिति की घोषणा के बाद भारत की वास्तविक तस्वीर और यहां के लोगों की भावनाओं को पूरी तरह और पर्याप्त रूप में प्रस्तुत नहीं करते रहे हैं । सरकार द्वारा उसकी निजी ऐजेंसियों के माध्यम से इसका प्रतिकार करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुएं

201. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान देश में गैर सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं का किस दर से उत्पादन हुआ; और

(ख) इन क्षेत्रों में अगले छः महीनों के लिए उत्पादन के क्या लक्ष्य निश्चित किए गए हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) संगठित क्षेत्र में अप्रैल से सितम्बर, 1975 की अवधि में चुनी हुई प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बताने वाला एक विवरण संलग्न है । सरकार को आशा है कि आगामी छः महीने में उत्पादन की विद्यमान दर न केवल बनाई रखी जाएगी वरन् बहुत सी चीजों के उत्पादन में वृद्धि भी हो सकती है ।

विवरण

अप्रैल–सितम्बर, 1975 को मुख्य उपभोक्ता की वस्तुओं का उत्पादन

क्र० सं०	उद्योग	गणना की इकाई	अप्रैल-सितम्बर, 1975 का उत्पादन
1	पेपर तथा पेपर बोर्ड . .	हजार टनों में	404
2	बेबी फूड . . .	,,	7.7
3	माचिस . . .	दस लाख बक्से	1660
4	रबड़ फुटवियर .	दस लाख जोड़े	20.17
5	लैदर फुटवियर वैस्टर्न	,,	4.60
6	ड्राई सैल्स	दस लाख सं०	244.0
7	सिगरेट . .	,,	301.68
8	लैदर फुटवियर देशी	दस लाख जोड़े	3.52
9	रेजर ब्लेड्स .	दस लाख सं०	536.77
10	इनकेन्डीसैन्ट फिलामेंट लैम्प्स .	,,	61.87
11	फलोरेसेन्ट ट्यूब्स . .	,,	8.38
12	इलैक्ट्रिक पंखे .	हजार सं०	1111
13	डोमेस्टिक रेफ्रीजरेट्रस	,,	60.5
14	स्वींग मशीन्स	,,	141.1
15	हरीकेन लालटेन . . .	दस लाख सं०	1275
16	बाइसिकलें .	हजार सं०	1065
17	बिस्कुट . .	टनों में	28550
18	बाईसिकल टायर्स	दस लाख सं०	11.74
19	फ्लोर मिलिंग	हजार टनों में	854
20	टूथ पेस्ट .	टनों में	2097
21	सीमेंट . .	दस लाख टनों में	8.0
22	पेन्टस एनेमल तथा वार्निश	टनों में	31402
23	एन०सी० लैक्यूर्स .	कें०एल०	1037
24	शीट ग्लास	दस लाख वर्ग मी० में	7.64
25	ग्लेजड टाइल्स	टनों में	11000
26	कारें .	संख्या	10824
27	मोटर साइकिलें .	,,	33532
28	स्कूटर्स . .	,,	47871
29	मोपेड/स्कूटरैटिस .	,,	16372

20-सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए की गई कार्यवाही

202. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने अनुशासित व्यवहार करने की आवश्यकता के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने और 20-सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में उनके सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या विभिन्न कार्यवाही की है ; और

(ख) इन कार्यवाहियों के प्रति जनता की लोकप्रिय प्रतिक्रिया क्या है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यह किस रूप में उजागर की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण जिसमें स्थिति स्पष्ट की गई है, संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०--10009/76]

"पुअर ट्राइबल गर्ल्स सोल्ड टु ब्राथल्स" (गरीब आदिवासी लड़कियाँ वेश्यालयों को बेची गई) शीर्षक से समाचार

203. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 दिसम्बर, 1975 के एक स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में 'पुअर गर्ल्स सोल्ड टु ब्राथल्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां,श्रीमान् ।

(ख) सरकार औरतों के अवैध पणन की कुरीति को हटाने के उद्देश्य से सामाजिक संस्थाओं द्वारा समस्याओं के अध्ययन करने और सामाजिक विवेक को विकसित करने के प्रयासों का स्वागत करती है ।

Construction of Atomic Power Station at Narora

204. **Shri Hari Singh :**

Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) the progress so far made in the construction of Atomic Power Station at Narora, district Bulandshahr, Uttar Pradesh; and

(b) the time by which the said Station would start functioning ?

The Prime Minister, Minister of Planning, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi): (a) Detailed designs in nuclear and conventional areas are in progress. Raw materials are being procured. Orders/letters of intent have been issued for supply of primary heat transport pumps, and fitting forged billets, steam generators and turbo generators. Main plant civil works will commence shortly. Construction of residential units in the township and of site facilities is in progress.

(b) The first Unit of the Station is expected to attain criticality in 1981 and the Second Unit in 1982. Full commissioning can be expected some months thereafter.

Murder of a Harijan Leader of Village Maruli in Banda District in U.P.

205. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government are aware of the murder of Mayadin, a Harijan Leader of village Maruli in Banda District Uttar Pradesh in September 1975 by a group of caste Hindus; and

(b) if so, the action taken by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) : (a) & (b) According to information received from the Government of Uttar Pradesh, a report was received in Police Station Mataundh, District Banda on 7-9-75 that Shri Mayadin s/o Shri Sahiya Chamar, resident of Village Marauli was beaten to death by some persons of the village on the 6th September 1975. A case was registered immediately and the investigation taken up. All the accused in the case surrendered in the Court and were sent to jail. On completion of investigation, a charge sheet was submitted against 18 accused persons under section 147/148/149/325/302 IPC. The accused have been committed to the Court of Session where the case is *sub judice*.

समुद्री ज्वार तथा सौर ऊर्जा के लाभ

206. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री ज्वार तथा सौर ऊर्जा के लाभ कब तक उपलब्ध होने की संभावना है, और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

योजना मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान पहले से ही विभिन्न एजेंसियों द्वारा गहन अन्वेषण में प्रगति हुई है । इस समय ज्ञात डिजाइनों तथा सरलता से उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करके जिन गैजेटों को जोड़ा गया है उनसे निकट भविष्य में सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावना दिखाई देती है । फिर भी, इनमें से किसी गैजेट से वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन तथा उनका किसी-क्षेत्र में उपयोग करने से पहले निम्नलिखित क्षेत्रों में काफी प्रगति करने की आवश्यकता है :—

(1) सामग्री तथा पतली फिल्म तकनीकों का विकास ।

(2) अत्यधिक इष्टतम इंजीनियरी डिजाईन जिससे पारस्परिक ईंधन पर काम करने वाले गैजेटों की अपेक्षा अधिक दक्षता वाले गैजेटों का निर्माण हो सकेगा ।

(3) उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास तथा उत्पादन केन्द्रों के लिए प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण ।

देशमें फैले हुए विभिन्न केन्द्रों की वर्तमान प्रस्थिति तथा उनकी निहित क्षमता का पूर्ण मूल्यांकन करने के पश्चात्, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक एकीकृत कार्यक्रम बनाया है जिसमें भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० तथा एग्रो-इण्डस्ट्रियल युनि टें जैसी उत्पादन एजेंसियों के साथ-साथ अधिकांश उदीयमान ग्रुपों को शामिल किया गया है । इस व्यापक गहन कार्यक्रम में, जो वर्तमान अवसंरचना होकर, अनुसंधान से अंतिम उत्पादन माडलों के समूचे क्षेत्र से सम्बन्धित है, प्रयोगकर्ताओं को सामान्य रूप से स्वीकार्य और परम्परागत उपकरणों के संदर्भ में आर्थिक रूप से व्यवहार्य, व्यावहारिक हार्डवेयर का उत्पादन होने की आशा है ।

2. भारत के पास ज्वारीय स्रोत उपलब्ध हैं तथा इनमें संभव स्थान, केम्बे की खाड़ी (भावनगर सीनराय), कच्छ की खाड़ी (कांडला, नवलखी) तथा हुगली नदी के मुहाने तर सुन्दरबन क्षेत्र है । इन स्रोतों के ज्वारीय शक्ति के लिए उपयोग में लाने की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में पता लगाने के लिए प्रारम्भिक कदम उठाए गए हैं ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का पुनर्गठन

207. **श्री बंसत साठे** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्याध्यक्ष समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसमें राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का पुनर्गठन करने का सुझाव दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (च). श्री वी० जी० राजाध्यक्ष, मुख्य परामर्शदाता, योजना आयोग से राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के उद्देश्यों, कार्य संचालन और ढांचे की संत्रीक्षा करने के लिए अनुरोध किया गया था । रिपोर्ट सरकार को 16 दिसम्बर, 1975 को प्रस्तुत कर दी गई है । उसमें की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

चंबल बीहड़ों के आसपास के राज्यों में सक्रिय डाकू दलों के विरूद्ध संयुक्त कार्यवाही

208. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंबल बीहड़ों के आस पास के राज्यों में डाकू दल पुनः सक्रिय हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सरकार का विचार संयुक्त तथा एकीकृत कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) 1972 में डाकुओं के सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण से चम्बल घाटी में डकैतियों, अपहरण तथा हत्याओं की मात्रा में कमी हुई थी । उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि कुछेक नये गिरोह बनाए जा रहे हैं । भारत सरकार ने इस आतंक को समाप्त करने के लिये सभी संभव उपाय करने की शीघ्र आवश्यकता पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की राज्य सरकारों पर बल दिया है । ये राज्य सरकारें इस संबंध में संयुक्त तथा एकीकृत कार्यवाही कर रही हैं ।

समाचार ब्यूरो स्थापित करने की योजना

209. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी का विचार जिले-वार समाचारों को एकत्रित करने के लिए प्रत्येक राज्य में तथा प्रत्येक जिले में समाचार सेवा का जाल बिछाकर उसके माध्यम से समाचार ब्यूरो स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार द्वारा आपात स्थिति के संबंध में प्रकाशित 'पेपर'

210. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रकाशित 'आपात स्थिति सम्बन्धी पेपर' में श्री जयप्रकाश नारायण पर पुलिस तथा सशस्त्र सेनाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन आरोपों के लिए उन पर मुकदमा न चलाये जाने के क्या कारण हैं जबकि कानून में इसकी व्यवस्था है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) :(क) "आपात स्थिति क्यों?" नामक पुस्तिका में श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा कही गई वे बातें वास्तविक रूप में दी गई हैं जो विभिन्न घटनाओं और विकास क्रम का एक भाग थी जिनके कारण 25 जून, 1975 को आपात स्थिति की उद्घोषणा की आवश्यकता पड़ी ।

(ख) सभी सम्बद्ध गतिविधियों को समग्र रूप में देखते हुए जो राष्ट्र की सुरक्षा और अखण्डता के लिए गम्भीर खतरा पैदा करती थीं व्यक्तिगत मामलों को लेकर मुकदमा चलाने का प्रश्न पृष्ठभूमि में पड़ जाता है तथा अपना महत्व खो देता है इसलिए आपात स्थिति की उद्घोषणा तथा उसके बाद के उपायों द्वारा एक दृढ़ तथा निर्णायक कारवाई की आवश्यकता हुई ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति

211. **श्री समर गुह** :
श्री पी० एस० सईद :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् (एक) सेवा से निकाल दिया गया है, और (दो) समय से पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया है;

(ख) क्या उन्हें अपने पक्ष में कुछ कहने का अवसर दिया गया था; और

(ग) इस प्रकार सेवा से निकालने तथा समय से पूर्व सेवा निवृत्त करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा ससंदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) विभिन्न मन्त्रालयों में विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवा से निकाले जाने के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित नहीं की जा रही है और इसलिए यह उपलब्ध नहीं है । फिर भी, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग केन्द्रीय सरकार के कर्मारियों की श्रेणी–I तथा श्रेणी–II के अधिकारियों के मामलों में 50 वर्ष की आयु पूरी होने पर और अन्य अधिकारियों के मामले में उनकी 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अकुशलता तथा/अथवा सन्देहास्पद सत्यनिष्ठा

के कारण, सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित कर रहा है। दिनांक 31-12-75 तक प्राप्त सूचना के अनुसार आपात स्थिति की घोषणा के बाद केन्द्रीय सरकार के 2044 कर्मचारियों को समय से पूर्व सेवा निवृत्त किया जा चुका है।

(ख) तथा (ग) नियमों के अनुसार समय से पूर्व, सेवानिवृत्ति का आदेश लोकहित में इस को ध्यान में रखते हुए देना होता है कि जो कर्मचारी कारगर साबित नहीं हुए हैं अथवा जिनकी सत्यनिष्ठा में सन्देह है उनकी छंटनी की जा सके। सविधान के अनुच्छेद 311(2) के अनुसार यह कोई दण्ड नहीं हैं। इस प्रकार जिन सरकारी कर्मचारियों को समय से पूर्व सेवानिवृत्त किया जाता है उन्हें अपने पक्ष में कुछ कहने का अवसर दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

एवरो विमान का निर्माण

212. **श्री वीर भद्र सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर में कितने एवरो विमानों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ख) इन विमानों के सम्भावित ग्राहक कौन हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विटठल गाडगिल) (क) और (ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर में एवरो विमानों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। तथापि, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का कानपुर प्रभाग भारतीय वायु सेना के लिए इस समय एच० एस०-71/8 पायलट प्रशिक्षण किस्म और सैनिक भारवाही किस्म के विमानों के निर्माण में लगा हुआ है। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड कानपुर प्रभाग में बनाए जा रहे विमानों की कुल सख्या प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा। तथापि, इण्डियन एयरलाइन्स को सतरह एच० एस०-748 सिविल यात्री किस्म के विमान दे दिए गये हैं। इस विमान के लिए किसी अन्य ग्राहक से कोई आर्डर नहीं है।

तापीय विद्युत योजना के लिए महाराष्ट्र द्वारा माँगी गई सहायता

213. **श्री वंसत साठे** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विद्युत् की वर्तमान कमी दूर करने के लिए 1000 से 1500 मैगावाट की तापीय विद्युत् योजना के लिए केन्द्रीय सरकार से तत्काल सहायता मांगी है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्देश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने छठी योजना की अवधि में लाभ देने वाली कुछ नयी ताप विद्युत् योजनाओं के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट भेजी हैं। ये परियोजना रिपोर्ट जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। महाराष्ट्र में जिन विद्युत् परियोजनाओं का निर्माण चल रहा है उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए प्रयत्न किय जा रहे हैं। वर्तमान ताप विद्युत् यूनिटों से अधिकतम उत्पादन करने के लिए राज्य बिजली बोर्ड की सहायता की जा रही है।

राज्यों में समाज विरोधी तत्वों द्वारा पर्चे बांटे जाना

214. **श्री विभूति मिश्र** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में अनेक समाज-विरोधी तत्व ऐसे पर्चे बांट रहे हैं जिन पर प्रेस प्रकाशकों तथा मुद्रकों के नाम का कोई उल्लेख नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री : (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) कुछ राज्यों में ऐसे पर्चों के चोरी से वितरण की सरकार को जानकारी है ।

(ख) ऐसी गतिविधियों पर प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट, 1867 के प्रावधानों के अधीन पहले ही पाबन्दी लगी हुई है ।

20–सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्विति के लिए कार्यवाही

215. श्री **विभूति मिश्र** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी छः महीनों के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन को उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है और पिछले 6 महीनों में काफी काम हो चुका है । इस कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते रहेंगे ।

Industrial Production

216. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether there has been a fall in the industrial production during the last six months;

(b) if so, the percentage of decrease as compared to 1974-75; and

(c) the steps taken by Government to prevent this decrease ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya): (a) to (c) No, Sir. Although the general index of industrial production is not available for the last six months, available data for selected industries, accounting for 55 per cent of the weight in the index, show that industrial production as a whole is likely to have increased during this period. Growth in production in certain important sectors has in fact been substantial during April-November, 1975 e.g. coal (11·6%), Steel (16·4%) crude petroleum (10·9%), Aluminium (42%), Copper (101·6%), nitrogenous fertilizers (31·6%), Cement (13·5%) and electricity (9·9%).

परमाणु विस्फोट का परिणाम

217. **श्री पी० एम० सईद** : क्या परमाणु ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शान्तिपूर्ण कार्य के लिए किए गए परमाणु विस्फोट के परिणाम तथा प्रभाव का अध्ययन पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा हमारे वैज्ञानिकों को देश की अर्थव्यवस्था के विकास में इसके परिणामों को लागू करने में कहां तक सहायता मिली है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जांच का एक व्यापक कार्यक्रम, जिसमें विस्फोट-स्थल पर तथा उससे दूर स्थित स्थलों पर अध्ययन करना शामिल है, चलाया गया है ।

(ख) किये गए अध्ययनों से इस बात की पुष्टि हो गई है कि विस्फोट से बची रेडियो सक्रियता भूमि के नीचे गहराई में दब गई है । विस्फोट के इन अध्ययनों के परिणामस्वरूप पर्व-सूचना देने की हमारी क्षमता बढ़ गई है, परन्तु विस्फोट के परिणामों का प्रयोग किसी विशेष परियोजना के लिए करने से पहले, हमें स्थल विशेष के बारे में बहुत से भूवैज्ञानिक एवं अन्य प्रकार के अध्ययन करने होंगे ।

आम खपत की आवश्यक वस्तुओं की वितरण व्यवस्था

218. **श्री पी० एम० सईद**: क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम खपत को आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था स्थापित करने के सरकार के प्रयासों में कोई प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस योजना के शीघ्र क्रियान्वयन में कोई कठिनाई है; और

(ग) इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) वर्ष 1975 में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का विस्तार करने में प्रचुर प्रगति हुई है । उचित मूल्य की दुकानें 2,15,000 थीं, जो बढ़कर 2,30,000 हो गई हैं । इसी प्रकार मिट्टी के तेल के खुदरा बिक्री केन्द्र 100,000 से बढ़कर 166,000 हो गये हैं । इनके अलावा साफ्ट कोक के 6,000 खुदरा बिक्री केन्द्र मुख्यत: उत्तरी क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं । उचित मूल्य की दुकानों के जाल के साथ-साथ उपभोक्ता व्यापार के लिये सहकारी सोसाटियों का विकास करने में प्रचुर प्रगति हो रही है । उम्मीद है कि चालू सहकारी वर्ष में सहकारी सोसायटियां 1000 करोड़ रु० के लगभग का उपभोक्ता व्यापार कर लेंगी ।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बनाये रखने और इसका विस्तार करने का मामला ऐसा है जिसके बारे में लगातार कार्यवाही की जाती रहती है । खासतौर पर जब से आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है, इस कार्यक्रम को लागू करने में कोई विशिष्ट कठिनाइयां नहीं हैं ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा 'मीसा' के अन्तर्गत नियम बनाना

219. **श्री जगन्नाथराव जोशी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने 'मीसा' के अन्तर्गत नियम नहीं बनाये हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन सांविधिक दायित्व था ;

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कायवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली प्रशासन से भेजी गई सूचना के अनुसार 'मीसा' की धारा 5 के अधीन नजरबन्द किये जाने वाले व्यक्तियों के नजरबन्दी के स्थान तथा शर्तों को नियमित करने के लिये आवश्यक आदेश उन्होंने पहले ही जारी कर दिए हैं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

उद्योग (विकास तथा विनियमन), अधिनियम 1951 और पेटन्ट, डिजाइन तथा ट्रेड मार्क पर महानियंत्रक का वर्ष 1974–75 का प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक–एक प्रति :–

(एक) औद्योगिक उपक्रम (प्रबन्ध, परिसमापन या पुर्ननिर्माण) नियम, 1975 जो दिनांक 30 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2306 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण तथा लायसेंसिग (संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 599(ड) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गई **देखिये** संख्या एल० टी० 9986/76)

(2) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अन्तर्गत पेटेंट, डिजाईन तथा ट्रेड मार्क महानियंत्रक के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 99877/76)

त्रिवेणी स्ट्रक्चरलस लिमिटेड, नैनी का 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नियम के अन्तर्गत अधिसूचना

औद्योगिक और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक–एक प्रति :––

(एक) त्रिवेणी स्ट्रक्चरलस लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) त्रिवेणी स्ट्रक्चरलस लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 9988/76)

(3) अधिसूचना संख्या सां० आ० 4294 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, और जिसके द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नियम, 1975 सिक्किम राज्य पर लागू किये गये हैं।
(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 9989/76)

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, ऊटाकमंड का वर्ष 1974-75 का प्रतिवेदन तथा समीक्षा और औजार उद्योग विकास परिषद् का 1972-74 का प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (i) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मेनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, ऊटाकमंड के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मेनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, ऊटाकमंड का वर्ष का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 9990/76)

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत औजार उद्योग विकास परिषद् के वर्ष 1972-74 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 9991/76)।

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 1975, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रपतीय आदेश अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का वर्ष 1973-74 का प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छुट) दूसरा संशोधन विनियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो विधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अन्तर्गत दिनांक 30 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2288 में प्रकाशित हुए थे। तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 9992/76)

(2) पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 की धारा 51 के अन्तर्गत जारी किये गये राष्ट्रपतीय आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 538 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 9993/76)

(3) (क) संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) 1 अप्रैल, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक की अवधि के लिये संघ लोक सेवा आयोग का 24वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन में निर्दिष्ट कतिपय मामलों में आयोग के परामर्श को सरकार द्वारा स्वीकार न करने के कारण बताने वाला ज्ञापन।

(ख) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 9994/76)

(5) राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 30 नवम्बर, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबंधों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 17 सितम्बर, 1975 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (प्राधिकरण) अध्यादेश, 1975 (1975 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा अध्यादेश जारी करने के लिये उत्तरदायी परिस्थितियां बताने वाला ज्ञापन। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० ो० 9995/76)

(5) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचना (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तेरहवां संशोधन, नियम, 1975 जो दिनांक 30 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 433 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन और अपील)) दूसरा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 9 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 985 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा० सां० नि० 986 जो दिनांक 9 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें दिनांक 15 जून, 1974 की अधिसचना संख्या सा० सां० नि० 660 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(चार) सा० सां० नि० 987, जो दिनांक 9 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें दिनांक 15 जून, 1974 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 686 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(पांच) अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन और अपील) तीसरा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 9 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 988 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 16 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2227 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 16 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2228 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) छठा संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 22 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 455 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नौवां संशोधन, नियम 1975 जो दिनांक 22 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 456 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) सोलहवां संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 22 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 457 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौदहवां संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 22 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 458 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ) चौथा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 23 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2265 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनि-यम, 1975 जो दिनांक 23 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2267 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 23 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2268 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) सत्रहवां संशोधन विनियमन, 1975 जो दिनांक 29 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 471 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सोलहवां संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 29 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 472 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय वन सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2502 में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 22 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 536 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) अट्ठारहवां संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 25 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2557 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 25 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2558 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) भारतीय वन सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 25 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 2559 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) सातवां संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 540 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 541 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 544 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 545 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ) पांचवां संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 8 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2635 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) सा० सां० नि० 2636 जो दिनांक 8 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 18 जनवरी, 1969 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 124 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(अट्ठाईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) अट्ठारहवां संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1975 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2660 में प्रकाशित हुए थे।

(उनतीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सत्रहवां संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2661 में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 22 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2691 में प्रकाशित हुए थे।

(इकत्तीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति तीसरा संशोधन) विनियम, 1975 जो दिनांक 22 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2692 में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) चौथा संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 29 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2723 में प्रकाशित हुए थे।

(तैंतीस) अखिल भारतीय सेवाएं (अध्ययन छुट्टी) दूसरा संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 13, दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2779 में प्रकाशित हुए थे।

(चौतीस) अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ) छठा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2830 में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 9996/76)

इण्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेअरअर्थस लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 9997/76)

दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम लिमिटड 1971–74 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों में (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली की 15–2–71 से 31–3–1972 को समाप्त हुई अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 9998/76)

(तीन) दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(चार) दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 1973–74 का का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 9999/76)

नौ सेना अधिनियम 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना और मिश्र धातु निगम लिमिटड हैदराबाद का वर्ष 1974 का वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नौ सेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नौसैनिक औपचारिकतायें सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1975 जो दिनांक 8 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 344 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) नौ सेना (अनुशासन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) (पहला संशोधन) विनियम, 1975 जो दिनांक 29 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसचना संख्या सां० नि० आ० 360 में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) नौसैनिक औपचारिकतायें, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (दूसरा संशोधन) विनियम, 1975 जो दिनांक 29 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 36 में प्रकाशित हुये थे। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 10000/76)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत मिश्रधातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद की 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुई अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। (ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 10001/76)

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS & RESOLUTIONS

57 वाँ प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्त शासी जिले): मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 57वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS

26 वाँ, 27 वां और 28 वाँ प्रतिवेदन

श्री जगन्नाथ राव (छत्तरपुर): मैं याचिका समिति का 26 वां, 27 वां और 28 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

17 वाँ प्रतिवेदन

श्रीमती एम० गौडफ्र (नाम निर्देशित—आँग्ल भारतीय) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

181 वाँ प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): मैं भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1972–73 के अनुपूरक प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) में उल्लिखित कृषि मन्त्रालय के 'आपात कालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम' के बारे में लोक लेखा समिति का 181वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE
80 वाँ तथा 81 वाँ प्रतिवेदन

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद): मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) चलचित्र—भाग 1 के बारे में समिति के 58 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय सम्बन्धी 80वां प्रतिवेदन।

(दो) चलचित्र—भाग 2 के बारे में समिति के 59वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय सम्बन्धी 81वां प्रतिवेदन।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKING
75 वाँ प्रतिवेदन तथा कार्यवाही साराँश

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 75वां प्रतिवेदन तथा तत्सम्बन्धी समिति की बैठक का कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी—समिति
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
40 वाँ तथा 42 वाँ प्रतिवेदन

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(एक) रेल मन्त्रालय (रेल बोर्ड)—पश्चिम रेल की कर्मशालाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा नियोजन सम्बन्धी 40वां प्रतिवेदन।

(दो) मन्त्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)—सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण सम्बन्धी 42वां प्रतिवेदन।

रेल अभिसमय समिति
RAILWAY CONVENTION COMMITTEE
आठवाँ प्रतिवेदन

श्री बी० एस० मूर्ति (अमालापुरम) : मैं रेलवे की चौथी तथा पांचवी योजनाओं तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में रेल अभिसमय समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

राष्ट्रीय कैडटकोर, केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय कडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन निर्वाचन की तारीख से 1 वर्ष की पदावधि के लिये राष्ट्रीय कैडेट कोर केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन निर्वाचन की तारीख से 1 वर्ष की पदावधि के लिये राष्ट्रीय कैडेट कोर केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

57 वाँ प्रतिवेदन

निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 57वें प्रतिवेदन से, जो 6 जनवरी, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 57वें प्रतिवेदन से, जो 6 जनवरी, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा की जायेगी।

Shri B. R. Shukla (Bahraich): I was mentioning the reasons that compelled the President to declare state of emergency in the country. The Gujarat Assembly was got dissolved by adopting non-parliamentary measures. Encouraged by that action Shri Jaya Prakash Narayan resorted to non-parliamentary methods and demanded the dissolution of Bihar Assembly. When he failed to achieve his objective he started touring the whole of the country. His agitation was almost dying. At that time the Allahabad High Court announced its judgment and the Prime Minister's election case. The opposition announced to launch country-wide agitation for the removal of the Prime Minister. The Police and Military were advised to disobey the Government orders. There was every fear that the government would be paralysed and the Parliamentary institutions would be finished. That was the state of affairs when emergency was declared.

I feel that such a firm step was not taken before in the entire history of 28 years of free India. There was no alternative left with the government but to put the country under emergency. After the declaration of emergency we have seen revolutionary improvements. The reactionaries who were bent upon destroying democracy are not inside the Parliament but are elsewhere.

The functioning of a democracy is not merely the responsibility of the ruling party, but also of the opposition.

The emergency has augmented the production in the factories. The atmosphere in the educational institutions has improved. It is for consideration whether we want to mountain the gains of emergency for all times. Whenever any revolutionary step is taken, it is likely to leave certain loopholes. I wish that this state of affairs may continue for some time more.

As to the implementation today there is plenty of cement, cloth iron and steel because there has been a check on hoarding.

It is necessary that a committee for the implementation of 20 point programme be formed. The members can participate in this task of nation building.

Science and technology are making progress in our country. Aryabhata is in the space, television is being extended throughout the country.

My own district has been demanding for the digging of tube wells on experimental basis for the last five years but this small demand has not been met so far. I fully support the motion of thanks and also once agains request my friends in the opposition that they should join hands with the Government for the uplift of backward and poor masses of the country. We are quite keen to put an end to this abnormal situation at the earliest.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : आज देश में आपात स्थिति लागू है। आपात स्थिति की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352(1) के अन्तर्गत की गई है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आपात स्थिति की घोषणा तभी की जा सकती है जब राष्ट्रपति यह अनुभव करे कि देश में गंम्भीर खतरा है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय देश के समक्ष वास्तविक रुप में कोई खतरा विद्यमान था? इस प्रश्न का उत्तर हमें नकारात्मक ही मिलता है। इस समय देश में कोई अशान्ति नहीं थी। ऐसी स्थिति बिल्कुल काल्पनिक थी। तथ्य तो यह है कि गत छः महीनों में देश के किसी भी भाग से हिसात्मक घटना की कोई खबर नहीं आई है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि देश के सम्मुख किसी प्रकार का खतरा नहीं है और न ही आपात स्थिति के बनाये रखने का कोई औचित्य ही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने गुजरात में आज से दो वर्ष पूर्व 1973–74 में विद्यार्थियों द्वारा चलाये गये नव निर्माण आन्दोलन को आपात स्थिति के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है। परन्तु मैं इस सम्बन्ध में उन्हें याद दिला दूं कि उस समय शासक दल के गुजरात कांग्रेस समिति के अध्यक्ष ने कहा था कि इस आन्दोलन में महात्मा गांधी के आन्दोलन की झलक नज़र आई थी। उस आन्दोलन के लिए केन्द्र ने पूर्ण सहयोग दिया था क्योंकि वहां का मुख्य मन्त्री केन्द्र सरकार की इच्छाओं के विरुद्ध चुना गया था। इन परिस्थितियों में वर्तमान आपात स्थिति को नव निर्माण समिति के साथ जोड़ना युक्तिसंगत नहीं है।

गुजरात में वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। जैसा कि राज्य के मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री को लिखा है कि ऐसी रिपोर्ट झूठी हैं कि गुजरात के स्थानीय चुनावों में हिंसात्मक घटनायें हुई हैं तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के मुख्य मन्त्री ने तो राज्य में हुई हिंसात्मक घटनाओं की जांच के लिए संसद् सदस्यों की एक सर्वदलीय समिति बिठाने का भी अनुरोध किया है। यदि यह अनुरोध स्वीकार कर लिया जाये तो उससे सदन को सही स्थिति मालूम हो जायेगी। इतना ही नहीं वहां के मुख्य मन्त्री ने पत्रकारों को भी गुजरात का दौरा करने का निमन्त्रण दिया है ताकि लोगों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा सके।

प्रतिपक्ष के नेताओं पर तोड़ फ़ोड़ तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके विरुद्ध कोई चार्ज शीट जारी किया गया है? क्या उन्हें किसी न्यायालय में पेश किया गया है? वास्तविकता तो यह है कि वह कभी भी किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों में शरीक नहीं हुये। उन्हें आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी कानून के अन्दर बन्दी बनाया गया है। जबकि प्रधान मन्त्री ने श्री मोरारजी देसाई को आश्वासन दिया था कि यह कानून राजनीतिक कारणों से प्रयोग में नहीं लाया जाये।

कुछ माननीय सदस्यों ने आर्थिक कार्यक्रम के नाम पर आपात स्थिति की घोषणा को न्यायसंगत बताया है। उनका कहना है कि अब रेलगाड़ियां समय पर चल रही हैं, क्लर्क लोग समय पर बैंक में पहुंच जाते हैं तथा सम्पूर्ण राष्ट्र पहले से अधिक अनुशासित है। मैं समझता हूं कि यदि किसी सरकार को गाड़ियां समय पर चलवाने तथा क्लर्कों को समय तथा नियामानुसार कार्य करवाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत अपनी आपातशक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है तो उसे देश का शासन चलाने का कोई अधिकार नहीं है।

जहां तक आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है, अनेक कपड़ा मिलें बंद कर दी गई हैं जिसके फलस्वरूप हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। पटसन मिलों में भी यही स्थिति है। इंजीनियरिंग उद्योग में भी हजारों मजदूरों की या तो छंटनी कर दी गई है अथवा उनकी जबरी छुट्टी कर दी गई है अनेक अन्य उद्योगों की स्थिति भी ऐसी है। क्या ऐसी स्थिति को ही अच्छी आर्थिक स्थिति की संज्ञा दी जा सकती है। वास्तविकता तो यह है कि समाचारपत्रों में प्रतिबन्ध के कारण कुछ भी सामने नहीं आ रहा है।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव (बल्लारी) : हम गत दो या तीन वर्ष से देखते आ रहे थे अनुशासनहीनता की प्रत्येक कार्यवाही को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां कभी भी कोई हिंसात्मक घटना हुई उसकी किसी ने किसी भी प्रकार भर्त्सना नहीं की अपितु किसी न किसी रूप में उसे बढ़ावा ही दिया गया। सम्पूर्ण देश में जब इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान थी तो आपात स्थिति की घोषणा करनी पड़ी। मैं यहां यह बात भी स्पष्ट कर दूं केवल फासिसी के

विरोध में भाजण देने तया फसिस्टवादियों और प्रतिक्रिया वादियों को जेल भेजने से हम वह स्थिति नहीं ला सकते जोकि हम लाना चाहते हैं। अब समय आ गया है जबकि हमें इस बात पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि इन लोगों तथा इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा न मिल सके ।

जहां तक देश की आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है, उसके बारे में यह सभी को मालूम ही है कि वह काफी दयनीय थी । मुद्रास्फीति की जो स्थिति उस समय थी, वैसी उससे पूर्व कभी नहीं हुई थी । देश में सूखा पड़ा हुआ था । अनेक स्थानों पर बाढ़ आई हुई थी जिनके फलस्वरूप अनेक आर्थिक समस्यायें एक साथ उठ खड़ी हुई थी आपात स्थिति के दौरान सरकार ने इस आर्थिक अराजकता को दूर करने का हर सम्भव प्रयत्न किया । अब स्थिति काफी नियंत्रण में आ गई है । राष्ट्रपति द्वारा इन आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए उठाये गये विभिन्न कदमों का विस्तृत उल्लेख किया गया है । क्या हम इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्पादन में अधिकाधिक श्रम प्रधान तरीके अपनाये जायें ताकि रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सकें ? गरीबी एक दिन में दूर नहीं की जा सकती । हमारे यहां 24 करोड़ लोग गरीबी स्तर से नीचे का जीवनयापन कर रहे हैं । प्रश्न यह है कि हम इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं । मेरे विचार में यदि आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों के ऐसे ठोस प्रश्नों पर चर्चा की जाये तो निश्चय ही देश लाभांवित होगा ।

संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । लोकतंत्र में विपक्ष के लिए काफी गुंजाइश है । मैं नहीं समझता कि प्रधान मंत्री ने कभी भी विपक्ष के अस्तित्व में बने रहने के अधिकार से इन्कार किया है । इसके विपरीत वह चाहती हैं कि विपक्ष दायित्वपूर्ण हो, उनकी सरकार का समर्थन करने के लिए नहीं अपितु रचनात्मक सुझाव देने और महत्वपूर्ण मामलों से निपटने के लिए । देश में फासिस्टवाद की जड़ों को काटने के लिए हमें आर्थिक उपायों पर विचार करना चाहिये । हमें सरकार के रिकार्ड का इस बात से जायजा लेना चाहिये कि उसने इस आर्थिक समस्या से निपटने के लिए क्या किया है और भविष्य में इसका क्या करने का विचार है ।

यहां तक कि हमारे विपक्षी मित्रों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मुद्रास्फीति रुक गई है । इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि मुद्रास्फीति रुक गई है । जनता जो बातें 18 महीने पहले कहती थी अब वैसी बातें नहीं कहती । कीमतें गिर गई हैं । कीमतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न वित्तीय उपायों के लिए सरकार बधाई की पात्र है । सरकार ने ऐसा आश्चर्यजनक कार्य किया है जितना विश्व में किसी अन्य देश में नहीं किया है । अन्य देशों में लगभग 8 प्रतिशत अभी तक की मुद्रास्फीति है । हम मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर के सभी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में आगे हैं । मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने में हमें भारी सहायता प्राप्त करने के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से भारी मात्रा में ऋण लेना पड़ा है । भारतीय रिजर्व बैंक ने 1976–77 को अधिक सुखकर बताया है । भारत सहायता संघ ने पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष अधिक ऋण देने का वचन दिया है । लेकिन विदेशी संसाधनों पर कब तक निर्भर रह सकते हैं । हमें यह ऋण तो चुकाना ही होगा । यह सभी जानते हैं कि हमारा लगभग 30 प्रतिशत निर्यात विदेशी ऋण की अदायगी करने में चला जाता है । हम अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाये हैं । हमारी आर्थिक वसूली तथा हमारी सन्तोषजनक आर्थिक स्थिति अधि-

कांशतः विदेशी ऋण एवं सहायता पर ही निर्भर रहती है । मैं यह नहीं कहता कि हमें विदेशी सहायता नहीं लेनी चाहिये । हमारे पास इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है । परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम विदेशी ऋण का भुगतान कैसे करे ? गत वर्ष भुगतान-शेष में 1096 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था जबकि इससे पिछले वर्ष 402 करोड़ रुपये का घाटा था । आशा है कि वर्ष 1975–76 में यह घाटा थोड़ा और अधिक हो जायेगा और यह 1096 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा । भुगतान-शेष के घाटे का पता लगाने के सम्बन्ध में हमें अधिक ध्यान देना चाहिये । यदि हम इस पर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलेगा कि घाटे का मुख्य कारण खाद्यान्नों एवं उर्वरकों तथा तेल का आयात था । तेल के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं । तेल यंत्र उचारण से पैदा नहीं किया जा सकता । तेल का पता लगाना होगा और इसमें समय लगेगा । बम्बई हाई में और पूर्व भारत में तथा उत्तर भारत में विशेषकर जम्मू और काश्मीर में तेल की सम्भावनाओं से अगले चार या पांच वर्षों में स्थिति सुधर जायेगी । खाद्य समस्या एक मुख्य आर्थिक समस्या है और हमें इसको हल करना चाहिये । मैं पूछना चाहता हूं कि हम अनाज का क्यों आयात कर रहे हैं ? यदि हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न हो तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति और मजबूत हो सकती है ।

20–सूत्री कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले 5 वर्षों में 50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई जायेगी । लोग इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि वितरण, बन्धुओं श्रम और ऋणों पर रोक आदि के बारे में बात करते हैं । इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना है । समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना है । इस कार्यक्रम का सभी ने समर्थन किया है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भोजन काल के बाद अपना भाषण जारी रखें । सभा अब स्थगित होती है और मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे पुनः समवेत होगी ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन काल के लिए 1400 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjcurned for lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा 2.00 बजे मध्याह्न पश्चात् पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

(Mr. Deputy-Speaker *in the chair*)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रतास्व—जारी

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—*contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : डा० राव अपना भाषण जारी रखें ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हजारों मजदूरों को जबरन छुट्टी दी गई है अथवा उनकी छटनी की गई है और कारखाने बन्द किये जा रहे हैं । मुझे आज समाचार मिला है कि कानपुर में 18000 मजदूरों को जबरन छुट्टी दी गई है । माननीय प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि इसका कोई उपचार किया जाना चाहिये । अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप श्रम मंत्री को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने के लिए कहें ।

डा० बी० के० वर्दराज राव : मैं इस सभा के समक्ष कहना चाहता हूं कि 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सन्तुलित एवं सुनियोजित कार्यक्रम हैं । यह कार्यक्रम उत्पादन, कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य मूल्यों को स्थिर रखना और सामाजिक न्याय लाना है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली भारतीय जनता के अधिकांशत: उपेक्षित लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना है । बंधुआ श्रमिक पद्धति समाप्त करने, ग तिहर मजदूरों की मजूरी बढ़ाने, आवास की व्यवस्था करने तथा अतिरिक्त भूमि वितरित करने सम्बन्धी कार्यक्रम देश के ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरु किये गये हैं । यदि यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान व्यवस्था को, जो सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ी बाधा है, को बदलने में सहायता मिलगी । अत: इस ग्रामीण कार्यक्रम को लागू करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । व्यापारी लोग भी इस कार्यक्रम का समर्थन करते हैं परन्तु अभी तक बड़ी औद्योगिक कम्पनियों ने कर्मचारियों को निर्णय लेने, प्रबन्ध आदि में भागीदार नहीं बनाया है ।

यदि हमारा निर्यात में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती तथा आयात में पर्याप्त कमी नहीं होती और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष आदि पर हमारी निर्भरता बनी रहती है, तो हमें सफलता नहीं मिल सकती । ईरान, जिससे कि हम बहुत सा तेल आयात करते हैं, मद्रास में उर्वरक उत्पादन में रुचि ले रहा है । उस देश के सहयोग से कुद्रेमुख परियोजना के सम्बन्ध में समझौता किया गया है ।

प्रधान मन्त्री द्वारा आपात स्थिति घोषित किये जाने के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार होने लगा है । हमारे विकास दर में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है । आज सर्वत्र अधिक बिजली अधिक पानी, अधिक विदेशी मुद्रा, अधिक अनुशासन देखने को मिल रहा है । आज हड़तालें नहीं हो रहीं । यदि कार्मिक बोनस के बिना रह सकते हैं, कृषि-मजदूर निम्न स्तर पर जीवन-यापन कर सकते हैं तब व्यवसायिक लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि उनके लाभ उतने ही रहने चाहिएं जितने कि पहले थे । इसलिए मेरा निवेदन है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को समेकित बनाया जाये ।

मैं समझता हूं कि देश के व्यापारी वर्ग को उत्पादन बढ़ाना चाहिए ।

स्वेच्छा प्रकटन योजना में निहित नैतिकता की मैं कद्र करता हूं । 1500 करोड़ रुपये के प्रकटन में 750 करोड़ रुपये छिपी आय के तथा 750 करोड़ छिपे धन के होंगे । इससे केन्द्रीय राजस्व को 250—300 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी । यह धन व्यापार तथा उद्योग में लगाया जा सकता हैं । इस धन-मन्दी की स्थिति से निपटने में सहायता मिलेगी ।

आर्थिक क्षेत्र में मैं बहुत आशावान हूं । यदि अर्थव्यवस्था सुधर जाती है तो हमें न प्रतिक्रियावादियों से और न फास्सिटों से डरने की आवश्यकता है ।

अन्त में मैं अपने दल से तथा विरोधी पक्ष से अनुरोध करूंगा कि वे 20 सूत्री कायक्रम को अपनाएं । अगले वर्ष आम चुनाव होंगे तथा विरोधी पक्ष को भारी संख्या में आ सकने का अवसर मिलेगा ।

श्री सेझियान (कुम्बाकोणम) : यह कहना सही है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को सब ओर से समर्थन मिला है और इसका स्वागत किया गया है—सदन में ही नहीं वरन् सदन के बाहर भी । हम भी उसका स्वागत करते हैं । जब कभी भी कोई आर्थिक कार्यक्रम सदन में लाया गया हमारे दल ने उसका उत्साह से स्वागत किया है ।

बीस सूत्री कार्यक्रम को घोषित हुए छः मास हो गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन की कौनसी योजना है? राष्ट्रपति के अभिभाषण में पंचवर्षीय योजना का उल्लेख नहीं है। केवल वार्षिक योजना की चर्चा की गई है। देश में योजना कार्यक्रम लाते समय उद्देश्य यह था कि नागरिकों को जीवन-यापन के साधन सुलभ हों। आम जनता के लाभ के लिये वस्तुओं का ठीक वितरण हो तथा इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था हो जिससे धन का संचय कुछ एक हाथों में न हो। इस उद्देश्य से चार पंचवर्षीय योजनाएं हमारे सामने आईं। पांचवीं योजना में भी निर्धनता समाप्त करने और आर्थिक आत्म निर्भरता को लक्ष्य बनाया गया है। हम जानना चाहते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम इस योजना को किस प्रकार गति देगा। तथा क्या पंचवर्षीय योजना को चालू रखा जायेगा? या हम 20 सूत्री कार्यक्रम को ही चलायेंगे?

मैं यह जानना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम का पंचवर्षीय योजना के साथ कैसे तालमेल बैठाया जायेगा?

पहली योजना से ही भूमि की अधिकतम सीमा की बात चल रही है। तब से निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में सरकार को कहां विफलता प्राप्त हुई।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई के अन्तर्गत लाने का कार्यक्रम है, जबकि पांचवीं योजना में 62 लाख हैक्टेयर का लक्ष्य था। परन्तु इसको करने का साधन क्या है? 20-सूत्री कार्यक्रम की सफलता के लिये हमने क्या योजना बनायी है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमने इसके आधार पर मान्यताएं निर्धारित की हैं और क्या हमने इस कार्यक्रम के प्रत्येक सूत्र पर होने वाले भारी खर्च की समस्या का भी अनुमान लगाया है क्या हमने आवश्यक निधियां आवंटित की हैं। मैं इस सम्बन्ध में सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

जहां तक 26 जून, 1975 को लागू की गई आपात स्थिति का सम्बन्ध है वह 20 सूत्री कार्यक्रम को ही लागू करने को जारी रखी गई है। लेकिन आपात स्थिति तो असाधारण स्थितियों के लिये ही लगाई जाती है। हम जानना चाहते हैं कि सामान्य स्थिति कब तक आ जायेगी। और यह कैसे जाना जायेगा कि सामान्य स्थिति हो गई और अब आपात स्थिति समाप्त कर दी जानी चाहिए? यह कहा गया है कि आपात स्थिति के अच्छे परिणाम निकले हैं। परन्तु इस बात की क्या गारण्टी है कि भविष्य में इन संसाधनों और शक्तियों का अपने स्वार्थ के लिये अलोकतांत्रिक ढंग से उपयोग नहीं किया जायेगा? किसी भी संविधान में विशेषतः लिखित संविधान में आपात-स्थिति घोषित करने की व्यवस्था अवश्य होती है। ऐसी स्थिति में सांवैधानिक सरकार पर प्रतिबन्ध लग जाते हैं तथा जनता के अधिकार निलंबित हो जाते हैं और यह केवल कुछ समय के लिये होता है। परन्तु इस बात का निर्णय कौन करेगा कि लोकतन्त्र में आपात स्थिति के कारण समाप्त हो गये हैं।

ब्रिटेन में संसद् ने कार्यपालिका को वहां के नागरिकों के महत्वपूर्ण अधिकारों में हस्तक्षेप करने की शक्तियां प्रदान की हैं, जो कि गम्भीर राष्ट्रीय खतरे में उचित समझे जाते हैं। लेकिन वहां न्यायालयों ने उन शक्तियों एवं अधिकारों के दुरुपयोग के मामलों की जांच की है और जहां उन शक्तियों के दुरुपयोग का पता चला वहां न्यायालयों के अधिकारों का सदैव सम्मान किया गया है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों में भी किसी पीड़ित पक्ष को अदालतों या न्याय से वंचित नहीं रखा गया था।

अमरीका में भी राष्ट्रपति शासन पद्धति है लेकिन वहां राष्ट्रपति को कोई निर्बाध अधिकार प्राप्त नहीं हैं। किसी भी कानून को लागू करने के लिये वहां की कांग्रेस को शक्ति प्राप्त है। लेकिन इस

बात का निर्णय न्यायालय ही करता है कि वहां ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिससे अधिकारों को समाप्त करना न्यायोचित है।

जब भी एक शक्ति द्वारा दूसरी शक्ति के अधिकार को छीना जाता है तब विधि और न्यायालय का कार्य प्रारम्भ होता है। हमें भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि कार्यपालिका अपनी सीमाओं का उल्लंघन करती है तो उस पर कुछ अंकुश होना चाहिए।

प्रजातन्त्र के संचलन में वाद विवाद एवं आलोचना का स्वागत किया जाना चाहिए, जब तक कि हिंसा का सहारा न लिया जा रहा हो। प्रजातन्त्र के लिये प्रशंसा एवं प्रेम रखते हुए भी श्री जवाहर लाल नेहरू इस बात को स्वीकार करने को उद्यत नहीं कि बहुमत सदा सही होता है। अरस्तु का कथन है कि जब मनुष्य पूर्ण बनता है तब वह सर्वश्रेष्ठ पशु बन जाता है परन्तु जब वह कानून और न्याय से पृथक् हो तो वह सबसे हीन बन जाता है।

हमें तत्कालीन स्थिति पर ही ध्यान देकर निर्णय नहीं लेने चाहिए अपितु एक नीतिज्ञ की भांति आगामी पीढ़ी पर भी दृष्टि रखनी चाहिए।

हमें इस बात से सावधान रहना है कि आपात स्थिति का संविधान को विकृत करने तथा इस देश के लोकतन्त्र को समाप्त करने के लिये उपयोग न किया जाये। हमने महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया है। ये सभी व्यक्ति स्वतन्त्र भारत के लिये श्रेष्ठ विरासत छोड़ गये हैं। जिसमें वे व्यक्ति की स्वतन्त्रता, प्रेस की स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता, वयस्क मतदान का अधिकार तथा न्याय चाहते थे।

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं। राष्ट्रपति ने कहा है कि विघटनकारी तत्व अभी भी सक्रिय हैं। अतएव राष्ट्र को सतर्क एवं अनुशासनबद्ध रहना चाहिए। अभी खतरा बना हुआ है विदेशी विघटनकारी तत्व कार्यरत हैं, अतएव आपात स्थिति चालू रखनी चाहिए।

कुछ शक्तियां यह नहीं चाहती कि भारत आत्म निर्भर बने। आनन्दमार्ग के अवैध घोषित किये जाने के पश्चात् उसका मुख्यालय बैंकाक में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

एक पत्रिका 'वाच टावर' के नाम से 78 भाषाओं में प्रकाशित होती है। इस पत्रिका में विश्व के राष्ट्रों को अपनी प्रभुसत्ता को त्याग कर एक ऐसे प्राधिकरण को स्वीकार करने के लिये प्रेरित किया जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उनका मार्गदर्शन कर सके। श्री श्रीमन्नारायण ने भी उससे मिलती जुलती बात कही है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हमारी गुट निरपेक्षता की नीति ने गुट निरपेक्ष देशों में हमारा महत्व बढ़ाया है। हम उन देशों के नेता बन गये हैं।

हमने सदा अफ्रीकी एकता का पक्ष लिया है तथा इसराइल द्वारा अरब क्षेत्र छोड़ने का समर्थन किया है।

सरकार को विभिन्न धार्मिक संगठनों को प्राप्त होने वाले धन के बारे में लेखा परीक्षण कराना चाहिए। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि इस धन का उपयोग किस तरह होता है। 1961 में 3700 गुप्तचर कार्यरत थे। भारत में गुप्तचरों की संख्या ज्ञात नहीं है। डियागो गार्सिया द्वीप मे उन्होंने बहुत

सा धन लगाया है। वह हमारे तेल प्राप्त करने की व्यवस्था पर नियन्त्रण करना चाहते हैं। हम बम्बई हाई की ओर अत्यधिक ध्यान देना चाहिये।

चीनी सेनाएं हमारी उत्तरी सीमा पर सक्रिय हैं तथा शिमला समझौते पर प्रगति रुकी पड़ी है। चीन तथा रूस ने चिट्टागोंग में अड्डो की मांग की है। चीनी प्रवक्ता ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा था कि उन्हें तीसरे युद्ध का भय है।

अपनी अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में हमें यह देखना है कि प्रधान मन्त्री का 20 सूत्री कार्यक्रम उचित रूप से तथा सन्तोषजनक ढंग से क्रियान्वित किया जाता है। इसमें सफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक जनता को इससे सम्बद्ध नहीं किया जाता। यदि संविधान असमानता को दूर करने में बाधक बन रहा है तो हमें उसमें संशोधन करने चाहिएं। हमें इस बात को भी देखना है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में तालाबन्दी और जबरी छुटटी न की जाये। हाथी समिति का प्रतिवेदन भी लागू किया जाये क्योंकि औषध उद्योग बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथों में है।

श्री के० मनोहरन (मद्रास—उतर) : मुझसे पहले मेरे मित्र श्री सेझियान तथा श्री वी० के० आर० वी० राव ने भाषण दिया। दोनों ही सदस्यों के भाषणों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना। प्रो० राव ने कहा है कि यदि अर्थव्यवस्था का समुचित विकास हो जाता है तो फिर हमें देश में विद्यमान फासिस्टवादी तथा प्रतिक्रियावादी दलों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

किन्तु मेरा विचार है कि जब तक प्रतिक्रियावादी तत्वों का उन्मूलन नहीं कर दिया जाता तब तक न तो अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सकता है और न ही राजनीतिक स्थिरता कायम की जा सकती है।

मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि देश इस समय विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमारे यहां लोकतन्त्र है जो कि एक प्रकार से हमारे जीवन का अंग है। यही कारण है कि हमने देश में लोकतन्त्र का स्वागत किया। अब प्रश्न यह है कि आपात् स्थिति की घोषणा किन परिस्थितियों में की गई और क्यों की गई। यह बात प्रधान मन्त्री तथा देश के उत्तरदायी राजनीतिक दलों ने जनता के समक्ष स्पष्ट कर दी है। देश में अनुशासन की स्थापना के लिए आपात्-स्थिति की उद्घोषणा की गई है। फास्टिवादी तत्व देश में लोकतन्त्र को समाप्त करने में ल हुए हैं। साम्राज्यवादी ताकतें प्रति-क्रियावादी तत्वों से मिलकर इंदिरा गांधी की सरकार को पूर्णतया नष्ट करना चाहते हैं और इस प्रकार देश में अव्यवस्था तथा उथल—पुथल पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि प्रधान मन्त्री ने ठीक समय पर आपात्-स्थिति की घोषणा करके उचित कदम उठाया है। मेरे मित्र श्री सेझियान ने पूछा है कि आपात्-स्थिति कब समाप्त होगी। यह सोचना प्रधान मन्त्री का काम है कि आपात-स्थिति को समाप्त कर दिया जाये। या जारी रखा जाय। आशा है कि देश में सामान्य स्थिति उत्पन्न होने पर आपात्-स्थिति समाप्त कर ली जायेगी। संवैधानिक परिवर्तनों के बारे में काफी कुछ कहा गया है। हमारी राय है कि संविधान एक जीवित दस्तावेज रहना चाहिए और इसमें देश वासियों की सच्ची भावनाएं, आकांक्षाएं तथा उठती हुई आशाएं प्रतिबिम्बित होनी चाहिएं। संविधान प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों को नियमानुसार चलने का उपकरण तो है ही, साथ में देश से गरीबी का उन्मूलन करने और देश को आगे बढ़ाने का एक शक्तिशाली हथियार भी है। हमें देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए संविधान को तदनुसार रूप देना है।

प्रधान मन्त्री ने कहा है कि वह संविधान में कुछ परिवर्तन करना चाहती हैं जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति प्रकट की है। कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। मेरे विचार से संविधान देशवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, होना चाहिए। यदि कोई संविधान हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक बनता है तो ऐसे संविधान को ताक पर उठा कर रखा जा सकता है। मेरी राय यह है कि प्रधान मन्त्री संविधान के ज्ञानियों तथा विशेषज्ञों का एक सम्मेलन बुलायें और जो भी परिवर्तन करने हों उन्हें चर्चा के लिए उनके सामने रखें।

राष्ट्रपति के भाषण में भाषा के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ओर के लोग समझते हैं कि हम पर चालाकी से हिन्दी थोपी जा रही है। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिए गए आश्वासन के विरुद्ध है। यह आश्वासन बार-बार दोहराया गया है। देश बड़ी विषम स्थिति से गुजर रहा है, इसलिए हमें भाषा के बारे में कोई विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहिए।

तमिलनाडु में शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। यदि कोई संसद सदस्य मद्रास जाये तो देखेगा कि वहां दीवारों पर "इंदिरा गांधी फासिस्ट है" "लोकतन्त्र को नष्ट किया जा रहा है" जैसे नारे लिखे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के पर्चे बांटे जाते हैं जिनमें बड़ी अनुचित बातें लिखी होती हैं। तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में नहीं है। अन्ना द्रमुक के संयोजक को आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। यदि तमिलनाडु सरकार को थोड़ी भी शर्म होती तो उन्हें चिंगलपुट निर्णय के बाद त्यागपत्र दे देना चाहिए था। जब तमिलनाडु के मुख्य मंत्री चिंगलपुट गए तो लोगों ने काले झंडों का प्रदर्शन किया। क्यों?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए। मैं आपको दुगना समय दे चुका हूं।

श्री के० मनोहरन् : जब श्री जयप्रकाश नारायण मद्रास गए थे तो कांग्रेस दल तथा युवा कांग्रेस ने काले झंडों का प्रदर्शन किया था। उन लोगों को तब निर्दयता से पीटा गया था। इसके विरोध में अन्ना द्रमुक तथा एम० जी० आर० ने निर्णय किया कि करुणानिधि जहां कहीं जायेंगे उन्हें काले झंडे दिखाये जाने चाहिएं। इस पर कई लोगों को पीटा गया और गिरफ्तार किया गया।

Shri Amarnath Vidyalankar (Chandigarh) : Everyone knows in what circumstances emergency was proclaimed. It is quite evident to everyone as to what kind of situation existed in the country prior to imposition of emergency. Certain reactionary forces were bent upon subverting democracy end, keeping that in view, Government had to take a right step at right time in declaring emergency with a view to curb their antinational activities. The opposition groups had adopted a policy of tarnishing the image of the present Government and had creted a climate in which democratic functioning of Government had been made impossible. It was under such compulsion that emergency had to be enfroced.

We have achieved several positive gains from the emergency. Our economic situation has improved and there has been an increase in the agricultural and industrial production. The incidences of crime has gone down and the parallel economy if unaccounted wealth has been smashed. There is no doubt that after emregency the country has made progress but there still it is very necessary to keep a vigilant eye over the disruptive and reactionery forces. The misuse of emergency powers has to be checked.

For proper implementation of the 20 point economic programme, it is essential to bring about the required changes in the attitude of the bureocuracy. Under this programme, the structure of rural economy has to be radically and rapidly changed. The opposition groups should help in bringing about normalcy in the country. We will have to create a good at-

mosphere so that normalcy is restored. If efforts are not made to create good atmosphere and the things continuously go on as they were prior to emergency, our democracy, and socialism will be in peril.

Shri S. A. Shamim (Srinagar) : Mr. Deputy Speaker, when the Hon. President addressed both the Houses, I was not present here. Thereafter, I was given a copy of the Address: I do not feel the necessity to go through it, because it contained the same things which I had anticipated.

The Hon. President has not justified the imposition of emergency in the country I always supported those policies of Mrs. Indira Gandhi which were in the interest of the nation and that is why Shri Shyam Nandan Mishra once told me that I was a great loyalist.

Before the imposition of emergency, Mrs. Gandhi was running the world's greatest democracy. But what happened after the 26th June, I am not able to convince myself about its justification. There is no moral strength left with her now. It can be argued that the atmosphere in the country was not conductive for the functioning of Parliamentary democracy before the promulgation of the emergency. But what happened after emergency proved that the Prime Minister was not angry merely with those elements who wanted to subvert democracy, but she was also angry with the Press, the Parliament and with the judiciary in the land. The Prime Minister was also angry with the foreign press, although she has utilized the same source for making allegations against some of these countries when it suited her. From the statements and arguments of Mrs. Gandhi, it appears that she is on the path of dictatorship. Mrs. Gandhi says that C.I.A. agents are active in our country.

How long emergency will last ? The way Congress members have supported the emergency and the way things are happening, it is clear that they have decided to change the present system.

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : प्रश्न पूछे जाने पर ही मैंने अनेक बार कहा है—"मैं कभी भी किसी चुनाव के बारे में भाविष्यवाणी नहीं करती"।

श्री एस० ए० शमीम : मैंने श्रीमती गांधी से कहा है कि उनकी बात अनेक बार गलत सिद्ध हुई हैं। श्रीमती गांधी ने स्पष्ट कहा था कि "गुजरात चुनाव के बारे में, मैं श्री मोरारजी देसाई के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगी।" उन्हें आत्मसमर्पण करना ही पड़ा।

श्रीमती इंदिरा गाँधी : यदि ये मेरी बात को गलत ढंग से रखेंगे तो मैं चुपचाप होकर कैसे सुन सकती हूं ?

श्री एस० ए० शमीम : श्रीमती गांधी ने सैंकड़ों बार कहा है कि मैं विरोधी दलों के साथ बातचीत नहीं करूंगी **(व्यवधान)**। गुजरात विधान सभा भंग की गयी। उनकी बातें सैंकड़ों बार गलत सिद्ध हुई हैं **(व्यवधान)**

Shrimati Indira Gandhi : You can not misquote me.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में न बोलें।

Shri S. A. Shamin Mr. Deputy Speaker is here to see whether I am quoting correctly or not. You said in this House that Gujrat election will not be held before expiry of its term Assembly will not be dissolved and later on the same Assembly was dissolved.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शमीम, अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एस० ए० शमीम : मैं समाप्त कर रहा हूं।

Shri Vasant Sathe : You should quote atleast one correct instance.

Shri S. A. Shamim : They want that there should be no debate and dissent in the country. Debate has come to an end in the Congress Party itself. There was no one voice of dissent at the Chandigarh Congress session.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री वसंत साठे : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक माननीय सदस्य किसी मसले को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे सुन रहा हूं।

श्री वसंत साठे : यदि किसी सदन से बाहर की घटना को किसी राजनैतिक दल को बदनाम करने के लिये जानबूझ कर सदन के अन्दर गलत ढंग से पेश किया जाता है तो यह गैर संसदीय है और इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री एस० ए० शमीम : मैंने कहा है कि **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सदन में बहुत ही जिम्मेवारी से सब बातें ठीक कहनी चाहिये। इस मामले में मैं नहीं कह सकता कि क्या ठीक है अथवा क्या ठीक नहीं है। इन्होंने जो बात कही है उसका दूसरी ओर से खंडन हुआ है....

श्री एस० ए० शमीम : वह बात क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री शमीम ने कहा है उसका कांग्रेस पक्ष की ओर से खंडन हुआ है। अब बात वहीं समाप्त हो जानी चाहिए। मैं कैसे निर्णय कर सकता हूं कि कौन-सी बात ठीक है?

श्री वसंत साठे : जब इस बात का स्पष्ट रूप से खंडन हो चुका है तो इन्हें और और बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) He was saying that he has got every right to speak wrongly.

श्री एस० ए० शमीम : मैंने कहा था कि चाहे मैंने सच कहा है अथवा झुठ, इसका निर्णय आप नहीं बल्कि उपाध्यक्ष महोदय करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक मुझे सच्चाई का पता न हो तो मैं कैसे निर्णय कर सकता हूं कि क्या सच है अथवा क्या झु है।

श्री राम सहाय पांडे : आप रिकार्ड देखें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात मान चुका हूं कि कोई भी सदस्य यह जानते हुए कि यह गलत है, ऐसा वक्तव्य नहीं दे सकता।

श्री एस० ए० शमीम : जब भी मैं कोई बात कहता हूं, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं।

I was saying about emergency. The manner in which congress members supported the emergency is indicative of the fact that they have decided to change the system and that they are on the path of dictatorship.

The Minister of Steel and Mines (Shri Chandrajit Yadav): Emergency was imposed about six months ago and we are meeting for the 2nd time during this period of six months

[श्री वसंत साठे पीठासीन हुए
Shri Vasant Sathe **in the Chair**]

What were the causes which led to the emergency ? The country was passing through crisis and discontentment was underspread. Prices were rising and inflationary trends were growing. Floods and drought were unprecedented. We tried our best to overcome the crisis. We tried to check the inflation.

We did all to overcome the cirsis by reducing unnecessary expenditure. We, know that some of the steps taken by us also created difficulties to the poor people. Consequently, we succeeded in curbing the inflation. We also tried to raise the production so that shortages could be removed.

Our efforts are still continuing and we are fixing priorities. The Government is mobilizing its resources. We have overcome the crisis, price-sprial and inflation and we are proceeding towards a new destination. Nature has also favoured us. There is a good crop. We are creating a new atmosphere in the country.

Unfortunately, opppsition parties tried to make political gains out of the national crisis and indulged in strikes, violence and character assassination. Police and Army was openly called up to revolt. Everything was done to obstruct the production. The Prime Minister was charged with dictatorship. She had to resort to emergency when all the hopes of saving the democracy were dashed and when the best effort of the Government to solve the crisis in a normal way had failed. Prime Minister is respected in the nook and corner of the country.

Freedom of the press had been misused throughout 27 years of freedom which indulged in false propaganda and character assassination.

Violence and sabotage were loose in the name of total revolution. Is ideology of the Jan Sangh and R.S.S. the only way leading to socialism in the country? Is the CPM sailing in the same boat?

We are proud of our Prime Minister who took constructive steps to fulfil the hopes and aspirations of 60 crores of people. Surprisingly opppsition members have not referred to the commendable achievements in their speeches they have only pleaded the cause of the Jan Sangh, R.S.S and other anti-national forces.

We believe in parliamentary system and people's power. We are of the opinion that we can develop and make progress only through peaceful and non-violent means.

We will have the socialism of our own but at the same time we will learn from the experience of others also.

The other ideology is that of indulging into violent and sabotaging actvities. This ideology consists of the people who fail to trust themselves. It is correct that opppsition has got every right to launch satyagraph and other movements for changing the Government but in our country the opppsition started some undemocratic moves at a juncture when country was passing through a serious economic crisis. The greatest crime of these parties was that they tried to demoralize the confidence of the people. Our Government was fully alive to all problems and was rather quite active in grappling with them. To overcome the recent problems of oil crisis, exploration work for oil and gas was started more vigorously. Our engineers succeeded in finding out the oil deposits in the sea. Not only this but recently our country became a nucleur power. The long outstanding Kashmir problem was also solved. But despite all the creditable achievements, opposition tried to capitalise at every critical juncture and resorted to undemocratic means for toppling a du elected Government of the people. Our Prime Minister Smt. Indira Gandhi once said that whenever there will be a clash between my party and the country, I will side with the country rather than party. It is because of her love for democratic values which made the people of sikkim to join Indian Union.

At this juncture I am reminded of Vietnam. Although it is a small country of Asia but it is a great country so far as patriotism is concerned. It's greatest power lies in its people. In India also the greatest power lies with the people and they have welcomed the declaration of emergency on 25th June 1975.

The Emergency has set in an era of discipline and efficiency in the country. In this connection mention may be made of the progress in some industries such as coal, aluminium, fertilizers, steel, power and crude. The production of all these 'things has gone up after the declaration of emergency. Today our student is more disciplined and our Universities are without an

atmosphere of tension. The production in the factories has gone up and the workers have become more responsible.

During last days housing plots were distributed to more than 60 lakhs families of landless people. The number of schools and colleges has gone up manifold. The facilities of scholarships, cheap books and stationery and subsidised meals have been given to students.

The system of labour participation in management was introduced in public sector undertakings first rather than in private undertakings. It is a matter of satisfaction that this is going on quite successfully. A big programme has been launched for the benefit of the country. The success of all these schemes lies in people's active participation and involvement. That is why we have always tried to seek the co-operation of the people at various levels.

Today our country is passing through an unprecedent economic crisis. We will have to increase our public investment for overcoming this problem. We cannot have a strong economy till we are not self-reliant in foodgrains. For the attainment of self-sufficiency in foodgrains, we will have to give an important place to the poor and marginal farmers who are the very backbone of our agricultural economy. Efforts are being made to increase production and reduce the imports. For this purpose a vigorous programme for import substitution has been launched.

The other prominent problem before the country is that of balance of payment. Crores of rupees are being spent on imports. It is our sincere effort to decrease import and increase export. A nubmer of steps have been taken to step up the production of fertilizer, petrol and engineering goods in the country. We are sure that in this new atmosphere we will succeed in achieving new production targets with the full co-operation of masses. The election results of 1971 made it clear that the masses are with the progressive policies of Smt. Indira Gandhi, rather than the grand alliance.

The progressive forces of the country who have faith in progress and socialism should unite. The Prime Minister in the Chandigarh session called upon the people that there was no way other than socialism. Our nation is poor and the people cannot earn their livelihood even after toiling hard. I hope that our people would suppprt our socialistic policies.

Kumari Manibaen Patel (Sabarkantha): It is stated in the Presidential Address that there is peace and order in the country. If it is true what is the necessity of continuing emergency. It should be done away with.

The Prime Minister stated that MISA would not be used against political leaders. But the fact is that it is used against political leaders, who had been put in jail. If these leaders have done something wrong they should be prosecuted and punished. But that is not being done. There are complaints of ill-treatment of leaders in the jail. The Government has claimed that the corruption has been rooted out, whereas the fact is there is lot of corruption in the railways in the matter of booking.

The Government claims that the essential goods are readily available to the people, whereas the fact is that common people are hard up due to high prices of things like kerosene oil, cooking gas and petrol. The Government is responsible for the increase in prices of these commodities. The censorship has imposed in a strange manner. What is said by the ruling party appears in the press, but whatever is being said by the opposition is being blacked out. Even the statements of the Gujarat Chief Minister in the State Assembly or outside are not covered by the Press or All India Radio.

In Chandigarh Congress session there was no proper arrangement for food and bedding. (*interruption*), Is this the discipline (*interruption*). Does it enhance the prestige of their party.

Shrimati Indira Gandhi: When the members of their party interrupt in between them, it enhances their prestige.

Kumari Maniben Patel: I am not new in this Parliament. (*Interruption*).

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : सभा के नेता के अनुदेश के बाद भी कुछ सदस्य दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कृपया इन पर नियंत्रण करें।

Kumari Maniben Patel: I was not interested to come to this Parliament but I have been sent here. The former Hon. Speaker has been demoted. The government has put even the members of ruling party behind the bars. Those persons who join Congress become progressive and those who join our party are named reactioneries.

Shri Shanker Dev (Bidar): Prior to the independence people were more concerned with their duties than with their rights. After independence an era of rights has commenced. The framers of the Constitution forgot to incorporate a chapter about duties in the Constitution. Strikes became part of duties. Even these freedom fighters who were ready to sacrifice their all for the motherland are now anxious for their rights. If the freedom crosses its limit slavery takes its place. The rights and duties supplement each other. Rights withott duties and duties without rights are incomplete. There is need for coordination between the two. It is a saying of 'Gita','Do your duty and forget it.' Our next step would be return good for evil. Our Constitution should be redrafted on the basis of saying of Gita, wherein Fundamental Duties shall have a place along side the Fundamental Rights.

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान): राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण करने वाले सदस्यों के भाषणों में आपात् स्थिति की घोषणा किये जाने का औचित्य सिद्ध करने का यत्न किया गया है। श्री चन्द्रजीत यादव तथा अन्य सदस्यों ने भी विरोधी सदस्यों की निंदा तथा आपात्स्थिति की प्रशंसा की है। साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल पर दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों के साथ गठजोड़ का आरोप लगाया गया है। इन दलों में कोई गठजोड़ नहीं है केवल नागरिक स्वतन्त्रताओं के बनाये रखने पर सहयोग किया गया है। इस मामले पर हम किसी से भी सहयोग करने को तैयार हैं।

जब भारतीय लोकदल, स्वतन्त्र दल और जनसंघ से सम्बद्ध भूतपूर्व नरेश शासक दल में शामिल होते हैं तो वह प्रगतिशील बन जाते हैं।

सरकार ने आंतरिक सुरक्षा के लिये आपात् स्थिति की घोषणा की है। आपात् स्थिति 1971 से चली आ रही है तथा भारत रक्षा नियम आदि के रूप में शक्तियां सरकार के पास पहले से ही विद्यमान थीं। कोई भी नई शक्ति सरकार ने नहीं प्राप्त की है। तब आपात्–स्थिति किस लिये घोषित की गई है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात् स्थिति की व्यवस्था है। आपने उसे घोषित नहीं किया। आंतरिक सुरक्षा को बहाना बनाया गया है क्योंकि एक व्यक्ति की स्थिति डगमगा रहीं थी। समाचार-पत्रों और विरोधी दलों को बुरी तरह दबा दिया गया है। लोगों को विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं है।

मेरा प्रधान मन्त्री से, सरकार से तथा अन्य लोगों से यह प्रश्न है कि दूसरी आपात् स्थिति कौन–सी विशेष शक्तियों के लिये घोषित की गई है। गाड़ियों का देर से चलना आपात् स्थिति के लिये कैसे जिम्मेदार है।

कांग्रेस दल निरन्तर देश पर शासन करता रहा है। परन्तु जनता की भलाई करने में विफल रहा है। जनता का दु:ख बहुत बढ़ गया है और उसके लिये सरकार उत्तरदायी है। श्री जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं द्वारा 25 वर्ष पूर्व निर्मित संविधान अब सरकार के लिये उपयुक्त नहीं रहा।

यदि श्री जयप्रकाश नारायण अथवा श्री मोरारजी देसाई दोषी हैं तो उन पर मुकद्दमा चला कर उन्हें कठोरतम दण्ड क्यों नहीं दिलाते? वर्तमान संविधान के अनुसार ही सरकार के पास बहुत सी शक्तियां हैं। आप जनता का सामना करने से डरते हैं। प्रधानमन्त्री के मुकदमे में उनके पक्ष में निर्णय देने वाले एक न्यायाधीश ने कहा है कि क़ानून वही नहीं है जो शासक वर्ग कहता है, अपितु वह है जो न्यायालय निर्णीत करता है। आज विरोधी सदस्यों के

भाषणों को समाचार-पत्रों में जो स्थान दिया जाता है क्या उसी ढंग से देश की बागडोर आप सम्भालेंगे?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह यह न सोचें कि देशभक्ति पर केवल उनका ही अधिकार है। हम भी चाहते हैं कि इस देश में सुशासन हो। यदि हमारे विचार भिन्न हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि हममें देशभक्ति नहीं है। न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को आप सहन नहीं करते। कल्याणकारी कानूनों में न्यायालय कैसे बाधक रहा है। एक भी कल्याणकारी कानून का नाम लीजिए जिसमें संसद बाधा बनी है। इसके विपरीत आपने बोनस की दर घटाई है। बैंक आफ इंडिया के कर्मचारी अपनी शिकायतों के लिए मैनेजर से मिलें तो उनको उस अवधि का वेतन नहीं दिया गया। क्या इसी तरह से जनता का सहयोग प्राप्त किया जायेगा? कहा गया है कि आपात् स्थिति जारी रखी जाये और निर्वाचन न कराये जायें। लघु उद्योग लगभग ठप्प पड़े हैं। आपने सम्पत्ति के अधिकार पर कोई अंकुश नहीं लगाया परन्तु स्वतन्त्रता और समानता के अधिकारों का ही हनन किया है।

पटसन उद्योग में रियायतों पर रियायतें दी गई हैं जबकि पटसन उत्पादकों को कोई रियायत नहीं मिल रही। आज आप हड़तालों, तालाबन्दियों को अपनी आपातशक्तियों से रोक रहे हैं। वस्त्र निगम ने जिन मिलों को अपने अधिकार में लिया है उनके कर्मचारी अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं। उनके विरुद्ध कोई भी शिकायत नहीं मिली। मिलों में माल जमा है। उनके अधिक मूल्यों के कारण दुकानदार उसे खरीद नहीं सकते, उपभोक्ताओं की तो बात ही क्या है?

देश की यह स्थिति है। हमें बताया जाता है कि कुछ गड़बड़ की जाने वाली थी, जिसके लिये आपात् स्थिति घोषित करनी पड़ी। यदि जनता आपके साथ है तो आप उससे भयभीत क्यों हैं?

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad): I support the motion of thanks on the Presidential Address. The opposition has all along been putting obstructions in the development activities of the country. None of the political parties has done any constructive work all these years. This sort of attitude on the part of opposition parties compelled the Prime Minister to proclaim emergency in the country.

It is correct that the opposition leaders have been put in the jails. They have been kept in guest houses. They have full facility there to write auto-biographies. They would have an opportunity to have an introspection of their deeds for the last 25—27 years. I am confident that they would reach the conclusion that the emergency was declared only due to their misdeeds. The party and Government of Shrimati Indira Gandhi is not responsible for it.

Could not the opposition members behave the way they are now doing? They had been creating confusion in the House and preventing the students for attending classes. The leniency of the Government was misused. The Prime Minister was forced to declare emergency in those circumstances. It is for the first time during the last 25 years that the whole country is marching ahead on the right path. The elections are a natural necessity and our party is not at all afraid of facing the electorate. Our party has simply decided to postpone the elections so as to continue with the progressive works without any interruption.

Our godowns on harbours are being used for smuggling activities. Necessary action should be taken by the Government to ensure the use of godowns for export purposes. Steps should also be taken to increase the foreign exchange earnings. The new sugar factories of Co-operative sector should be given more concessions. With these words, I support the motion.

Prof. S. L. Saksena (Maharajganj) : I have been listening to the speeches of various Members belonging to the Ruling party and Opposition parties but none of them has tried to put forward some positive suggestions for solving the present situation. I personally feel that now the time has come when we should have a fresh look at the situation in the country. The release of Shri Jayaprakash Narayan and Shri Mehtab has not caused any threat to the law and order situation in the country. Similarly the release of other leaders of the opposition who are in jails, will not pose any danger to the law and order and they should be released at the earliest. No doubt emergency has done some good to the country and be continued but the continued detention of opposition leaders will not be in the best interest of the country and its democratic image abroad.

There is a fertilizer factory in Gorakhpur. This factory suffered a loss to the tune of crores of rupees because of power shortage and fire in the factory. The report of the Enquiry Committee which had gone into the matter should be implemented for increasing the production in the factory.

I fully support the 20 point programme because it is a good programme. But it is again the proper implementation of this programme which matters much. Though land is being distributed to the landless persons but even in distribution the currupt practices are going on. This matter should be looked into.

Lastly I once again submit that the situation in the country is almost normal and opposition leaders should be released so as to enable opposition to play its role effectively.

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri Garhwal) : The entire nation is grateful to the Prime Minister for declaring emergency on 25th June and announcing the 20 point economic programme. The emergency has set in a new era of discipline in the country and the 20 point programme has given new direction to our development efforts. After the declaration of emergency, the production has gone up and prices have taken a downward trend. There is marked improvement in the economic situation is the country.

Some Members of the opposition parties have criticised the emergency as well as the Press-censorship. As a matter of fact it is an attempt to support the irresponsible newspapers who indulge into mud-slinging. They should bear in mind that the days of yellow journalism, which posed a threat to the independence of the country are over now.

The President in his Address has referred to the issue of improvement in administration. It is correct that unless our administration is toned up, our social and economic objectives cannot be fulfilled. The Estimates Committee in its 69th report has also stressed the need for posting the best and most efficient officers in the backward areas. It has also been suggested by the Committee that specific works should be entrusted to the officers posted in backward areas and specific note should be taken of their performance at the time of their promotion. But I am sorry to point out that no attention had been paid to the recommendation. Similarly, the Estimates Committee in its 70th report recommended the formations of a Backward Area Industrial Corporation but nothing has been done in this regard also. I hope the Government will look into these aspects.

The tendency of coming to cities is increasing among landless and marginal labours. Necessary steps should be taken to curb this tendency Agro-industries and other village industries should be set up in rural areas. Efforts should be made to manufacture all essential goods in rural areas so that farmers should be come self-reliant.

There is no shortage of resources in our villages. man power holds an important position so far as resources are concerned.

Shri G. Vishwanathan in the Chair

श्री जी० विश्वानाथन पीठासीन हुए

There is no dearth of resources and man-power. in hlilly areas like Kashmir, Nagaland, Meghalaya and U. P. These aeras should be developed by settingup resources based industries. Efforts should be made for proper co-ordination of natural resources, man-power and technical know-how.

In the second Plan there was a proposal to set up a watch factory in Tehri Garhwal but this factory has not come up so for. Now immediate steps should be taken for setting up this factory. It is also suggested that chemical industries should also be set up in Mussoorie Hills so as to utilize deposits of Lime stone there. A plan should also be drawn up to make use of deposits of rock phosphate.

Lastly I want to submit that Tehri Dam is pending since 2nd Five Year Plan. This is a very important dam which will not only provide electricity and irrigation facilities, but will also hlep in checking the floods. All steps should be taken for the development of this area.

With these words, I support the motion.

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : मैं श्रीमती इंदिरा गांधी तथा श्री डी० के० बरुआ की आभारी हूं जो उन्होंने मुझे कांग्रेस दल से निकाल कर मुझे इस पाप में भागी होने से बचा लिया। मेरी भगवान् से प्रार्थना है कि भगवान् उन्हें सद्‌बुद्धि प्रदान करे ताकि वह अंधेरे से उजाले तथा असत्य से सत्य के मार्ग पर पुनः वापिस आ जायें। मेरा यह अटूट विश्वास है कि अन्ततः विजय सत्य की ही होगी।

आज सम्पूर्ण देश में अन्धकार छाया हुआ है। कहां क्या हो रहा है, कौन सा राजनीतिक नेता किस दशा में है या कहां है, इन सब बातों के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। आज किसे मालूम है कि भारत के सच्चे सपूत श्री जयप्रकाश नारायण के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। मैं केवल यह पूछना चाहती हूं कि जिस प्रकार हमारे देश में राजनीतिक बंदियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है यदि यही व्यवहार अंग्रेजों द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान किया जाता तो हमारे पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे लोकप्रिय नेता की हालत क्या होती। क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद वह हमारे देश का नेतृत्व कर पाते? मैं समझती हूं कि आज हमें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए तथा राजनीतिक बंदियों के साथ किये जा रहे व्यवहार के विरुद्ध हम सभी को उठ खड़े होना चाहिये। श्री जयप्रकाश नारायण की दीर्घायु के लिए आज सम्पूर्ण देश में प्रार्थनायें की जा रही हैं। मेरा विश्वास है कि भगवान् उन्हें देश की सेवा करने के लिए निरोग कर देंगें। अन्ततः विजय सत्य की ही होगी क्योंकि सत्य में एक ऐसी शक्ति हैं कि इसे ताकत से दबाया नहीं जा सकता। यदि आप सच्चाई के रास्ते पर हैं तो ठीक है और आप खुश रहेंगे। लेकिन यदि आप असत्य के रास्ते पर हैं तो आपकी ख्याति क्षणिक ही होगी। क्योंकि ये चीजें अस्थायी होती हैं....

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : सारा विश्व ही अस्थायी है।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : सत्य शाश्वत है और असत्य क्षणभंगुर। असत्य और आडम्बर ज्यादा दिन नहीं चल सकता। आपका 20 सूत्रीय कार्यक्रम अच्छा है लेकिन इसकी बुनियाद मजबूत नहीं है। बिना पक्की बुनियाद वाली हर चीज रेत के महल की तरह गिर जाती है। सत्य की जीत होती हैं। यह बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। आप सत्य मार्ग पर नहीं हैं। अब भी समय है कि आप सत्य के मार्ग को अपनायें।

प्रजातन्त्र, सोच विचार की स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रता आदि-आदि महत्वपूर्ण मूल्यों को अपनाने के फलस्वरूप ही नेहरू जी विश्व के उच्चतम नेता बनें। लेकिन आज क्या हुआ है?

राजनीति साध्य नहीं बल्कि साधन है। विनोबा जी ने कहा है कि आत्मअनुशासन अधिक महत्वपूर्ण है। (**व्यवधान**)। आत्म-अनुशासन तपस्या तथा साधना द्वारा ही ग्रहण किया जा

सकता है। मन में सत्ता लिप्सा तथा अन्य आकांक्षायें होने से आत्म अनुशासन ग्रहण नहीं किया जा सकता। एक कर्मयोगी निष्काम भावना से कर्म करता है। लिप्सा अथवा स्वार्थ से अनुशासनहीनता का जन्म होता है। अनुशासन कैसे लाया जा सकता है। निस्वार्थ भावना से लोगों को प्यार करने के बाद ही अनुशासन लाया जा सकता है।

राजनीति में उदारता से काम लेना चाहिए। दोनों लड़ने वालों के पास तलवार होनी चाहिये। सत्ता प्राप्त करना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात इसे बनाए रखना है। इसे साम, दाम, दंड, भेद द्वारा जैसे भी हो बनाये रखा जा सकता है। राजनीति साधन हैं, साध्य नहीं। गांधी जी ने कहा था कि कर्मयोग का अर्थ मुक्ति है। सत्य तथा भगवान् की अनुभूति के बिना मानसिक शांति सम्भव नहीं।

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) : I listened to the speech of Shrimati T. Lamkshmikanthamma very patiently. It is not known as to why she failed to deliver such sermons at the time of Allahabad High Court Judgment and also at a time when Shri Jayaprakash Narayan asking school boys to leave the school, forcing legislators to resign and appealing to the Army and the Police to revolt.

The President in his Address drew attention towards our duties and responsibilities. Emergency was imposed to enforce discipline and bring normalcy in public life. The 20-point programme is not a new programme. Previously also these programmes were announced in Congress sessions but the vested interests always blocked its implementation.

श्री वसंत साठे पीठासीन हुये

[SHRI VSANT SATHE *in the chair*]

Bureaucracy should not be allowed to wield more power than it is necessary for the implementation of 20-point programme. Distribution of land has been taken up under this programme. The State Governments should be given instructions to provide water, seeds, fertilizers etc., to those people whom land was given so that agricultural production could be increased.

There should be coordination between the prices of industrial raw material and the prices of manufactured goods, so that farmers got adequate price for their produce and the consumers got the goods at reasonable price.

Farmer is also not getting remunerative prices for his sugarcane. Reasonable prices should be ensured to the sugarcane growers.

No doubt there had been an increase of 6 per cent in our national income since the declaration of emergency and announcement of 20-point programme.

In the public sector, productivity has also increased by more than 15 per cent. Prices have come down. Our economic condition has improved. We should look to the needs of the people and the society and meet their requirements. You should ascertain the reasons for decline in demand. It may be due to the fact that purchasing power of people has gone down, they may not have black money and they cannot have the power to hoard the stock. I am not talking about big articles like T.V. and refrigerators. Let us take the iron goods. If their demand has declined and stock has piled up, will it not result in wastage of money invested in the business. About textile, I would like to say that controlled cloth worth 20 crores of rupees has accumulated. Bombay mills have been closed. Retrenchment of workers has started. Unemployment is increasing. You will have to keep all this in balance. You will have to ensure purchasing power of the people.

We will have to keep a watch on the activities of the persons visiting India as members of cultural delegations. Besides internal danger, we have danger from external elements also. We should be very careful of them. We must create an atmosphere in which no interference

is possible and we make progress. Our Prime Minister is the symbol of crores of people of the country. She is their soul. We should create an atmosphere in which we can make her programme a success.

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur): If emergency had not been declared in the country for a period of six months more, our independence would have been in grave danger from internal and external enemies. There was grave threat of internal disturbances and external attack before emergency was declared in the country. Unscrupulous elements were conspiring to create chaos and anarchy in the country. Therefore, it became imperative for the Government to declare emergency.

Emergency has brought discipline and a sense of responsibility in the country. The Government employees and also the students have been tamed. There are no strikes and demonstrations in the country. The law and order situation has imporved.

Large sums of concealed income has been declared. Had there been no emergency in the country, no body would have declared his concealed income or black money. Some people say that there is an atmosphere of fear in the country. I feel that if people do good work due to fear then it is a must.

It has been alleged that censorship has been imposed on the Press. What was the Press doing before emergency? They were behaving in an irresponsible manner. They were advocating the cause of monopolists and big business. National interests are completely forgotten. Therefore Government had no alternative but to take this drastic step. These papers belong to big cpitalists, who do not owe allegience to any country. Small newspapers, which believe in democracy, independence and progress of their country, must be encouraged in every way and such restrictions should be imposed on big newspapers so that they cannot act against the interests of the country.

The 15 districts of eastern Uttar Pradesh are the most backward economically in the country. Their total population is about four crores. Their condition is the same which was 25 years ago. It should be improved.

About three and half lakh jhuggies have been cleared under the slum clearance schemes in Bombay and Delhi. This has caused great hardships to those poor people who have been uprooted. They have been sent too far away places where even essential facilities are not available. They cannot attend to their jobs and thus they have been deprived of their livelihood. Government should look into this and take effective steps to remove their difficulties.

In the end I would like to say that the allround progress being witnessed in the country is due to the declaration of emergency and it should be lifted only when a national character and discipline becomes a part of life of the people.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : इस देश के प्रधान मन्त्री ने भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है और वह देश को राजनीतिक स्वतन्त्रता से आर्थिक स्वतन्त्रता की ओर ले जा रही हैं। आपात् स्थिति के तुरन्त बाद तैयार किये गये आर्थिक स्वतन्त्रता के कार्यक्रम ने अनुशासन का वातावरण पैदा किया है और इससे देश में उत्पादन बढ़ा है। आपात् स्थिति की घोषणा की आलोचना मैंने प्रायः सुनी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन परिस्थितियों तथा घटनाओं का वर्णन किया गया है जिनके कारण इस देश की रक्षा करने और पददलित लोगों को आर्थिक स्वतन्त्रता देने के लिए यह कार्यवाही की गई है। प्रधान मंत्री द्वारा आरम्भ किया गया यह एक नया अध्याय है और उन व्यक्तियों को इस बात का पता होना चाहिये, जो देश की खुशहाली और समतावादी समाज की स्थापना में रुकावट हैं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 8 जनवरी, 1976/18 पौष, 1897 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock an Thursday, the 8th Jaunary, 1976 Pausa 18, 1897 (Saka).

GMGIPND—LS. III—2118 LS.—19-2-76—200.